

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(पूर्व में टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)

रूपांतरण के पथ में



वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

विषय वस्तु

01-08

निगमित अवलोकन

निगमित सूचना	01
हमारे बारे में	02
प्रचालन क्षमता	03
व्यापार क्षेत्र	03
अध्यक्षीय भाषण	04
निदेशक मंडल	06
नेतृत्व दल	08

28-79

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	29
तुलन पत्र	40
लाभ और हानि विवरण	41
इक्विटी में परिवर्तन विवरण	42
नकद प्रवाह विवरण	43
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	44

09-27

सांविधिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	09
निगमित शासन पर रिपोर्ट	20
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	24

80-86

सूचना

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर अध्यक्ष
श्री बिजोय भास्कर गैर- कार्यपालक निदेशक

श्री जोस वी जे गैर- कार्यपालक निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन गैर-कार्यपालक निदेशक

श्री नीलकण्ठन ए एन गैर-कार्यपालक निदेशक
--

श्री राजेश गोपालकृष्णन गैर-कार्यपालक निदेशक
--

कंपनी सचिव

श्री अश्विन शर्मा एम

नेतृत्व दल

श्री हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री शिबु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
--

मुख्य कार्मिक

श्री अंबलावनन एम उप महाप्रबंधक (प्रचालन)

श्री राम मोहन बालिगा के वी सहायक महाप्रबंधक (योजना, व्यापार विकास एवं डिज़ाइन)

श्री बिल्लु सी राजन सहायक महाप्रबंधक (यूएंडएम और प्रचालन)
--

श्री सोणी क्लेमेंट टी एम सहायक महाप्रबंधक (सामग्री और अनुबंध कक्ष)

श्री एल के प्रभाकर सहायक महाप्रबंधक (क्यूसी और एचएसई)
--

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603 116
सीआईएन : U27209TN1984GOI010994

सुविधाएं

उडुपी, कर्नाटक,
चेंगलपेट, तमिलनाडु

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स शब्बीर एवं गणेश
सनदी लेखाकार
बालकृष्णा टवर्स, प्रथम तल
कुंजीबेट्टु दूसरा क्रोस, उडुपी मणिपाल रोड
मांडवी गोकुल के पास, उडुपी - 576102

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसईपी एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
बिल्डिंग सं. सी.सी. 56/172
के सी एब्रहाम मास्टर रोड,
पनपिल्ली नगर, कोच्ची - 682 036

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अस्वीकरण

इस रिपोर्ट को कुछ सूचनाओं में दूरदेशी बयान शामिल हो सकते हैं। हमने इन दूरदेशी बयानों को हमारे वर्तमान विश्वासों, अपेक्षाओं और इरादों के आधार पर तथ्यों, कार्यों और घटनाओं पर आधारित किया है जो भविष्य में घटित होंगे या हो सकते हैं। ऐसे बयानों की पहचान आम तौर पर दूरदेशी शब्दों से की जाती है, जैसे विश्वास, योजना, अनुमानित, जारी, अनुमान हो सकता है, होगा या इसी तरह के अन्य शब्द। दूरदेशी बयान में मान्यताओं का बयान और दूरदेशी बयान का मुख्य आधार शामिल हो सकता है। हमने इन मान्यताओं या आधार को अच्छे विश्वास में चुना है, और हम मानते हैं कि वे सभी वस्तुगत मामलों में उचित हैं। हालांकि हम आपको सावधान करते हैं कि दूरदेशी बयान और कल्पित तथ्य या आधार लगभग हमेशा वास्तविक परिणामों से भिन्न होते हैं, और दूरदेशी बयानों और कल्पित तथ्यों या आधारों से निहित परिणामों के बीच अंतर, परिस्थितियों के आधार पर वस्तुगत रूप से परिवर्तित हो सकते हैं।

हमारे बारे में

कंपनी ने स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर बड़े एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जहाजों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है और अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए पोत निर्माण उद्योग में एक जाना माना नाम रहा है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) को दिनांक 09 जुलाई 1984 को एक निजी गैर-सरकारी कंपनी के रूप में 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, कंपनी सार्वजनिक हो गई और इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया। सितंबर 2018 में, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कंपनी की अक्षमता के कारण, कंपनी को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में भर्ती कराया गया था। सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुपालन में, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने कंपनी का अधिग्रहण किया और सितंबर 2020 में इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी बन गई। इसके बाद, अप्रैल 22, 2022 को कंपनी का नाम टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया।

कंपनी वर्ष 2004 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के सहयोग से अपतटीय उद्योग में भी एक प्रमुख खिलाड़ी रही है, जिसके तहत कंपनी ने सीएसएल, कोची में 8 प्लेटफॉर्म सप्लाइ वेसल और 4 एंकर हैंडलिंग टग का निर्माण किया। कंपनी ने एक प्रमुख पोत निर्माता होने के साथ-साथ भारत में पोत निर्माण व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यूसीएसएल में दो सुविधाएं हैं : एक उडुपी, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में। उडुपी में कंपनी की सुविधा में एक समान रूप से आधुनिक स्टील फैब्रिकेशन यूनिट सहित एक उच्च अंत बुनियादी ढांचा है जिसे मध्यम आकार के शिपयार्ड के बीच देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है।

प्रचालन क्षमता

यूसीएसएल के पास एक समान रूप से आधुनिक स्टील फैब्रिकेशन यूनिट सहित एक उच्च अंत बुनियादी ढांचा है जिसे मध्यम आकार के शिपयार्ड के बीच देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है।

कंपनी की सुविधाएं उडुपी, कर्नाटक और चेंगलपेट, तमिलनाडु में निम्नानुसार विस्तारित हैं :

उडुपी

(क) माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स

- हल निर्माण और लॉन्चिंग के लिए 55,000 वर्गमीटर की सुविधा
- ढके हुए शेड में एक साथ 4 मध्यम आकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता
- जहाजों के निर्माण के लिए 30 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई के साथ 165 मी x 46 मी ढके हुए शेड

- पोत निर्माण के लिए 4,000 वर्गमीटर खुली खाड़ी
- आउटफिट और कमीशनिंग के लिए 128 मीटर x 35 मीटर का गीला बेसिन
- आर्द्रता नियंत्रित समुद्री कोटिंग शॉप
- ट्रांसफर बे और विंच असिस्टेड क्रेडल सिस्टम से सुसज्जित जो 90 मीटर x 20 मीटर आकार के जहाजों को 3,500 टन के लॉन्चिंग वजन तक लॉन्च करने में सक्षम हो।

(ख) हैंगरकट्टा

- स्टील की तैयारी और ब्लॉक निर्माण के लिए 25,000 वर्गमीटर की सुविधा
- प्रति माह 1,200 टन क्षमता

- प्लास्मा कटिंग मशीन (2 सं.)
- 275 टन और 375 टन बेंडिंग मशीन
- टेम्पलेट कटिंग मशीन
- 50 टन तक के ब्लॉकों को संभालने के लिए 13 क्रेनों के साथ ढके हुए शॉप

(ग) बाबुथोट्टा

4,000 वर्गमीटर ढके हुए स्टोर और डिजाइन केंद्र चेंगलपेट स्ट्रक्चरल आउटफिटिंग मद, रडर, हाइड्रोफोर यूनिट आदि के निर्माण की सुविधा।

व्यापार क्षेत्र



अध्यक्षीय भाषण



प्रिय शेयरधारकों,

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) की 38वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कई लोगों, समुदायों और व्यवसायों के लिए अत्यधिक चुनौतियों का सामना करते हुए कोविड महामारी की दूसरी लहर देखी गई। महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से निपटने में चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल समूह के अथक और निस्वार्थ प्रयासों की सराहना करना उचित है। कंपनी ने इन प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए कई सक्रिय कदम भी उठाए।

महामारी के बावजूद, कंपनी ने उडुपी, कर्नाटक में अपनी सुविधाओं के संचालन की दिशा में कार्य करना जारी रखा, जो दिवाला प्रक्रिया के कारण कई वर्षों से गैर-परिचालन था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने हैंगरकट्टा सुविधा में अपना प्रचालन शुरू किया और बाबुथोड्डा में वेयरहाउसिंग सुविधा को चालू किया। माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स सुविधा के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी नए कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक कौशल के साथ सफलतापूर्वक शामिल कर सकती है और मार्च 31, 2022 तक, कंपनी में 63 कर्मचारी हैं जिनमें 22 कार्यपालक, 10 पर्यवेक्षक और 31 कर्मचारी शामिल हैं। कंपनी ने नियंत्रक कंपनी के कर्मचारियों की विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त की हैं और प्राप्त करना जारी रखा है।

यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कंपनी पहले आदेश से ही अपनी क्षमता का निष्पादन कर सकती है और नियंत्रक कंपनी, सीएसएल द्वारा उसे सौंपे गए एक विशेष पोत को सफलतापूर्वक वितरित कर सकती है। कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए

कुल आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमीनियम कटमरैन हल जहाज को सीएसएल द्वारा कंपनी को सौंपा गया है। कंपनी ने जहाजों के निर्माण और मरम्मत के लिए भी आदेश प्राप्त किए और प्रमुख एक प्रमुख पत्तन संचालन और समुद्री सेवा कंपनी, ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए दो टग का निर्माण था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने कुल 1008.06 लाख रुपए की आय और 1294.13 लाख रुपए की हानि की सूचना दी, इस तथ्य के कारण कि कंपनी ने अभी अपना व्यवसाय संचालन शुरू किया है।

चूंकि कंपनी कोचीन शिपयार्ड परिवार का एक अभिन्न अंग बन गई है, कंपनी के लिए एक नया नाम अपनाने के लिए यह केवल एक स्वाभाविक परिणाम है और तदनुसार, अप्रैल 22, 2022 से कंपनी का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। इसके अलावा, अप्रैल, 2022 में, कंपनी से सबसे अच्छा उपलब्ध ईआरपी समाधानों में से एक, एसएपी एस/4 हाना को लागू किया है, जिससे व्यापार लेनदेन की दक्षता में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

यूसीएसएल छोटे और मध्यम जहाजों के सेगमेंट में बाजार प्रमुख बनने के लिए बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है। कंपनी भारत सरकार की पहल जैसे, 'आत्मनिर्भर भारत', प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि में भाग लेकर देश के बड़े उद्देश्यों में योगदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कंपनी उभरते टग सेगमेंट में एक अच्छे अवसर की उम्मीद करती है और मौजूदा टग आदेश को निष्पादित करने के लिए तत्पर है। लगातार बदलते व्यापार और नियामक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी समुद्री अंतरिक्ष में उभरते अवसरों का एहसास करने के लिए खुद को तैयार कर रही है।

कंपनी उभरते टग सेगमेंट में एक अच्छे अवसर की उम्मीद करती है और मौजूदा टग आदेश को निष्पादित करने के लिए तत्पर है। लगातार बदलते व्यापार और नियामक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी समुद्री अंतरिक्ष में उभरते अवसरों का एहसास करने के लिए खुद को तैयार कर रही है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार जुलाई 08 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 18 (8)/2005 - जीएम के अनुसरण में, कंपनी, अपने संचालन को शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में होने के कारण, निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई थी। जुलाई, 2021 के दौरान, कंपनी ने कोविड से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद हैंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया और माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को पूरी तरह चालू करने की गतिविधियां अभी भी प्रगति पर हैं। कंपनी माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को

पूरी तरह से चालू करने और मौजूदा आदेशों को क्रियान्वित करने में अत्यधिक प्रार्थमिकता दे रही है, जो सख्त समय-सीमा का पालन करती है। फिर भी, कंपनी जहां भी संभव हो, सर्वोत्तम निगमित शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निगमित शासन पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक सिस्टम लगा रही है। इसके अलावा, डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयारित निगमित शासन पर रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों, कर्नाटक सरकार, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन और मेरे साथ बोर्ड के सदस्यों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन हेतु अपनी ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कंपनी को सही दिशा में चलाने के लिए मैं नेतृत्व दल अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के प्रति भी अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कर्मचारियों और व्यावसायिक सहयोगियों के प्रयासों और योगदान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए उनके सतत समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता हूँ।

सधन्यवाद,

जय हिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

निदेशक मंडल



श्री मधु एस नायर
अध्यक्ष

श्री मधु एस नायर सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक हैं। श्री मधु एस नायर दिनांक 01 जनवरी 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टॉकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जेआईसीए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेल्लिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य हैं जिसमें दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए), भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स शामिल हैं, और वर्तमान में इंडो जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में लगभग 34 वर्ष का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री बिजोय भास्कर
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री बिजोय भास्कर, सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक हैं। वे 05 अप्रैल 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 34 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री जोस वी जे
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक हैं। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 31 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री श्रीजित के नारायणन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन को दिनांक 03 मई, 2022 से यूसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत) थे और दिनांक 21 जुलाई, 2022 को सीएसएल के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट से प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्हें पोत निर्माण, पोत डिजाइन और पोत मरम्मत के क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है।



श्री नीलकण्ठन ए एन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री नीलकण्ठन ए एन को दिनांक 03 मई, 2022 से यूसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (योजना व परियोजना प्रबंधन) हैं। उनके पास कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी (कुसाट) से नौवास्तुविद् और पोत निर्माण में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी की डिग्री और व्यापार प्रबंधन में मास्टर डिग्री दोनों हैं। उन्होंने जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत जापान इंटरनेशनल कॉऑपरेशन एजेंसी द्वारा आयोजित इशिकावाजिमा हरीमा हेवी इंडस्ट्रीज ओवरसीज वोकेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशन के पोत निर्माण- आउटफिटिंग में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था। उन्हें पोत मरम्मत, पोत निर्माण, पोत डिजाइन, परियोजना प्रबंधन, सामग्री प्रापण, आधारीक संरचना विकास, उपयोगिता व अनुरक्षण और योजना के क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है।



श्री राजेश गोपालकृष्णन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री राजेश गोपालकृष्णन को दिनांक 03 मई, 2022 से यूसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (कार्यनीति व नई परियोजनाएं) हैं। उनके पास मेकानिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रबंधन में मास्टर डिग्री है। उन्हें पोत निर्माण, पोत मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है, जिसमें व्यापार कार्यनीति, व्यापार निर्माण, आकलन, अनुबंध प्रबंधन, प्रापण, योजना, परियोजना प्रबंधन, इन्वॉइसिंग, आफ्टर सेल्स व कस्टमर रिलेशन से लेकर पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया गया है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पहले सीईओ भी थे, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

नेतृत्व दल



श्री हरिकुमार ए

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हरिकुमार ए ने जनवरी 28, 2021 को कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला। श्री हरिकुमार ए उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्हें पोत निर्माण और पोत मरम्मत संचालन और परियोजना प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र दोनों में विभिन्न प्रमुख शिपयार्डों के साथ काम किया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स (इंडिया) के अध्यक्ष हैं।



श्री शिवु जॉण

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री शिवु जॉण को अक्टूबर 21, 2020 को कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) हैं और सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण प्रक्रिया में कोर टीम के सदस्यों में से एक थे। श्री शिवु जॉण के पास वाणिज्य में स्नातक उपाधि और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। उनके पास विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों में फैले वित्तीय प्रबंधन, कराधान, बजटीय नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण आदि के क्षेत्र में लगभग 28 वर्षों का कार्य अनुभव है। वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालय, रांची में आयुक्त की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय हितधारकों,

1. आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की सैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

प्रचालन

2. सितंबर 2020 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के ज़रिए, संचालन शुरू करने हेतु कंपनी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद सुधार गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया गया और कंपनी ने जुलाई 2021 में हैंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया। माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में सुविधा को पूरी तरह से चालू करने के लिए आवश्यक गतिविधियां भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शुरू की गईं और अभी भी प्रगति पर हैं।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए आठ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल जहाजों के निर्माण, आउटफिटिंग और मशीनरी स्थापना के लिए सीएसएल से आदेश प्राप्त हुए, जिनमें से दो पोत की सुपुर्दगी पहले ही हो चुकी है, एक दिनांक 28 मार्च 2022 को और दूसरा अप्रैल 2022 में की गई है। कंपनी के हैंगरकट्टा सुविधा में अन्य जहाजों पर काम चल रहा है। इसके अलावा, मार्च 2022 के दौरान, कंपनी ने “प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)” के तहत एक टूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर फिशिंग के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के एक लाभार्थी के साथ दो टगसेंड के निर्माण हेतु एक प्रमुख पत्तन संचालन और समुद्री सेवा कंपनी, ओशन स्पार्कल लिमिटेड (ओएसएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान, कंपनी को निम्न के लिए भी आदेश प्राप्त हुए :

- मत्स्य पालन में ऊष्मायन और व्यावसायिक प्रशिक्षण निदेशालय, रामनाथपुरम, तमिलनाडु, डॉ. जे जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए एक प्रशिक्षण पोत का निर्माण; तथा
- जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के लिए एक पर्स सेनर गहरे समुद्र मत्स्य ग्रहण नाव का निर्माण; तथा
- मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के एसबीएम की ड्राई-डॉकिंग और मरम्मत।

5. दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी की ऑर्डर बुक स्थिति नीचे दी गई है:

आदेश विवरण / पोत प्रकार	क्रम सं.
कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल वेसल्स का फैब्रिकेशन, आउटफिटिंग और मशीनरी इंस्टालेशन	07
टाग फॉर ओशन स्पार्कल लिमिटेड का निर्माण और सुपुर्दगी	02
“प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)” के तहत आंध्र प्रदेश के लाभार्थी के लिए टूना लॉन्गलाइनर सह गिलनेटर फिशिंग बोट का निर्माण और वितरण	01

वित्तीय निष्पादन

6. कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष के 136.04 लाख रुपए के नुकसान के विरुद्ध 1294.13 लाख रुपए के नुकसान की सूचना दी है। इसके अलावा, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष के 74.74 लाख रुपए के विरुद्ध कुल 1008.06 लाख रुपए की आय दर्ज की है।

वित्तीय विशिष्टताएं

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(i)	कुल आय	1008.06	74.74
(ii)	लाभ / (हानि) वित्त लागत, मूल्यहास और कर से पूर्व	(128.83)	(101.84)
(iii)	वित्त कीमत	53.45	23.14
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1322.03	1284.46
(v)	कर पूर्व लाभ / (हानि)	(1504.31)	(1409.44)
(vi)	कर	(485.33)	(10.00)
(vii)	असाधारण मदें	275.15	1263.40
(viii)	निवल लाभ / (हानि)	(1294.13)	(136.04)
(ix)	निवल मूल्य	12431.53	13653.21

शेयर पूंजी

7. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 215,00,00,000 (रुपए दो सौ और पंद्रह करोड़ मात्र) है जो प्रत्येक 10 रुपए के 9,00,00,000 (नौ करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों और प्रत्येक 10 रुपए के 12,50,00,000 (बारह करोड़ पचास लाख मात्र) अधिमान शेयरों में विभाजित हैं। कंपनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 65,00,00,000 (रुपए पैंसठ करोड़ रुपए मात्र) है जो प्रत्येक 10 रुपए के 65,00,00,000 (रुपए पैंसठ करोड़ रुपए मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं।

ऋणपत्र

8. दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास 1,00,000 रुपए (मात्र एक लाख) असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (डिबेंचर) का अंकित मूल्य 1,000 रुपए (मात्र एक हजार रुपए) है। ऋणपत्र नवंबर 2021 के महीने में 84 महीने के कार्यकाल के साथ 6.00% प्रति वर्ष की कूपन दर पर सीएसएल को 10,00,00,000 रुपए (मात्र दस करोड़ रुपए) की राशि के लिए जारी किए गए थे। ऋणपत्र नवंबर 2028 में विमोचन हेतु देय है।

नाम का परिवर्तन

9. कंपनी को धारक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से अधिक उचित रूप से संबंधित करने हेतु कंपनी का नाम दिनांक 22 अप्रैल 2022 से 'टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड' से बदलकर 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' कर दिया गया है।

लाभांश

10. विभाज्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण किसी लाभांश की अनुशांसा नहीं की जाती है।

संचय में स्थानांतरण


11. चूंकि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान घाटा हुआ है, कंपनी किसी भी राशि को संचय में स्थानांतरित करने में असमर्थ है।

राजकोष में योगदान

12. माल और सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (टीडीएस) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया कुल योगदान लगभग [.] ट लाख रुपए थे।

श्रमशक्ति की स्थिति

13. दिनांक 31 मार्च 2022 तक, कंपनी में 63 कर्मचारी हैं, जिनमें 22 कार्यपालक, 10 पर्यवेक्षक और 31 कामगार शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, धारक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी प्रतिनियुक्ति आधार पर लगे हुए हैं।



कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

14. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

15. सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सीएसएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप प्रचालन शुरू करने हेतु कंपनी की शिपयार्ड बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए आवश्यक गतिविधियां शुरू की गईं। कंपनी ने सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचालन के प्रस्तावों पर विचार करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और ऊर्जा कुशल उपायों को अत्यधिक महत्व दिया था। इसके अलावा, कंपनी ने जुलाई 2021 में कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमिनियम कटमरैन हल वेसल्स का निर्माण करके हैंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया था, जो अपनी तरह का एक, आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल नाव है। कंपनी को सीएसएल से ऐसी आठ नावों के निर्माण, आउटफिटिंग और मशीनरी लगाने के प्रस्ताव मिले हैं; जिनमें से दो की सुपुर्दगी पहले ही हो चुकी है और अन्य जहाजों पर काम प्रगति पर है। इन प्रस्तावों के निष्पादन के साथ, कंपनी ने एल्युमीनियम के जहाजों के निर्माण और विशेष रूप से हासिल कौशल के लिए आवश्यक दक्षता हासिल कर ली है:

- वेल्लिंग प्रक्रियाओं का विकास जो लगभग शून्य एनडीटी दोषों के साथ गुणवत्ता वाले वेल्ड सुनिश्चित करते हैं;
- हल की फिट और फिनिश सुनिश्चित करने हेतु बेहतर हल निर्माण और संगठन प्रक्रिया;
- मिश्रित सामग्री के साथ काम करने की योग्यता;
- एल्युमिनियम में विभिन्न फैब्रिकेशन, निर्माण और आउटफिटिंग कार्यों को करने हेतु सक्षम विक्रेताओं का विकास; तथा
- एल्युमिनियम हल्स की सतह की तैयारी और पेंटिंग के लिए प्रक्रियाओं की पहचान और विक्रेताओं का विकास।

16. कंपनी सतत विकास में विश्वास करती है और व्यवसाय के प्रचालन में पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल उपायों को प्राथमिकता देती है। कंपनी जहां भी संभव हो, अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रचालन में नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास करती है।

17. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचालन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कोई पूंजी निवेश नहीं किया है या प्रौद्योगिकी आयात या अनुसंधान एवं विकास के लिए कोई खर्च नहीं किया है।

18. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में खर्च हेतु 15.34 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय अर्जित नहीं की गई है।

जोखिम प्रबंधन

19. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा सितंबर 2020 को कंपनी के अधिग्रहण के बाद, वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से, कंपनी अपने व्यवसाय प्रचालन को फिर से शुरू करने हेतु अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है और कोविड से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद, कंपनी ने जुलाई 2021 में हैंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया है। माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में सुविधा को पूरी तरह से चालू करने के लिए आवश्यक गतिविधियां भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शुरू की गईं और अभी भी प्रगति पर हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 13 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक (सीआईआरपी के पश्चात्) में कंपनी के लिए जल्द ही एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

20. कंपनी कार्यबल के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा जिस वातावरण में काम किया जा रहा है, उसे अत्यधिक महत्व देती है। कंपनी पूरे संगठन में सकारात्मक स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्कृतियों के लिए उच्च मानक स्थापित करने और बनाए रखने का प्रयास करती है। इसके लिए, कंपनी जहां भी आवश्यक हो, कार्यबल और उपयुक्त एचएसई प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर एचएसई जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करती है। कंपनी ने कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त किया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी का एचएसई निष्पादन संतोषजनक रहा है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

21. दिनांक 31 मार्च 2022 तक, कंपनी में 3 निदेशक थे, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक और 3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अर्थात् सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री विजोय भास्कर	08103825	निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक
4.	श्री हरिकुमार ए	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
5.	श्री शिवु जॉण	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
6.	श्री अश्विन शर्मा एम	लागू नहीं	कंपनी सचिव

22. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), धारक कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्ति पर श्री सुरेशबाबू एन वी (डीआईएन : 07482491) दिनांक 01 मई 2021 से निदेशक नहीं रहे।
23. श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) जिनके निदेशक के रूप में कार्यालय नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था, और पात्र होने के कारण दिनांक 15 सितंबर, 2021 को आयोजित 37वाँ वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।
24. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में कोई अन्य परिवर्तन नहीं थे।
25. इसके अलावा, निम्नलिखित सीएसएल अधिकारियों को 03 मई 2022 को कंपनी के बोर्ड में सीएसएल के नामिती के रूप में नियुक्त किया गया था:
- क. श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), निदेशक (प्रचालन), सीएसएल;
- ख. श्री नीलकंठन ए एन (डीआईएन: 09578936), मुख्य महाप्रबंधक (योजना और परियोजना प्रबंधन), सीएसएल; तथा
- ग. श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), मुख्य महाप्रबंधक (कार्यनीति और नई परियोजनाएं), सीएसएल।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

26. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गई हैं और दो बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं है। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	तारीख	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	अप्रैल 15, 2021	4	4
2.	मई 07, 2021	3	3
3.	अगस्त 05, 2021	3	3
4.	नवंबर 08, 2021	3	3
5.	नवंबर 26, 2021	3	3
6.	फरवरी 03, 2022	3	3

27. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	6/6
2.	श्री सुरेश बाबू एन वी*	07482491	1/1
3.	श्री विजोय भास्कर	08103825	6/6
4.	श्री जोस वी जे	08444440	6/6

*श्री सुरेश बाबू एन वी (डीआईएन : 07482491) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), धारक कंपनी में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्ति पर दिनांक 01 मई, 2021 से निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड की समितियां

28. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है।

बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

29. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून 2015

की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का पालन करने से छूट दी है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में धारा 134 (3) (पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी की अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभावी है। इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना, सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट देती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

30. कंपनी के बोर्ड में अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशकों की जिम्मेदारी वक्तव्य

31. आपके निदेशक कहते हैं कि:

(क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री निकास से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखरेख किया था;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार था;

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

32. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित किया। इसके अलावा, आपके निदेशक वित्तीय विवरणों पर नोट 41 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं।

निगमित शासन

33. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगमित शासन पर रिपोर्ट, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई, वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

34. डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत की जाती है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

35. कंपनी मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है जो स्वामित्व कंपनी, सीएसएल, के अनुरूप है, जिससे अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकता है और उनका पता लगाता है, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करता है और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करके उसे प्रस्तुत करता है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

36. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को निदेशक मंडल (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) की बैठकों पर सचिवीय मानकों को अधिसूचित किया है जो दिनांक जुलाई 01, 2015 से प्रभावी होगा। कंपनी इसका अनुपालन कर रही है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

37. मेसर्स शब्बीर और गणेश (फर्म पंजीकरण सं. 009033एस) सनदी लेखाकर, उडुपी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

38. मेसर्स शब्बीर और गणेश, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2022, मई 03, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा

39. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, इंडियन ऑयल भवन, लेवल-2, 139, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई - 600 034 को सौंपी है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

40. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के जवाब के साथ उक्त टिप्पणियां इसके रिपोर्ट के **अनुलग्नक I** में दी गई हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

41. मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं. P2019KE075600), पेशेवर कंपनी सचिव, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

42. मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक मई 03, 2022 को प्रस्तुत की थी, जिसे इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक II** में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

43. मेसर्स एएमएनएस एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं. 018825एस) सनदी लेखाकार, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

सतर्कता

44. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी सतर्कता मामला लंबित/ निपटाया नहीं गया था

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

45. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना का अधिकारी (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वार्षिक विवरणी

46. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.tebma.co.in पर उपलब्ध है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

47. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

48. कंपनी सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचालन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई सीएसआर गतिविधियों को शुरू नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

49. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।

धारा 143 के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

50. शून्य।

वस्तुगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

51. कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले कोई वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

52. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- (क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
- (ख) किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध कोई गारी या प्रतिभूति नहीं प्रदान किया गया है; और
- (ग) जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित हो, सदस्यता, खरीद या अन्य था अन्यथा के माध्यम से किसी अन्य निकाय कॉर्पोरे की प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं किया गया।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

53. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

निक्षेप

54. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कंपनी ने जनता से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

55. नियामकों या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की चालू संस्था की स्थिति को प्रभावित करने और इसके प्रचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और सामग्री आदेश पारित नहीं किए गए थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

56. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई मामला दर्ज / निपटाया नहीं गया है।

57. कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

अभिस्वीकृति

58. मार्गदर्शन के लिए बोर्ड अपना आभार और सराहना व्यक्त करता है और माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था) मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा दिए गए निरंतर संरक्षण और समर्थन के लिए बेहद आभारी है। बोर्ड भारत सरकार, कर्नाटक सरकार के विभिन्न कार्यालयों, विभिन्न स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों, सलाहकारों आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के विभिन्न कार्यालयों से समर्थन और सहयोग हेतु अपनी ईमानदारी से सराहना करता है। बोर्ड इस कठिन समय के दौरान कंपनी के कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

स्थान : कोच्ची

दिनांक: अगस्त 04, 2022

अनुलग्नक I

प्रबंधन के उत्तर के साथ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 03 मई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों पर टिप्पणी

40.1 - आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने वैधानिक देनदारियों की मौजूदगी का खुलासा नहीं किया है, हालांकि पिछले वक्तव्यों में 1,311.55 लाख रुपए की राशि को विभिन्न वैधानिक बकाया, करों और कर्तव्यों के विवादित दावों के रूप में प्रकट किया गया था जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण से पहले तत्कालीन टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिजॉल्यूशन ऑर्डर दिनांक 04.03.2020 ने यह भी कहा कि कंपनी को वैधानिक बकाया से राहत का दावा करने के लिए आवश्यक मंचों/प्राधिकरणों को आवश्यक आवेदन दाखिल करना था। इसे देखते हुए वित्तीय विवरणों के लिए उपरोक्त नोट गलत है और अपर्याप्त भी है।

प्रबंधन का उत्तर

उडुपी कोचीन शिपयार्ड (यूसीएसएल) (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) एक कंपनी है जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सितंबर 2020 में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताई गई 1,311.55 लाख रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 (सीआईआरपी से पहले की अवधि) के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होनेवाली देनदारी है, जिसके लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया था। आईबीसी की धारा 31 के संदर्भ में, अनुमोदित समाधान योजना (अनुसूची III का खंड (ईई)) और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपात (घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2021 सुप्रीम कोर्ट)), वैधानिक बकाया सहित ऐसे सभी पिछले दावे जो सीआईआरपी के दौरान जमा नहीं किए गए हैं, समाप्त हो गए हैं। माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई के आवश्यक राहत और रियायतें प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉर्म/ प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक आवेदन दाखिल करने हेतु निदेश केवल एक प्रक्रियात्मक मामला है, जिस पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दावा किए जाने पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, माननीय एनसीएलटी के उपरोक्त निदेश का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि यह कंपनी पर पिछले दायित्व को मजबूत करेगा।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उनके पक्ष में

(देविका नायर)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक, चेन्नई

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

स्थान : चेन्नई

तिथि : 15 जुलाई 2022

कोच्ची

अगस्त 04, 2022

अनुलग्नक II

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में ,

सभी सदस्य

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

एस सं. 377, पष्माथुर ग्राम

पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

हमने उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन : U27209TN1984GOI010994) (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि हमें निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्याओं और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन और जांच की:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(i) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं;

ए. कारखाना अधिनियम, 1948;

बी. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

सी. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

डी. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ई. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रबंधन और सीमा पर संचलन) नियम, 2008;

ए. विद्युत अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विद्युत विनियम 2010

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 1 और 2;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यपालक निदेशक और गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन से विधिवत् गठित किया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे और बैठक के पहले कार्यसूची पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण की मांग और प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में एक सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के किसी भी निर्णय पर कोई असहमति नहीं थी, जैसा कि बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निजी स्थानन के ज़रिए 10 करोड़ रुपए की राशि के गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, को छोड़कर, इसके कोई उदाहरण नहीं थे :

ए. सार्वजनिक/अधिकार/शेयरों के अधिमान्य निर्गम सहित प्रतिभूतियों के निर्गमन।

बी. प्रतिभूतियों का प्रतिदान/ वापसी खरीद।

सी. विदेशी तकनीकी सहयोग।

डी. विलय/समामेलन/निर्माण आदि।

इस रिपोर्ट को सम तारीख के अनुबंध ए के साथ पढ़ा जाना है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

इसके अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने दिनांक 22.04.2022 को केंद्र सरकार के अनुमोदन पर अपना नाम टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** में बदल दिया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी का नाम टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड था। कंपनी रजिस्ट्रार, चेन्नई के रिकॉर्ड में उपरोक्त परिवर्तन के आधार पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** के नाम पर जारी की जा रही है।

कृते **एसईपी एवं एसोसियेट्स**

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड : P2019KE075600)

यूडीआईएन: F003050D000258602

सी एस पुषनकरा शिवकुमार

प्रबंध साझेदार

दिनांक : 03.05.2022

स्थान : कोच्ची

एफसीएस : F3050, सीओपी सं.2210

सम तिथि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

सेवा में ,

सभी सदस्य

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

एस सं. 377, पष्माथुर ग्राम

पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाता है) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के उद्देश्य से नमूना जांच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टीकरण के साथ कंपनी द्वारा हमें बनाए गए और हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
- लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय और अन्य अभिलेखों, कानूनी अनुपालन तंत्र और निगमित आचरण की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
- कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।
- जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का प्रचालन किया है।
- अनुपालन पर एक राय बनाते समय और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।
- हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन के रूप में माना है, जहां कहीं भी कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी।

कृते **एसईपी एवं एसोसियेट्स**

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड : P2019KE075600)

यूडीआईएन: F003050D000258602

सी एस पुषनकरा शिवकुमार

प्रबंध साझेदार

एफसीएस : F3050, सीओपी सं.2210

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

कोच्ची

अगस्त 04, 2022

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत

1. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('यूसीएसएल'/'कंपनी'), एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अपनी सभी गतिविधियों में निगमित शासन मूल्य प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास करती है। प्रबंधन अच्छी निगमित शासन प्रथाओं को स्थापित करने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य व्यापार का संचालन करते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारकों की वचनबद्धता को बढ़ावा देना है। निगमित शासन पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है।

3. दिनांक मार्च 31, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में तीन गैर- कार्यपालक निदेशक हैं। कंपनी का एक गैर -कार्यकारी अध्यक्ष है। दिनांक मार्च 31, 2022 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री मधु एस नायर	07376798	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर- कार्यकारी निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर- कार्यकारी निदेशक

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी में निदेशक, निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री सुरेशबाबु एन वी (डीआईएन : 07482491) मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे।

5. श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440) जिनके निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था और पात्र होने के कारण सितंबर 15, 2021 को आयोजित 37वाँ वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए थे।

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया।

7. इसके अलावा, निम्नलिखित सीएसएल अधिकारियों को मई 03, 2022 को कंपनी के बोर्ड में सीएसएल के नामिती के रूप में नियुक्त किया गया था:

निदेशक मंडल

2. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पहले पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था), भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अध्यक्ष होंगे और बोर्ड के अन्य निदेशक सीएमडी, सीएसएल द्वारा सीएसएल के पूर्णकालिक निदेशकों और अधिकारियों में से जो कि महाप्रबंधक के पद से नीचे न होंगे, पदेन आधार पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किए जाएंगे।

क. श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन : 09543968), निदेशक (प्रचालन), सीएसएल,

ख. श्री नीलकंठन ए एन (डीआईएन : 09578936), मुख्य महाप्रबंधक (योजना और परियोजना प्रबंधन), सीएसएल तथा

ग. श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन : 09576336), मुख्य महाप्रबंधक (कार्यनीति और नई परियोजनाएं), सीएसएल।

8. इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी के बोर्ड में शामिल निदेशकों की रूपरेखा, जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति शामिल है, उसे वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है। मार्च 31, 2022 तक इन निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों और समिति पदों का विवरण नीचे निदेशक और समिति की स्थिति शीर्षक के तहत प्रदान किया गया है।

9. आपस में निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण: शून्य

बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

10. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की छह बैठकें हो चुकी हैं और दोनों बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था। कंपनी की 37वीं एजीएम सितंबर 15, 2021 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड की बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक						एजीएम सितंबर 15, 2021
	2021					2022	
	अप्रैल 15	मई 07	अगस्त 05	नवंबर 08	नवंबर 26	फरवरी 03	
श्री मधु एस नायर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री सुरेशबाबु एन वी*	जी हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

*नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में निदेशक (प्रचालन) के पद से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप श्री सुरेशबाबु एन वी (डीआईएन : 07482491) दिनांक मई 01, 2021 से निदेशक नहीं रहे।

निदेशक पद और समिति की स्थिति

11. मार्च 31, 2022 को निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों/अध्यक्षता की कुल संख्या और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सहित समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता के पद नीचे दिए गए हैं :

निदेशक का नाम	निदेशक पद की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु एस नायर	3	3	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	3	-	1
श्री जोस वी जे	-	3	-	1

• जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक पद और निदेशक पद शामिल नहीं है।

• सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखा परीक्षा समितियों और हितधारक संबंधी समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

12. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, कंपनी के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के कारण, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

आम बैठक

13. पिछली तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान नीचे दिया गया है:

वर्ष	दिनांक और समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2018-19 *	दिसंबर 17, 2020 - 10.40 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015	जी नहीं
2019-20 *	दिसंबर 17, 2020 - 10.50 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015	जी नहीं
2020-21	सितंबर 15, 2021 - 11.20 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।	जी नहीं

*चूंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कंपनी की कोई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पूर्ववर्ती प्रबंधन/आरपी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, नए निदेशक मंडल ने दिसंबर 17, 2020 को उक्त वर्षों के लिए एजीएम बुलाई ताकि कंपनी के लंबित कंपनी अधिनियम के अनुपालन को सीएसएल द्वारा अधिग्रहण से पहले, जहां तक संभव हो, नियमित किया जा सके।

14. इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एक आसाधारण आम बैठक (ईजीएम) भी आयोजित की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया
सितंबर 28, 2021 - 11.00 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015	हाँ*

* उक्त ईजीएम में संस्थापन प्रलेखन में संशोधन और संस्था के अंतर्नियम के नए सेट को अपनाने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए।

15. कंपनी की 38वीं एजीएम सितंबर 19, 2022 को 11.20 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015 पर आयोजित होनेवाली है।

आचार संहिता

16. बोर्ड ने निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता ('संहिता') निर्धारित की है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने मार्च 31, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है :

निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने मार्च 31, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(ह/-)

हरिकुमार ए

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशकों को पारिश्रमिक

17. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक हैं, जिन्हें पदेन आधार पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, निदेशकों को कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों सहित कोई पारिश्रमिक देय नहीं है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निदेशकों और कंपनी के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

अन्य प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टी लेनदेन

18. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संघर्ष कर सकता है या हो सकता है।

(ii) कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन

19. कंपनी द्वारा गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं था और कंपनी पर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर, कंपनी के इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान कोई दंड/प्रतिबंध नहीं लगाई गई थी।

(iii) मुखबिर नीति

20. कंपनी की एक प्रभावी मुखबिर नीति है, जो हितधारकों को अवैध या अनैतिक प्रथाओं, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन जैसे मामलों को प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी द्वारा अपनाई गई मुखबिर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति, कंपनी पर लागू होती है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की मुखबिर नीति / सतर्कता तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त नीति को सीएसएल की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और इसे https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर देखा जा सकता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक को सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

(iv) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

21. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक जुलाई 08, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन (का. ज्ञा.) एफ.सं. 18(8)/2005- जीएम के अनुसरण में, कंपनी, अपने संचालन को शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया में

होने के कारण, निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई थी। जुलाई, 2021 के दौरान, कंपनी ने कोविड से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद हैंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया और माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को पूरी तरह चालू करने की गतिविधियां अभी भी प्रगति पर हैं। कंपनी माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को पूरी तरह चालू करने और मौजूदा आदेशों को क्रियान्वित करने में अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है, जो कड़े समय-सीमा का पालन करती है। समानांतर रूप से कंपनी निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु, जहां कहीं लागू हो, आवश्यक प्रणाली भी स्थापित कर रही है।

(v) वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण।

22. वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (जो पूर्व पोत परिवहन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सितंबर 2020 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में, जहां कहीं लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का संकलन कर रही है।

(vi) लेखा बहियों में डेबिट किए गए व्यय की वस्तुएं, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं।

शून्य

(vii) वे व्यय जो स्वरूप से व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

शून्य

(viii) वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल का 9.62% (पिछले वर्ष 7.07%) था। वित्तीय व्यय वर्ष 2021-22 के कुल व्यय का 2.12% (पिछले वर्ष 1.55%) था।

(ix) परिणामों के संचार का माध्यम

23. चूंकि कंपनी का शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक परिणाम प्रकाशित करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के समेकित वित्तीय परिणाम (तिमाही/छमाही/वार्षिक), नियंत्रक कंपनी जो कंपनी के वित्तीय परिणामों को भी ध्यान में रखती है, सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार प्रकाशित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और प्रामाणिक

समाचार विज्ञापित कंपनी की वेबसाइट www.tebma.co.in पर उपलब्ध हैं। आगे, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को सीएसएल की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर भी प्रकाशित किया जाता है।

(x) लेखा परीक्षा शर्त

24. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों, मेसर्स शब्बीर और गणेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई शर्त/प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है। कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करती है। हालांकि, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत एक टिप्पणी की है। उस पर प्रबंधन के उत्तर के साथ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

(xi) बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

25. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक हैं, और शिक्षा, उद्योग, रक्षा, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रों में बहुत विशाल, विस्तृत और विविध अनुभव रखते हैं। सीएसएल, जहां आवश्यक समझा जाता है, निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में एक नीति भी अपनाई है।

पत्राचार हेतु पता:

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(पहले टेबमा शिपयार्ड्स के नाम से जाना जाता था)

क्रमांक 377, पषमाथुर गांव

पुकाथुरै पोस्ट, मदुरंतकम तालुक

कांचीपुरम- 603 116

ईमेल: secretary.tsl@cochinshipyard.in

वेबसाइट : www.tebma.co.in

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

स्थान : कोच्ची

दिनांक : अगस्त 04, 2022

डीआईएन: 07376798

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी बयान

1. इस प्रबंधन चर्चा में विवरण और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कंपनी के संचालन का परिणाम, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अंतर्गत दूरदेशी हो सकते हैं। दूरदेशी बयान भविष्य की घटनाओं की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। कंपनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सही हैं या उन्हें साकार किया जाएगा। कंपनी किसी भी बाद के घटनाक्रम, सूचना या घटनाओं के आधार पर दूरदेशी बयानों को सार्वजनिक रूप से संशोधित करने, आशोधित करने या परिशोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम बयान में व्यक्त किए गए परिणामों से वास्तव में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारकों में नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में बदलाव, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाट 1 के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है। उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('यूसीएसएल' या 'कंपनी') के प्रबंधन ने विवेकपूर्ण और उचित आधार पर वर्ष के लिए मामलों की स्थिति सहित वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है, ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हों।

2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन बयानों की टिप्पणी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां 'हम', 'हमें', 'हमारी', 'कंपनी', 'यूसीएसएल', 'ग्रुप' के सभी संदर्भ उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और इसकी स्वामित्व कंपनी के संबंध में हैं।

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. कोविड-19 के प्रकोप ने कई देशों में पोत निर्माण उद्योग को प्रभावित किया है और नए निर्माण, रखरखाव और रुपांतरण जैसी शिपयार्ड परियोजनाओं

में देरी हुई है। महामारी से प्रेरित रुकावटों के कारण उत्पादन दरों में गिरावट ने बाजार की वृद्धि को बाधित किया है और इस वर्ष भी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, पोत निर्माण बाजार एक कठिन समय का सामना कर रहा है, लेकिन निकट भविष्य में समुद्री व्यापार और आर्थिक विकास, बढ़ती ऊर्जा खपत, पर्यावरण अनुकूल पोतों और नौवहन सेवाओं की मांग और पोत निर्माण में रोबोटिक्स के आगमन के कारण इसके बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, पोत निर्माण क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के बढ़ते विकास के परिणामस्वरूप पोत निर्माण बाजार में वृद्धि होने की संभावना है।

- समुद्री परिवहन वैश्वीकृत व्यापार और विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ है, क्योंकि दुनिया के चार-पांचवें से अधिक व्यापारिक व्यापार समुद्री मार्ग के माध्यम से किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में समुद्री परिवहन की मांग में वृद्धि हुई है। कोविड-19 के चरम के बाद से व्यापार लेन की मांग में लगातार सुधार हो रहा है, जो कई पत्तन प्रचालकों को विस्तार के लिए प्रेरित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार या समुद्री परिवहन में क्रमिक वृद्धि से टैकरों, मालवाहक पोतों और थोक वाहकों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जो पोत निर्माण उद्योग के दृष्टिकोण को और मजबूत करता है।
- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप आयात और निर्यात वस्तुओं की अत्यधिक बढ़ी हुई आवश्यकता के कारण, पोत निर्माण एक आवश्यक रणनीतिक उद्योग बन गया है। हालांकि, यूरोप कृत्रिम पोत निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है, पूर्वी एशियाई क्षेत्र पोत निर्माण पर हावी है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया दुनिया के शीर्ष पोत निर्माण राष्ट्र हैं।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

6. भारत में 12 प्रमुख और 200+ गैर प्रमुख पत्तनों के साथ 7500 किमी लंबी तटरेखा और नौगम्य जलमार्गों के विशाल नेटवर्क के साथ एक महत्वपूर्ण आकार का समुद्री क्षेत्र शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधनों के लिए देश की खपत प्रोफाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रयास के साथ, पोत निर्माण उद्योग को विकसित करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। पिछले कई वर्षों में, भारत वैश्विक और साथ ही घरेलू पोत निर्माण उद्योग में अपने पदचिह्न का विस्तार करने में सक्षम होने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पोत निर्माण क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता को धीरे-धीरे और लगातार बढ़ रहा है।

7. पोत निर्माण उद्योग में वैश्विक मंदी ने भारतीय शिपयार्डों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम हो गई है। भारतीय पोत निर्माण में प्राथमिक मुद्दों में से एक वैश्विक स्तर की तुलना में उच्च लागत का नुकसान है। पोत निर्माण का भविष्य हरित प्रौद्योगिकी, स्वायत्त जहाजों और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है।

8. भारत सरकार ने पोत निर्माण उद्योग के कार्याकल्प के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए हैं, जैसे :

क. पोत निर्माण पर वित्तीय सहायता नीति (2016),

ख. बुनियादी ढांचे की स्थिति का अनुदान (2016),

ग. आत्मनिर्भर भारत नीति (2020 में संशोधित),

घ. टगों की खरीद/चार्टरिंग के लिए एसओपी (2020), तथा

ङ. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020)

9. सक्रिय सरकारी योजनाओं के साथ नौगम्य जलमार्गों और समुद्र तट के विशाल नेटवर्क से महासागर, तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। यह घरेलू पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगा और आनेवाले वर्षों में सकारात्मक विकास पथ को बढ़ावा देगा।

प्रचालन

10. सितंबर 2020 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से, संचालन शुरू करने के लिए कंपनी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद सुधार गतिविधियों को

13. कंपनी ने मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष के 136.04 लाख रुपए की हानि के मुकाबले 1294.13 लाख रुपए की हानि की सूचना दी है। इसके अलावा, कंपनी ने मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 1008.06 लाख रुपए की कुल आय दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष 74.74 लाख रुपए थी। रिपोर्टिंग अवधि के लिए वित्तीय विशिष्टताएं नीचे दिए गए हैं :-

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	कुल आय	1008.06	74.74
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	(128.83)	(101.84)
(iii)	वित्तीय लागत	53.45	23.14
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1322.03	1284.46
(v)	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1504.31)	(1409.44)
(vi)	कर	(485.33)	(10.00)
(vii)	असाधारण मदे	275.15	1263.40
(viii)	कुल लाभ/(हानि)	(1294.13)	(136.04)
(ix)	निवल मूल्य	12431.53	13653.21

प्रस्तावित लाभांश

14. विभाज्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण किसी लाभांश की अनुशांसा नहीं की जाती है।

खंडवार/उत्पादवार निष्पादन

15. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी ने अपने पोत निर्माण कार्यों की शुरुआत की थी और इसलिए, पोत निर्माण को खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से रिपोर्ट करने योग्य खंड के रूप में माना जाता है। समीक्षाधीन अवधि के लिए पोत निर्माण खंड में कंपनी का प्रदर्शन नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 को
खंड परिसंपत्तियां	
पोत निर्माण	7742.24
अन्य	9382.06
कुल	17124.30
खंड देयताएं	
पोत निर्माण	741.68
अन्य	4692.77
कुल	5434.45
खंड राजस्व	
पोत निर्माण	641.98
अनाबंटित	366.08
कुल	1008.06
खंड परिणाम	
पोत निर्माण	27.40
अनाबंटित	(1531.70)
कुल	(1504.30)

चूंकि पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कोई परिचालन नहीं था, उक्त अवधि के लिए खंडवार/उत्पादवार निष्पादन प्रदान नहीं किया गया है।

शक्तियाँ, अपर्याप्तताएं मौकाएं और धमकियां (स्वोट)

16. कंपनी के पास उच्च बुनियादी ढांचा और सुविधाएं हैं, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर बड़े एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जहाजों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई है। इसके अलावा, नियोजित कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम अत्यधिक प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यबल कंपनी की प्रमुख शक्तियों में से एक है। यूसीएसएल भारत के प्रमुख शिपयार्डों में से एक, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, विभिन्न प्रकार के जहाजों के निर्माण और मरम्मत में सीएसएल की विशेषज्ञता और अनुभव कंपनी की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। कंपनी स्वदेशी सहायक उद्योगों के स्थिर विकास और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख उपकरण/कच्चे माल की अनुपलब्धता को योजना के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी कमजोरी मानती है।

17. पोत निर्माण उद्योग और उभरते क्षेत्रों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत मत्स्य ग्रहण जहाजों, टग, पोर्ट क्राफ्ट, छोटे ड्रजर, कार्गो जहाजों, कॉम्पैक्ट विशेषीकृत क्राफ्ट आदि के विकास पर सरकार का जोर प्रचुर अवसर प्रदान करने की उम्मीद है और कंपनी जहां भी संभव हो ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है।

18. कंपनी द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख खतरों में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, श्रम की बढ़ती लागत, खरीद पर कड़े सरकारी नियम, प्रतिस्पर्धियों की संकट मूल्य निर्धारण नीतियां आदि शामिल हैं।

जोखिम और चिंताएं

19. कंपनी ने जुलाई 2021 में हैंगरकट्टा सुविधा में अपना पोत निर्माण कार्य शुरू किया। माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को पूरी तरह तैयार करने के लिए आवश्यक गतिविधियां अभी भी प्रगति पर हैं। साइट से बहिष्कृत जहाज (टग) और अन्य स्कूप को हटाने में व्यावहारिक कठिनाइयां वर्तमान में कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती है। कंपनी साइट को खाली करने और जल्द से जल्द पूर्ण पैमाने पर संचालन शुरू करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

20. माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स और हैंगरकट्टा में कंपनी की सुविधाओं को सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि में स्थापित किया गया था। माल्पे के लिए पट्टा करार 2023 में समाप्त हो जाएगा, जबकि हैंगरकट्टा के लिए पट्टा अवधि 2019 में पहले ही समाप्त हो चुकी है। हालांकि, कंपनी पट्टा किराया का भुगतान जारी रखे हुए है। पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ विचार-विमर्श उन्नत चरणों में है और जल्द ही फलीभूत होने की उम्मीद है।

आंतरिक नियंत्रण

21. बोर्ड ने अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करने और प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

22. मार्च 31, 2022 तक, कंपनी में 63 कर्मचारी हैं जिनमें 22 कार्यपालक, 10 पर्यवेक्षक और 31 कर्मचारी शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी अस्थायी स्थानांतरण आधार पर लगे हुए हैं। कंपनी माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में मुख्य सुविधा को पूरी तरह चालू करने और मौजूदा आदेशों को क्रियान्वित करने में अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है, जो कड़े समय सीमा का पालन करती है। कंपनी अपने कार्यबल को नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा।

पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

23. सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सीएसएल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परिचालन शुरू करने के लिए कंपनी की शिपयार्ड बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु आवश्यक गतिविधियां शुरू की गईं। कंपनी ने सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और संचालन के प्रस्तावों पर विचार करते हुए पर्यावरण संरक्षण, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और ऊर्जा कुशल उपायों को अत्यधिक महत्व दिया था। इसके अलावा, कंपनी ने जुलाई 2021 में कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्युमीनियम कटमरैन हल जहाज निर्माण कार्य शुरू किया था, जो अपनी तरह का एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल नाव है। कंपनी को सीएसएल से ऐसी आठ नावों के निर्माण, आउटफिटिंग और मशीनरी लगाने के आदेश मिले हैं, जिनमें से दो की सुपुर्दगी पहले ही हो चुकी है और अन्य जहाजों पर काम प्रगति पर है। इन आदेशों के निष्पादन के साथ, कंपनी ने एल्युमीनियम के जहाजों के निर्माण और विशेष रूप से हासिल कौशल के लिए आवश्यक दक्षता हासिल कर ली है:

- वेल्डिंग प्रक्रियाओं का विकास जो लगभग शून्य एनडीटी दोषों के साथ गुणवत्तावाले वेल्ड सुनिश्चित करते हैं,

- पतवारों की फिट और फिनिश सुनिश्चित करने के लिए बेहतर हल निर्माण और संगठन प्रक्रिया,
- मिश्रित सामग्री के साथ काम करने की योग्यता,
- एल्युमीनियम में विभिन्न फैब्रिकेशन, परिनिर्माण और आउटफिटिंग कार्यों को करने के लिए सक्षम विक्रेताओं का विकास, तथा
- एल्युमीनियम हल की सतह की तैयारी और पेंटिंग के लिए प्रक्रियाओं की पहचान और विक्रेताओं का विकास।

24. कंपनी सतत विकास में विश्वास करती है और व्यवसाय के संचालन में पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल उपायों को प्राथमिकता देती है। कंपनी जहां भी संभव हो, अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और संचालन में नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास करती है।

25. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में खर्च के लिए 15.34 लाख रु. की राशि खर्च की है। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय अर्जित नहीं की गई है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

26. कंपनी सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और संचालन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोई सीएसआर गतिविधियों को शुरू नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है।

चेतावनी बयान

27. इस 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' में कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, धारणाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करनेवाला विवरण है, जो लागू नियमों और विनियमों के अर्थ के भीतर दूरदेशी बयान हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से प्रत्यक्ष रूप में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालन में अंतर लानेवाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली आर्थिक स्थितियां, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य की स्थिति, सरकारी नीतियां और विनियम, कानून और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष

स्थान : कोच्ची

दिनांक : अगस्त 04, 2022

डीआईएन: 07376798

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) के सदस्य

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की राय

हमने उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य ('कंपनी') के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण) और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है (बाद में 'वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है।)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2022 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि (अन्य व्यापक आय सहित), और समाप्त वर्ष हेतु अपने नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार अपने लेखा परीक्षा का संचालन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2.19 (ए) में वर्णित है, कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को तब पहचानती है जब वह अपने निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों पर राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय हैं, जिसमें पूर्ण निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य आबंटन का अनुमान और राजस्व मान्यता का समय निर्धारित करना शामिल है।

के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामला की अवधारणा

हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. नोट 48 - कंपनी के भविष्य के कार्य-निष्पादन पर कोविड-19 प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के संबंध में है। इस मामले में, हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. नोट 3 - कुलपी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि का मूल्य, जिसका सत्यापन और मूल्यांकन लंबित होने के कारण लेखे में मान्यता नहीं दी गई है और हैंगरकट्टा भूमि पट्टा जो 2019 में समाप्त हो गया है। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बातें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबंधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है :

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबंधित किया

हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

- राजस्व लेखा मानक के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन करना।
- आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण निम्नानुसार है :
- राजस्व लेखांकन मानक के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन करना।

वित्तीय विवरण

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

कंपनी राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर पहचानती है, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता दी जाती है जब कंपनी पोत निर्माण के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में प्रत्यक्ष निष्पादन के माप के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करके समय की अवधि में ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

- निरंतर अनुबंधों का एक नमूना चुनना, और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना, विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित है, और इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में जांच और अवलोकन और साक्ष्य के निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन करना।
- राजस्व लेखांकन मानक के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड करने और प्रकट करने में उपयोग किए जानेवाले अनुबंधों और संबंधित जानकारी से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण का परीक्षण करना।
- चालू और अनुबंधों का एक नमूना चुनना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं करना :
 - इन अनुबंधों में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ना, विश्लेषण करना और पहचानना।
 - कंपनी द्वारा पहचाने और रिकॉर्ड किए गए इन निष्पादन दायित्वों की तुलना करना।
 - राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचार सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखना।

हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है :

- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन करना।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विभिन्न घटकों का विवरण प्राप्त करना और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमानों का विवरण प्राप्त करना।
- निदेशक मंडल की बैठकों में जहां भविष्य के पूर्वानुमानों को मंजूरी दी गई थी, वहां पुष्टि प्राप्त करना।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त मदों पर आयकर अधिनियम में संशोधन और इसके परिणामी प्रभाव से संबंधित प्रबंधन मूल्यांकन का मूल्यांकन करना।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के निर्धारण के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन का मूल्यांकन करना।
- उस अवधि का आकलन करना जिस पर भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी।
- वर्तमान और पिछले वर्षों के बजट के साथ-साथ कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रबंधन के साथ उनके आधार और मान्यताओं के संबंध में इस बात का समर्थन करने के लिए चर्चा की कि आस्थगित कर संपत्ति को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त कर योग्य आय होगी।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

‘वित्तीय विवरणों के लिए नोट 2.27 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - असाधारण मद’ और ‘वित्तीय विवरणों के लिए नोट 36 : असाधारण मद’ में लेखांकन नीतियों का संदर्भ लें।

नए प्रबंधन ने सभी संपत्तियों की वसूली की समीक्षा की है और तदनुसार कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में हानि भत्ता/बट्टे खाते में डाल दिया है – वित्तीय विवरणों में 454.51 लाख रुपए।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और तत्संबंधी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और तत्संबंधी हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रभारी शासन का उत्तरदायित्व

इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार होगा जो भारतीय लेखांकन मानक, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित, इसके अधीन जारी संगत नियमों के साथ पढ़ित, सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय स्थिति, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और उचित दृश्य देता है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया**हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं :**

- उपयोग में मूल्य का निर्धारण करने में लागू मूल्यांकन पद्धति का आकलन करना।
- आंतरिक मूल्यांकन विशेषज्ञों को शामिल करके उपयोग में आनेवाले मूल्य पर पहुँचने के लिए लागू प्रमुख मान्यताओं का आकलन करना।
- भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में की गई हानि के लिए लेखांकन का आकलन करना।

पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो एक सच्चा और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक निदेशक मंडल या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि :

- वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और

लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधड़ी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अविधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की

लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षितानुसार, हम ने **अनुलग्नक 'क'** में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।
- कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम, **अनुलग्नक 'ख'** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निदेशों और अतिरिक्त निदेशों पर एक रिपोर्ट देते हैं।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हैं, और यह हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - हमारी राय में, बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।
 - इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।
 - हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन करता है।
 - कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक जून 5, 2015 द्वारा दी गई छूट के मद्देनजर, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

छ. अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी को दिनांक जून 5, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है।

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 40.1 देखें।
- कंपनी के पास मार्च 31, 2022 तक दीर्घकालिक अनुबंध है, जिस के लिए कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। मार्च 31, 2022 तक कंपनी के पास दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेख में नोट 42 में खुलासा किया गया है, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') शामिल हैं, उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर

प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा ('अंतिम लाभार्थी') या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

कृते **शब्बीर और गणेश**

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 009033एस

सी ए गणेश चेरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 03.05.2022

यूडीआईएन : 22207231AISTVR3455

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुलग्नक

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए लेखा बहियों और अभिलेखों में, हम कहते हैं, कि,

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति के संबंध में :

क. (क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति और उपयोग के अधिकार का प्रासंगिक विवरण शामिल हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है और इस तरह के सत्यापन पर कोई प्रत्यक्ष विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग. जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है, तत्संबंधी संपत्ति कर रसीद और पट्टा करार, हमें प्रदान किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/वाहन विलेख में हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, अन्य सभी अचल संपत्तियों के स्व-निर्मित भवनों और शीर्षक विलेखों के संबंध में शीर्षक (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत् निष्पादित किया जाता है), संपत्ति के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार संयंत्र एवं उपकरण कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। हैंगरकट्टा यार्ड का पट्टा वर्ष 2019 में समाप्त हो गया है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. वर्ष के दौरान मार्च 31, 2022 तक कंपनी के खिला बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई मालसूची सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है और इस तरह के सत्यापन पर सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश के खंड (iii) (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) और (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. कंपनी ने धारा 185 के तहत शामिल पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत आवश्यक लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है। इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

vii. (क) कंपनी आमतौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। मार्च, 31, 2022 तक देय होने की

तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी।

(ख) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 36 में उल्लेख किया गया है, समाधान योजना के कार्यान्वयन के अनुसार, उप खंड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया के संबंध में कोई बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में त्याग दिए या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधार पर या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा हठी चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में बकाया सावधि ऋण उस उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix)(घ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मुखबिर नीति नहीं अपनाई है और वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कोई मुखबिर नीति शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मूल निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मूल निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 163.39 लाख रुपए और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 124.98 लाख रुपए का नकद हानि हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix. वित्तीय अनुपात, पुराने हुए और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं के समर्थन करनेवाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चतता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे शेष राशि से तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है जिसका पुनर्भुगतान तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि, हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि

तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होनेवाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

xx. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है। इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 0090335

सी. गणेश येरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 03-05-2022

यूडीआईएन : 22207231AISTVR3455

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुलग्नक।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश :

हम निम्न दिए गए मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं :

1. सामान्य निदेश

क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है ? यदि हां, तो, वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ, यदि कोई हो, बताए जाए।

हमारी राय में, कंपनी के पास माल सूची प्रबंधन को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है।

ख) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के कोई पुनः संरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट है ? यदि हां, तो, वित्तीय प्रभाव निर्दिष्ट किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो, यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)

कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन थी और समाधान योजना को

दिनांक 04 मार्च 2020 को एनसीएलटी-डिबिजन बेंच-1, चेन्नई द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार ऋणदाता बैंकों के कुल स्वीकृत ऋण में से कुल 602.39 करोड़ रुपए, 9.74% वेतन राशि 58.65 करोड़ रुपए थी, जो अनुमोदित किया और सितंबर 2020 के दौरान उधारदाताओं को भुगतान किया गया था। देनदारियों के बढ़ते खाते में डालने का वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2019-20 में दिया गया था। समाधान योजना के अनुसार, वित्तीय लेनदार बहिष्कृत जहाजों और बहिष्कृत वित्तीय संपत्तियों की आय के लिए भी पात्र हैं।

ग) क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया गया/उपयोग किया गया ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया गया/ उपयोग किया गया था।

ख. उप निदेश

लेखापरीक्षा अवधि के लिए कोई उप निदेश जारी नहीं किया गया था।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 0090335

सी. गणेश येरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 03-05-2022

यूडीआईएन : 22207231AISTVR3455

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2022 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ('दिशानिर्देश नोट')। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित दिशानिर्देश नोट और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन भारतीय लेखा मानक विवरणों के संदर्भ के साथ, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए

आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते **शब्बीर और गणेश**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 0090335

सी. गणेश येरमाल

साझेदार

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 03-05-2022

सदस्यता सं. 207231

यूडीआईएन : 22207231AISTVR3455

दिनांक मार्च 31, 2022 का तुलन पत्र

ब्योरा	टिप्पणी सं.	मार्च 31, 2022 को	मार्च 31, 2021 को
(₹ लाखों में)			
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	8,700.50	9,956.20
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	470.45	103.61
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	14.35	8.96
(घ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	6	30.40	11.95
(ङ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	4,474.85	3,989.52
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	8	-	-
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		13,690.55	14,070.24
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	9	992.21	188.92
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	10	97.51	6.52
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक	11	1,580.51	2,526.99
(iii) उपयुक्त (ii) को छोड़कर बैंक शेष	12	100.88	0.81
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	13	4.53	0.67
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	14	644.52	93.94
कुल चालू परिसंपत्तियां		3,420.16	2,817.85
विक्री के लिए रखे संपत्ति	15	13.59	-
कुल परिसंपत्तियां		17,124.30	16,888.09
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	6,500.00	6,500.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	5,931.53	7,153.21
कुल इक्विटी		12,431.53	13,653.21
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	1,500.00	500.00
(ia) पट्टा देयताएं	19	61.90	75.39
(ख) प्रावधान	20	8.03	-
कुल अप्रचलित देयताएं		1,569.93	575.39
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार			
(ia) पट्टा देयताएं	21	14.96	8.44
(ii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि		373.22	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि	22	64.19	0.83
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		1,449.64	1,432.30
(ख) अन्य चालू देयताएं	24	209.76	7.14
(ग) प्रावधान	25	1,011.07	1,210.78
कुल चालू देयताएं		3,122.84	2,659.49
कुल इक्विटी और देयताएं		17,124.30	16,888.09

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1 - 2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3 - 50

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं. A41969 कोच्ची. दिनांक मई 03, 2022	षिबु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जोस वी जे निदेशक (वित्त) डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
--	--	--	---	--

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.

सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 009033एस)

सीए. गणेश चेरमाल
साझेदार
(सदस्यता सं. 207231)
यूडीआईएन: 22207231AISTVR3455
उडुपी, दिनांक: मई 03, 2022

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का विवरण

क्र. सं.	ब्योरा	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31.03.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2021
	आय			
I	प्रचालनों से आय	26	641.98	0.00
II	अन्य आय	27	366.08	74.74
III	कुल आय (I+II)		1008.06	74.74
IV	व्यय			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	28	389.73	-
	कार्य प्रगति की सूची में परिवर्तन	29	(352.31)	-
	उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	30	387.09	-
	कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	31	451.72	71.60
	वित्तीय मूल्य	32	53.45	23.14
	मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	33	1322.03	1284.46
	अन्य व्यय	34	241.77	104.98
	प्रत्याशित हानियों और व्यय के लिए प्रावधान	35	18.89	-
	कुल व्यय (IV)		2512.37	1484.18
V	विशेष मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)		(1504.31)	(1409.44)
VI	विशेष मद	36	275.15	(1263.40)
VII	कर पूर्व लाभ/ (हानि) (V-VI)		(1779.46)	(146.04)
VIII	कर व्यय			
	(1) चालू कर		-	-
	(2) आस्थगित कर	7	(485.33)	(10.00)
IX	अवधि/वर्ष के लिए लाभ/हानि (VI-VIII)		(1294.13)	(136.04)
X	अन्य ब्योरेदार आय			
	(क) मदों को लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-	-
	(ख) मदों को लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		-	-
XI	वर्ष के लिए कुल ब्योरेदार आय (IX+X)		(1294.13)	(136.04)
XII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10)		6500.00	6500.00
	प्रत्येक ₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर	37		
	(1) मूल (₹ में)		(1.99)	(0.21)
	(2) तनुकृत (₹ में)		(1.99)	(0.21)
			वार्षिक	वार्षिक

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1 - 2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3 - 50

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं. A41969 कोच्ची. दिनांक मई 03, 2022	षिबु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जोस वी जे निदेशक (वित्त) डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
--	--	--	---	--

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.

सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 009033एस)

सीए. गणेश चेरमाल
साझेदार
(सदस्यता सं. 207231)
यूडीआईएन: 22207231AISTVR3455
उडुपी, दिनांक: मई 03, 2022

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. शेयर पूंजी

अप्रैल 01, 2021 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को
6,500.00	0.00	6,500.00

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01, 2020 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 को
20,236.15	- 13,736.15	6,500.00

(₹ लाखों में)

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षण व अधिशेष			कुल
	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2021 को शेष	-	7,289.25	(136.04)	7,153.21
जोड़ : हैंगरकट्टा भूमि का उचित मूल्य पर विचार किया गया	-	72.45	-	72.45
वर्ष के लिए लाभ	-	-	(1,294.13)	(1,294.13)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
मार्च 31, 2022 को शेष	-	7,361.70	(1,430.17)	5,931.53

(₹ लाखों में)

	आरक्षण व अधिशेष			कुल
	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2020 को शेष	12,194.71	228.33	(29,203.96)	(16,780.92)
पूंजी के रद्द होने के कारण समायोजन	(12,194.71)	12,194.71	-	-
शेयर पूंजी रद्द करना	-	20,236.15	-	20,236.15
जोड़: लैंकाशी के जमीन और वाहनों का किया गया उचित मूल्यांकन	-	194.83	-	194.83
जोड़: डीटीए खोलना	-	-	3,979.52	3,979.52
घटाना: एमएटी क्रेडिट को रद्द करना औ प्राप्य टीडीएस के सामने प्रावधान उत्पन्न करना	-	-	(340.33)	(340.33)
प्रतिधारित आय से सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण	-	(25,564.77)	25,564.77	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	(136.04)	(136.04)
मार्च 31, 2021 को शेष	-	7,289.25	(136.04)	7,153.21

(₹ लाखों में)

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1 - 2
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 3 - 50

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं. A41969 कोच्ची, दिनांक मई 03, 2022	शिवु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जोस वी जे निदेशक (वित्त) डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
---	-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.

सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 009033एस)

सीए. गणेश येरमाल

साझेदार
(सदस्यता सं. 207231)
यूडीआईएन: 22207231AISTVR3455
उडुपी, दिनांक: मई 03, 2022

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(1,779.46)	(146.04)
समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	1,322.03	1,284.46
संपत्ति ता बट्टा खाता	454.51	-
व्याज व्यय	46.93	14.69
व्याज आय	(75.68)	(6.26)
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ)/हानि	(0.36)	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड़ प्रवाह	(32.03)	1,146.85
कार्यशील पूंजी में चलन:		
मालसूचियों में (वृद्धि) / घटती	(804.01)	(188.92)
व्यापार, अन्य प्राप्यों और संपत्तियों में (वृद्धि) / घटती	(660.01)	(87.73)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	450.67	735.66
	(1,045.38)	1,605.85
आयकर प्रदत्त (बापसी निवल)	-	-
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड़ (क)	(1,045.38)	1,605.85
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(466.67)	(68.61)
पूंजीगत काम को प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(365.55)	(103.61)
तीन महीने से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमा की (वृद्धि)/कमी	(100.07)	-
प्राप्त लाभांश	71.82	6.26
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह (ख)	(860.47)	(165.96)
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़		
उधार की चुकोती	-	(5,965.00)
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/हानि	0.36	-
ऋण का उधार	1,000.00	500.00
पूंजी का निर्गम	-	6,500.00
व्याज व्यय	(27.50)	(14.69)
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(13.49)	(20.51)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह (ग)	959.37	999.80
घ. रोकड़ व रोकड़ तुल्यांकों में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	(946.48)	2,439.70
वर्ष के आरंभ में रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक	2,526.99	87.29
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक	1,580.51	2,526.99
रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक के घटक (नोट 11 का संदर्भ लें)		
हाथ में रोकड़	-	-
बैंकों में शेष	-	-
- चालू खाते में	1,580.51	2,526.99
कुल रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक	1,580.51	2,526.99

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 1 - 2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 3 - 50

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं. A41969 कोच्ची, दिनांक मई 03, 2022	शिवु जॉण मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जोस वी जे निदेशक (वित्त) डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
---	-----------------------------------	---------------------------------------	--	---

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.

सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 009033एस)

सीए. गणेश येरमाल

साझेदार
(सदस्यता सं. 207231)
यूडीआईएन: 22207231AISTVR3455
उडुपी, दिनांक: मई 03, 2022

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक जहाजों और भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत के निर्माण और मरम्मत में लगी कंपनी दिनांक जुलाई 09, 1984 को स्थापित किया गया था। टीएसएल को 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था, जो 'टेबमा इंजीनियरिंग लिमिटेड' के रूप में सार्वजनिक हो गया और बाद में इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया। सितंबर 2020 में कंपनी को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के ज़रिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) एक सीपीएसई, जो कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में है, द्वारा अधिग्रहित किया गया था। परिणामतः 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम बदलकर 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' कर दिया गया।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम, पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक, कांचीपुरम - 603 116 पर स्थित है। यूसीएसएल के दो यार्ड हैं, एक माल्पे, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट - तमिलनाडु में है। इसकी हेंगरकट्टा (माल्पे यार्ड लगभग 20 कि.मी.) में एक प्रमुख निर्माण इकाई है। कंपनी पोत निर्माण उद्योग में अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए जानी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 03 मई 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

यूसीएसएल ने आदेशों के रद्द करने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव किया और वर्ष 2010 में कंपनी ने बैंकों के कंसोर्टियम के साथ एक पूंजी ऋण पुनर्गठन समझौता किया और अप्रैल, 2011 में मास्टर पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कंपनी विफलता के परिणामस्वरूप, परिचालन लेनदारों में से एक ने वर्ष 2018 में कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत एक दिवाला याचिका दायर की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने अपने दिनांक 25 सितंबर, 2018 के आदेश के तहत याचिका को अनुमति दी और कंपनी को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत रखा गया था। (इसके बाद 'समाधान प्रक्रिया' के रूप में संदर्भित।)

संकल्प प्रक्रिया के दौरान, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यूसीएसएल के अधिग्रहण के लिए अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की और एनसीएलटी, चेन्नई ने अपने आदेश दिनांक 04 मार्च 2020 के द्वारा उक्त समाधान योजना को मंजूरी दी। नतीजतन, संकल्प योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू की गई थी और सीएसएल नामितियों, संकल्प पेशेवर और सीओसी नामिती से मिलाकर एक निगरानी समिति का गठन किया गया था जो कि समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और एनसीएलटी के आदेश की तारीख से बोली की राशि के भुगतान तक यूसीएसएल के अस्थायी प्रबंधन की निगरानी के लिए गठित की गई थी। दिनांक 15 सितंबर, 2020 को सीएसएल ने कंपनी के अधिग्रहण के लिए बोली राशि का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी बन गई और सीएसएल द्वारा नामित नए निदेशक मंडल ने कंपनी का कार्यभार संभाला। इसके अलावा, अनुमोदित समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश में उल्लिखित सीमा को छोड़कर कंपनी के सभी दावे/बकाया/देयताएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। इसके साथ ही कंपनी की समाधान प्रक्रिया समाप्त हो गई।

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

2.2 भारतीय लेखा मानक विवरण का अनुपालन

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को समय-समय पर और अन्य लेखा सिद्धांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं उसके अनुसार संशोधित किया गया है।

2.3 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय साधनों, पीपीई और आरओयू परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

इन्ड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता औप बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की

पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

गैर उद्भूत निवेशों की हानि

कंपनी हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मत हेतु प्रावधान

कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर नव निर्मित पोतों/छोटे जहाजों की सुपुर्दगी और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में गारंटी मरम्मत/दावों के लिए प्रावधान किया गया है। पोतों के मालिकों से प्राप्त गारंटी दावों की हर साल उनके निपटान तक समीक्षा की जाती है। पूर्व में किए गए प्रावधान में कमी होने पर अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अग्रिमों/प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की वसूली के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। 'संदिग्ध ऋणों की पहचान हेतु निर्णय और अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है। जहां अपेक्षा मूल अनुमान से अलग है, इस तरह के अंतर से व्यापार और अन्य प्राप्तियों और खर्चों के वहन मूल्य उस अवधि में संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के कारण प्रभावित होंगे, जिसमें इस तरह के अनुमान को बदल दिया गया है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, अपेक्षित जीवन पर देखी गई महत्वपूर्ण बकाया दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्तियों और अग्रिमों पर अपेक्षित साख हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे जोड़ेगा, इसके साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल हैं। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों के लिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मर्दों के वहन मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिसमापन क्षतिपूर्ति

कंपनी के नाम परिसमापन नुकसान के दावों को समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अनुबंधों के अधूरे हिस्से पर अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान उस अवधि में प्रदान किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षित अनुबंध अनुमानों के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। कंपनी के नाम परिसमापन नुकसान के दावों को समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पी पी ई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया गया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य कोई लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृत तक (योग्य परिसंपत्तियों का निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मर्दों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की वहन राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभावित किया है।

कंपनी ने परिवर्तन के समय परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में मानने के लिए चुना था।

2.7 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.8 अगोचर परिसंपत्ति

डिज़ाइन विकास : डिज़ाइन विकास पर खर्च की गई लागत जो किसी उत्पाद पर सीधे प्रभाय नहीं होती है, उसे अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पांच साल की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर : सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए प्राप्त संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, उसे अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और तीन साल की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.9 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) 'पट्टे' दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में :

कंपनी की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल हैं, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (I) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल हैं, (II) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफ़ी हैं और (III) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है। उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है। एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है। पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है। पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

2.10 मूल्यहास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है। प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती हैं।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उसी के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
विद्युत स्थापना/ फिटिंग	10 वर्ष
वाहन	8- 10 वर्ष
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष

पट्टेदार भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। कुछ इमारतों और स्लिपवे सहित पट्टेदार सुधार शेष अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के निचले हिस्से में मूल्यहास कर रहे हैं। 5,000 रुपए से कम की व्यक्तिगत संपत्ति की खरीद के वर्ष में 100% मूल्यहास किया जाता है।

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रणीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां

कंपनी एक गैर-चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है कि जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत, बंद किए गए प्रचालनों सहित गैर-चालू परिसंपत्तियों को निपटान की लागत को घटाकर वहन करनेवाली राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, संपत्ति मूल्यहास या परिशोधन के अधीन नहीं होती है। बंद किए गए प्रचालनों की बिक्री या पुनः माप से उत्पन्न होनेवाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में एकल रेखा मद के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.13 माल सूची

(क) कच्चे माल, घटकों, स्टोर और पुर्जों का मूल्यांकन भारत औरसत लागत पद्धति या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। हालांकि, उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है, यदि तैयार उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, की कीमत या उससे अधिक कीमत पर बेचे जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/अनुपयोगी/खराब होने का प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पारगमन में माल का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ख) स्टॉक में ढीले औजारों को बही मूल्य के 30% पर अनुमानित पुनर्मूल्यांकन पर हानि प्रदान करने के बाद मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ग) स्क्रेप पर देय सीमा शुल्क, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(घ) निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य प्रगति में कार्य का मूल्यांकन लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

(ङ) तैयार माल का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधन लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से नहीं मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है।

लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि के माध्यम से मापा जाता है जब तक कि प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से इसे परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के कारण प्रत्यक्ष लेन-देन की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी ऐसे व्यवसाय के भीतर होती हैं जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को रखना है ताकि संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को सृजित कर देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी इक्विटी लिखतों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने हेतु उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय छोट कर सकती है। कंपनी इस तरह की छोट साधन-दर-उपकरण के आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं :

परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य है - 1. संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और 2. परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों को सृजित करती है जो केवल मूलधन बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं। प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानि से उत्पन्न होनेवाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी प्रदेय के बदले में विचार करने के अधिकार को प्राप्य या अनुबंध संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है। एक प्राप्य विचार करने का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति या कंपनी की वित्तीय संपत्ति खराब है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय संपत्ति से कंपनी प्रभावित है। भारतीय लेखा

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

मानक 109 में अपेक्षित क्रेडिट हानि को हानि भत्ते के माध्यम से मापने की आवश्यकता है।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानियों के पहचानती है जो एक वित्तपोषण लेनदेन का गठन नहीं करते हैं। क्षति हानि भत्ता भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यावहारिक उपाय के रूप में, कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों के पोर्टफोलियो पर हानि का निर्धारण करने हेतु एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

जब ऋण तीन वर्ष से अधिक हो या यह संभावित /निश्चित हो कि ऋण वसूली योग्य नहीं है, तो वसूली के लिए संदिग्ध मानी जानेवाली सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है। जहां कानूनी कार्यवाही में ऋण विवादित है, कंपनी के खिलाफ कोई निर्णय दिए जाने पर प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च अधिकारियों/अदालतों में अपनी पर लिया गया हो। क्षति हानि भत्ता (या उत्क्रमण) जिसे रिपोर्टिंग तिथि पर पहचाना जाना आवश्यक है, उसे लाभ और हानि खाते के विवरण में क्षति हानि या लाभ के रूप में मान्यता दी गई है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

इक्विटी साधन

एक इक्विटी साधन एक अनुबंध है जो कंपनी की सभी देयताओं में कटौती के बाद कंपनी की संपत्ति में अवशिष्ट ब्याज का सबूत देता है। इक्विटी लिखतों को प्रत्यक्ष निर्गम लागत के निवल प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और वित्तीय विवरणों में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और परिसंपत्तियों की वसूली और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए शुद्ध आधार निपटान करने का इरादा है।

2.15 रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य

जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

2.16 अनुबंध संपत्ति

जहां कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले माल या सेवाओं की किसी ग्राहक को हस्तांतरित करके निष्पादन करती है, कंपनी अनुबंध को एक अनुबंध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध परिसंपत्ति कंपनी द्वारा ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के बदले में विचार करने का कंपनी का अधिकार है। भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अनुबंध की संपत्ति की समीक्षा की जाती है।

2.17. अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को प्रतिफल प्राप्त होता है, या कंपनी के पास बिना शर्त (यानी प्राप्य) की राशि का अधिकार है, इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को कोई अच्छी या सेवा हस्तांतरित करे, कंपनी अनुबंध को अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करती है, जब भुगतान किया जाता है या भुगतान देय होता है (जो भी पहले हो)। एक अनुबंध देयता एक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

वितरित किए गए पोटों/छोटे क्राफ्टों के संबंध में, जहां कहीं भी प्रदान किया गया है/खरखवाव किया गया है, गारंटी दावों का प्रावधान तकनीकी अनुमान पर आधारित है। सुपुर्द किए गए पोटों के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, गारंटी दावों को मामला दर मामला आधार पर गारंटी अवधि को शामिल करनेवाली बीमा पॉलिसियों के माध्यम से कवर किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होता है, तो कंपनी उसे उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में मानती है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं देती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ की आमद संभव है।

2.19 राजस्व मान्यता

क) संचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता दी जाती है जब कंपनी पोत निर्माण के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में प्रत्यक्ष कार्य-निष्पादन के माप के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करके समय की अवधि में ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

अन्य परिचालन राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

ऐसी परिस्थितियों में, जहां कंपनी एक निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में खर्च की गई लागतों की वसूली की उम्मीद करती है, कंपनी केवल उस समय तक खर्च की गई लागत की सीमा तक राजस्व को पहचानती है कि यह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप सकता है। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व

के वर्तमान अनुमान नुकसान का संकेत देते हैं, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, भले ही काम की मात्रा कुछ भी हो।

अनुबंध संशोधनों का हिसाब तब दिया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन स्वीकृत होता है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी पकड के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलॉन बिक्री मूल्य पर है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में माना जाता है, जबकि यदि संशोधन की कीमत स्टैंडअलॉन बिक्री मूल्य पर नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में माना जाता है।

यदि अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में छूट, घटौती, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसी परिवर्तनीय राशियां शामिल हैं, तो कंपनी उस प्रतिफल की शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है, जिस पर ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को अंतरित करने के बदले में कंपनी हकदार है और उसी के लिए लेखा रखते हैं।

ख) अन्य आय

1) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि के लिए व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी व्यय के रूप में पहचानती है, संबंधित लागत जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। जहां अनुदान एक परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को उन खर्चों के समवर्ती लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिनसे इस तरह के अनुदान संबंधित हैं/शामिल करने का इरादा है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हैं, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे प्राप्य हो जाते हैं।

ii) परिसमापन नुकसान और अग्रिमों पर ब्याज

(क) दिए गए अग्रिमों पर ब्याज और (ख) परिसमापन नुकसान पर कोई आय मान्यता प्राप्त नहीं है, जहां आरोपित राशि अनुबंध की अप्रत्याशित स्थिति के संबंध में निर्णयों पर निर्भर करती है। इनका हिसाब अनुबंधों के पूरा होने और/या अंतिम निर्णय लेने पर लिया जाता है।

लंबी अवधि के पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर निष्पादन के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता को ब्याज युक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रावधान है, मोबिलाइजेशन अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

iii) बीमा दावों के लिए लेखांकन

(क) वारंटी/निर्माता जोखिम दावे

पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के तहत वारंटी बीमा पॉलिसियों या दावों के तहत कवर किए गए गारंटी दोषों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को वित्तीय विवरणों में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें सर्वेक्षण पूरा किया गया है और बीमा कंपनी द्वारा निपटान की संभावित राशि सूचित किया गया है।

(ख) अन्य बीमा पॉलिसियां

अन्य बीमा पॉलिसियों जैसे परिसंपत्ति बीमा, पारगमन बीमा, समुद्री बीमा, नकद बीमा आदि के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के माध्यम से दावों के निपटान पर वित्तीय विवरणों में दावों की पहचान की जाती है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

iv) ब्याज आय

सावधि जमे के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है जब यह प्रत्येक सावधि जमा पर लागू ब्याज दर लागू करके कंपनी को प्राप्त होती है।

v) पोत निर्माण और पोत मरम्मत के संबंध में स्क्रेप आय को परिचालन आय के रूप में माना जाता है और इसके अलावा अन्य आय के रूप में माना जाता है।

vi) चार्टर किराया प्रभार आय का लेखा समय अवधि के आधार पर किया जाता है।

2.20 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालिक है, शामिल है।

भविष्य निधि : भविष्य निधि में योगदान (एक निर्धारित योगदान योजना) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है। मासिक योगदान के अलावा भविष्य निधि लाभों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी पात्र कर्मचारियों को शामिल करते हुए अनुदान, एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। इसकी निर्धारित लाभ योजना के संबंध में, तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाती है। निर्धारित लाभ दायित्व की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाधिको द्वारा आवधिक रूप से की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, सरकारी बांडों को बाजार प्रतिफल का उपयोग करके, जिसमें संबंधित देयता की शर्तों का अनुमान लगाया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निवल निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर निवल ब्याज आय/(व्यय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होनेवाले पुनर्माप लाभ और हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना संशोधन या कटौती के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछले सेवा लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

2.21 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.22 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.23 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य

व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी वहन राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी जो कि यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करना अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी करधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2.24 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर की मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोग्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.25 खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जिसका मूल्यांकन मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता द्वारा नियमित रूप से किया जाता है, यह तय करने में कि संसाधनों को कैसे आबंटित किया जाए और निष्पादन का आकलन किया जाए। कंपनी का मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।

कंपनी ने रिपोर्ट करने योग्य खंडों के रूप में व्यावसायिक खंडों (उद्योग कार्य) की पहचान की है। व्यापार खंडों में शामिल हैं : 1) पोत निर्माण और 2) अन्य।

खंड राजस्व, खंड व्यय, खंड संपत्ति और खंड देयताओं को खंड की प्रचालन गतिविधियों के संबंध के आधार पर खंडों के लिए पहचाना गया है। राजस्व, व्यय, संपत्ति और देयताओं जो समग्र रूप से कंपनी से संबंधित हैं और उचित आधार पर खंडों के लिए आबंटित नहीं हैं, उन्हें 'असंबद्ध राजस्व/व्यय/संपत्ति/देयताओं' के तहत शामिल किया गया है।

2.26 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.27 आसाधरण मदे

आय या व्यय का एक मद जिसका आकार, प्रकार या घटना के अनुसार कंपनी के कार्य-निष्पादन की समझ में सुधार करने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, को एक असाधारण वस्तु के रूप में माना जाता है और वित्तीय विवरणों में और भारतीय लेखा मानक III पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार भी प्रकट किया जाता है।

2.28 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

तुलन पत्र में संपत्ति और देयताएं चालू/गैर-चालू वर्गीकरण पर आधारित हैं।

परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण, जहां भी लागू हो, कंपनी की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के सामान्य प्रचालन चक्रों पर आधारित है, जो निम्नानुसार हैं:

(क) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से गारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख तक की समय अवधि के रूप में सामान्य प्रचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ख) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य प्रचालन चक्र 12 महीने है।

एक संपत्ति को चालू के रूप में निम्नलिखितानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

(i) सामान्य प्रचालन चक्र में एहसास होने या बेचने या उपभोग करने का इरादा होने की उम्मीद है,

(ii) मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संभाला जाता है,

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर एहसास होने की उम्मीद है, या

(iv) नकद या नकद समकक्ष जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी संपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता को निम्नलिखितानुसार चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(i) सामान्य प्रचालन चक्र व्यवस्थित होने की उम्मीद है,

(ii) मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संभाला जाता है,

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाने के कारण, या

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iv) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू देयताओं के रूप में माना जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति और देयताओं को गैर-चालू संपत्ति और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.29 विदेशी मुद्रा लेनदेन

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में कार्यात्मक मुद्रा के रूप में तैयार किए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग के लेन-देन शुरू में लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा दरों पर अंतरित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जानेवाली गैर-मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों में विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अंतरण पर उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.30 नव घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को

अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च 2022 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया।

भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण - संशोधन स्पष्ट करता है कि परीक्षण की लागत, यदि कोई हो, से अधिक उत्पादित वस्तुओं की निवल बिक्री आय की अधिकता को लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत के हिस्से के रूप में मानी जानेवाली सीधे जिम्मेदार लागत से कटौती की जाती है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखा मानक 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां - संशोधन निर्दिष्ट करता है कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वह लागत शामिल है जो सीधे अनुबंध से संबंधित है। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या अन्य लागतों का आबंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (एक उदाहरण अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के लिए मूल्यहास शुल्क का आबंटन होगा)। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि अप्रैल 01, 2022 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि है, हालांकि जल्दी अपनाने की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन मूल्यांकन किया है और प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

दि. मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

ब्योरा	सकल वहन राशि		मूल्यांकन		निवल वहन राशि			
	01 अप्रैल, 2021 तक	जोड़/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	01 अप्रैल, 2021 तक	वर्ष के लिए समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
मूल संपत्ति								
भूमि - पूर्ण स्वामित्व	2,607.87	72.45	-	2,680.32	-	-	2,680.32	2,607.87
इमारतें	2,062.96	99.13	8.10	2,153.99	188.30	190.53	1,783.17	1,874.66
संयंत्र और मशीनरी	4,679.23	266.54	770.39	4,175.38	1,089.78	566.45	1,320.81	3,589.45
कार्यालय उपकरण	40.82	3.01	19.42	24.41	8.21	6.85	19.58	32.61
फर्नीचर और जुड़ाव	27.93	-	9.91	18.02	10.37	4.98	8.16	9.86
कंप्यूटर	18.06	43.57	17.26	44.37	10.80	8.09	7.89	36.48
विद्युत स्थापना	-	27.57	-	27.57	-	0.15	27.42	-
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	14.21	5.37	-	19.58	0.08	1.74	17.76	14.13
वाहन	7.33	-	-	7.33	0.69	1.39	5.25	6.64
उप कुल	9,458.41	517.64	825.08	9,150.97	1,308.23	780.18	1,716.56	8,150.18
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ								
इमारतें	1,830.40	-	20.76	1,809.64	749.03	281.53	1,024.69	1,081.37
स्लिवे	1,108.00	9.99	-	1,117.99	453.40	227.65	681.05	654.60
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (भारतीय लेखा मानक 116)	95.90	-	-	95.90	25.85	25.85	51.70	70.05
उप कुल	3,034.30	9.99	20.76	3,023.53	1,228.28	535.03	1,757.44	1,806.02
कुल	12,492.71	527.63	845.84	12,174.50	2,536.51	1,315.21	3,474.00	9,956.20

दि. मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

ब्योरा	सकल वहन राशि		मूल्यांकन		निवल वहन राशि			
	01 अप्रैल, 2020 तक	जोड़/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	01 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के लिए समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
मूल संपत्ति								
भूमि - पूर्ण स्वामित्व	2,420.37	187.50	-	2,607.87	-	-	2,607.87	2,420.37
इमारतें	2,060.41	2.55	-	2,062.96	94.28	94.02	1,874.66	1,966.13
संयंत्र और मशीनरी	4,657.45	21.78	-	4,679.23	545.25	544.53	3,589.45	4,112.19
कार्यालय उपकरण	19.42	21.40	-	40.82	3.81	4.40	32.61	15.62
फर्नीचर और जुड़ाव	20.06	7.87	-	27.93	5.18	5.19	17.56	14.88
कंप्यूटर	17.26	0.80	-	18.06	5.66	5.14	7.26	11.59
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	-	14.21	-	14.21	-	0.08	14.13	-
वाहन	-	7.33	-	7.33	-	0.69	6.64	-
उप कुल	9,194.97	263.44	-	9,458.41	654.18	654.05	8,150.18	8,540.79
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ								
इमारतें	1,830.40	-	-	1,830.40	375.03	374.00	1,081.37	1,455.38
स्लिवे	1,108.00	-	-	1,108.00	227.01	226.39	654.60	880.99
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (भारतीय लेखा मानक 116)	-	95.90	-	95.90	-	25.85	70.05	-
उप कुल	2,938.40	95.90	-	3,034.30	602.04	626.24	1,806.02	2,336.36
कुल	12,133.37	359.34	-	12,492.71	1,256.22	1,280.29	9,956.20	10,877.15

यूसीएसएला ने माल्ये हॉरकट्टा में पट्टे पर ली गई भूमि के लिए कुंडापुरा पत्तन और कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। माल्ये के लिए पट्टा करार 2023 में समाप्त हो जाएगा, जबकि हॉरकट्टा भूमि के लिए पट्टे की अवधि 2019 में पहले ही समाप्त हो चुकी है। पट्टा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस बीच कंपनी ने वर्ष के दौरान माल्ये पट्टे के किराए के लिए 13.49 लाख रुपए और हॉरकट्टा पट्टे के किराए के लिए 1.67 लाख रुपए प्रदत्त किए। भारतीय लेखा मानक 116 केवल माल्ये पट्टेदार भूमि के लिए लागू होता है।

हॉरकट्टा में 78.05 सेंट भूमि का मूल्य 72.45 लाख रुपए है और इसे सामान्य आरक्षित निधि में मान्यता दी गई है। कुल्यी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि के मूल्य को लंबित सत्यापन और उसी के मूल्यांकन के कारण लेखे में मान्यता नहीं दी गई है।

माल्ये यार्ड में पट्टेदार भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग (नॉन रिमूवेबल एसेट्स) के लिए अलग और परिवहन नहीं की जा सकने वाली संपत्तियां पट्टे की अवधि और उन परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के निचले हिस्से पर परिशीलित/ मूल्यांकन की जाती है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 4: पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	470.45	103.61
कुल	470.45	103.61

(₹ लाखों में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	456.32	14.13	-	-	470.45
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

कार्य प्रगति पर कोई भी परियोजना बजट समय और लागत के संबंध में अतिदेय नहीं है और इसलिए अतिदेय सीडब्ल्यूआईपी अनुसूची लागू नहीं है।

नोट 5: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				ऋणमुक्ति				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2021 तक	जोड़/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	01 अप्रैल, 2021 तक	वर्ष के लिए	समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
सोफ्टवेयर	-	11.49	-	11.49	-	1.29	-	1.29	10.20	-
भूमि उपयोग करने का अधिकार	16.68	-	-	16.68	7.72	4.81	-	12.53	4.15	8.96
कुल	16.68	11.49	-	28.17	7.72	6.10	-	13.82	14.35	8.96

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				ऋणमुक्ति				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल, 2020 तक	जोड़/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	01 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के लिए	समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
भूमि उपयोग करने का अधिकार	16.68	-	-	16.68	3.55	4.17	-	7.72	8.96	13.13
कुल	16.68	-	-	16.68	3.55	4.17	-	7.72	8.96	13.13

अमूर्त संपत्ति के तहत दिखाए गए भूमि के उपयोग का अधिकार माल्पे पट्टेदार भूमि का उपयोग करने हेतु पत्तन अधिकारी कुंडपुरा को भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
आयकर परिसंपत्तियां	30.40	11.95
कुल	30.40	11.95

नोट 7: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
आस्थगित कर दायित्व	489.22	817.69
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(4,964.07)	(4,807.21)
कुल	(4,474.85)	(3,989.52)

वर्ष 2021-22 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (परिसंपत्तियां)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रतिधारित आय में प्रारंभिक शेष स्वीकृत	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	अंतिम शेष
प्रावधान	(314.80)	49.83	(264.97)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	814.56	(325.34)	489.22
अग्रोनित हानियाँ	(4,492.42)	(198.18)	(4,690.60)
अन्य	3.15	(11.65)	(8.50)
कुल	(3,989.52)	(485.33)	(4,474.85)

वर्ष 2020-21 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (परिसंपत्तियां)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रतिधारित आय में प्रारंभिक शेष स्वीकृत	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	अंतिम शेष
प्रावधान	(325.00)	10.20	(314.80)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	971.29	(156.73)	814.56
अग्रोनित हानियाँ	(4,625.81)	133.39	(4,492.42)
अन्य	-	3.15	3.15
कुल	(3,979.52)	(10.00)	(3,989.52)

दिनांक 31 मार्च 2022 तक, कंपनी ने आस्थगित कर संपत्ति को अवशोषित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमोदित वित्तीय अनुमानों के आधार पर भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ की उपलब्धता का आकलन करके आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता का आकलन किया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 8: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
अनुवृत्ति प्राप्य	-	179.36
घटाएँ: प्राप्य अनुवृत्ति का प्रावधान	-	(179.36)
कुल	-	-

(₹ लाखों में)

नोट 9 : मालसूची

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कच्चे माल	3,286.63	2,816.76
कार्य प्रगति	352.31	-
घटाएँ: वस्तुसूची के लिए प्रावधान	(2,646.73)	(2,627.84)
कुल	992.21	188.92

(₹ लाखों में)

नोट 10: प्राप्य व्यापार- चालू

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	97.51	6.52
कुल	97.51	6.52

(₹ लाखों में)

व्यापार प्राप्तियाँ सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्य है। चूँकि व्यापार प्राप्य एक वर्ष से कम के लिए देय हैं, इसलिए भारतीय लेखा मानक 109 के तहत कोई अपेक्षित ऋण हानि भत्ता नहीं दिया जाता है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य माल	97.51	-	-	-	-	97.51
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य माल	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 11: रोकड और रोकड तुल्यांक

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
हाथ में रोकड	-	-
बैंक शेष		
चालू खाते में	96.35	276.65
सावधि जमा		
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	1,484.16	2,250.34
कुल	1,580.51	2,526.99

(₹ लाखों में)

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए अनुमोदित समाधान योजना के तहत बैंकों को बोली राशि का भुगतान किया गया है और यूसीएसएल को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में बनाए गए या मौजूद सभी प्रतिभूति शुल्क, ऋणभार, समाधान योजना के संदर्भ में जारी, उन्मुक्त माने जाते हैं। परिणामस्वरूप बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को मार्जिन राशि जारी की जाएगी। हालाँकि, मार्जिन राशि (कुल मिलाकर लगभग 351.115 लाख रुपये) अभी तक बैंकों द्वारा कंपनी को जारी नहीं की गई है क्योंकि उनके पास उनके द्वारा पहले जारी किए गए बैंक गारंटियों के लिए ग्रहणाधिकार है, जिस यूसीएसएल ने विवादग्रस्त किया है। अतः विवेकपूर्ण आधार पर कंपनी सावधि जमाओं को उस अवधि में मान्यता देगी, जिसमें बैंक वास्तव में मार्जिन राशि जमा जारी करता है।

नोट 12: रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
तीन महीने से कम की मूल परिवक्तावाली धारणाधिकार अंकित सावधि जमा।	100.00	-
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिवक्ता के साथ बैंकों में आवधि जमा	0.88	0.81
कुल	100.88	0.81

(₹ लाखों में)

*तीन महीने से कम परिवक्तावाले बैंकों में जमा, कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में धारणाधिकार के रूप में चिह्नित जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 13: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ- चालू

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
सावधि जमा पर अंकित ब्याज	4.53	0.67
कुल	4.53	0.67

(₹ लाखों में)

नोट 14: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को भुगतान किया गया अग्रिम	2.08	13.84
अनुबंध संपत्ति	260.85	-
विविध जमाराशियाँ	8.89	1.42
पूर्वदत्त व्यय	3.46	25.39
अन्य प्राप्तियाँ	54.32	24.17
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	314.92	29.12
कुल	644.52	93.94

(₹ लाखों में)

अन्य प्राप्त राशियाँ वर्तमान में समाधान पेशेवर द्वारा संचालित सीआईआरपी खाते से बाहर किए गए जहाजों के लिए किए गए व्यय के कारण लेनदारों की समिति (सीओसी) से वसूल की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 15: बिक्री के लिए संभाली गई परिसंपत्तियाँ

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति		13.59		-
कुल		13.59		-

व्यू 4 2021-22 के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की संपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन पर, यह पाया गया कि कंपनी की कुल 468.10 लाख रुपए की विभिन्न संपत्तियाँ जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं या यार्ड के संचालन के बंद होने और कालक्रम में अप्रचलित हो गई हैं। चूंकि ये परिसंपत्तियाँ आर्थिक मरम्मत से परे हैं और काफी जगह घेर रही हैं, इसलिए इन परिसंपत्तियों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सुचारू व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध यार्ड स्थान के अनुकूलतम उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। निपटान के अधीन परिसंपत्तियों को इन वर्गों को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में पुनर्समूहित किया गया है और निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य पर बहियों में रखा गया है और परिसंपत्ति का निपटान 12 महीनों के भीतर किया जाएगा। संपत्ति के डब्ल्यूडीवी और एनआरवी के बीच के अंतर को असाधारण मदों के रूप में पीएंडएल से प्रभाविता किया गया है।

नोट 16: इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00
₹ 10/- प्रति के वरीयता शेयर	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00
कुल	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00

16.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	7,73,61,505	7,736.15
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	6,50,00,000	6,500.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	7,73,61,505	7,736.15
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष की शुरुआत में बकाया वरीयता शेयर	-	-	12,50,00,000	12,500.00
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	12,50,00,000	12,500.00
वर्ष के अंत में बकाया वरीयता शेयर	-	-	-	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 16: इक्विटी शेयर पूंजी (जारी.....)

16.2 होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%
कुल	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%

16.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%

16.4 वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा रखे गए शेयर

संस्थापक का नाम	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6,50,00,000	100.00%

नोट 17: अन्य इक्विटी

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सामान्य आरक्षण	7,361.70	7,289.25		
प्रतिधारित कमाई	(1,430.17)	(136.04)		
कुल	5,931.53	7,153.21		

अन्य इक्विटी में प्रत्येक मद की गतिविधि का विवरण इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में दिया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और इसका उपयोग किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। सामान्य आरक्षित निधि कंपनी के लिए उपलब्ध एक मुफ्त आरक्षित निधि है।

प्रतिधारित आय कंपनी की संचित आय की राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 18: उधार - गैर चालू

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
प्रतिभूति रहित				
नियंत्रक कंपनी को 6% की दर पर जारी प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र	1,000.00	-		
होल्डिंग कंपनी से ऋण 5.5% प्रति वर्ष	500.00	500.00		
कुल	1,500.00	500.00		

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 18: उधार - गैर चालू (जारी..)

क) 1000 लाख रुपए में जारी किए गए प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र :- यूसीएसएल के पुनरुद्धार और सामान्य निगमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निजी स्थानन के माध्यम से यूसीएसएल द्वारा सीएसएल को 1000 रुपए अंकित मूल्य के 1 लाख एनसीडी जारी किए गए हैं। कूपन दर 6% है और वार्षिक आधार पर ब्याज का भुगतान करना होगा। एनसीडी 84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं अर्थात् : दिनांक 26 नवंबर 2028 को।

ख) 500 लाख रुपए का ऋण : - यूसीएसएल के प्रचालन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, दिनांक 18.09.2020 को नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 5.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले असुरक्षित ऋण के रूप में 500 लाख रुपए का निवेश किया। संवितरण की तारीख यानी 17 सितंबर 2025 से 5 साल के अंत में चुकाई जाने वाली मूल राशि। प्रत्येक संवितरण की तारीख से वार्षिक आधार पर ब्याज चुकौती की जाएगी।

नोट 19: पट्टा देयताएं

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	61.90	75.39
कुल	61.90	75.39

(₹ लाखों में)

नोट 20: प्रावधान- गैर चालू

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	8.03	-
कुल	8.03	-

(₹ लाखों में)

नोट 21: पट्टा देयताएं

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	14.96	8.44
कुल	14.96	8.44

(₹ लाखों में)

नोट 22: व्यापार देय

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया	373.22	-
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	64.19	0.83
कुल	437.41	0.83

(₹ लाखों में)

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 22: व्यापार देय (जारी..)

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	373.22	शून्य
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना);	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	शून्य	शून्य

(₹ लाखों में)

व्यापार प्राप्य काल प्रभावन सारणी

ब्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	373.22	-	-	-	373.22
(ii) अन्य	64.19	-	-	-	64.19
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया-अन्य	-	-	-	-	-

(₹ लाखों में)

नोट 23: अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
प्रदत्त ब्याज लेकिन उधार के लिए देय नहीं	31.86	13.59
सुरक्षा और अन्य जमा	74.04	-
अन्य देय	1,343.74	1,418.71
कुल	1,449.64	1,432.30

(₹ लाखों में)

अन्य देय राशियों में सीओसी को देय 1253.84 लाख रुपए शामिल हैं; यानी पोत निर्माण सब्सिडी योजना के तहत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी का 50%।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 24: अन्य चालू देयताएं

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	58.55	-
सांविधिक देय	68.45	7.14
इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुबंध देयता	82.76	-
कुल	209.76	7.14

नोट 25: चालू प्रावधान

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान		-
		-
अन्य प्रावधान		
व्यय/ आकस्मिकों	1,011.04	1,210.78
कुल	1,011.07	1,210.78

समाधान योजना के अनुसार सुविधा के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु दिनांक 31.03.2020 तक खेतों में 1250 लाख रुपए की आकस्मिकता का प्रावधान प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान, हमने 201.54 लाख रुपए की राशि को समायोजित किया है और शेष की समीक्षा की गई है और इसे बरकरार रखा गया है।

नोट 26: प्रचालन से आय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
जहाज़	67.34	-
इंजीनियरिंग कार्य	574.64	-
कुल	641.98	-

नोट 27: अन्य आय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
स्क्रेप और स्टोर की बिक्री से आय	161.34	-
बैंक जमे से ब्याज आय	75.68	6.26
विविध आय	1.76	-
प्रावधान जो अब आवश्यक नहीं है / प्रतिलेखित देयताएं	51.40	-
चार्टर किराए से आय	75.90	68.48
कुल	366.08	74.74

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 28: उपभोग की गई सामग्री की लागत

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल		
इस्पात	294.33	-
पाइप	0.14	-
रंग	3.90	-
खरीदे गए घटक	91.37	-
कुल	389.73	-

नोट 29: कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन

(उसके अलावा जिन्हें प्रतिशत/आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है)

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य-प्रगति :		
वर्ष की शुरुआत में	-	-
घटाएं: साल के अंत में	(352.31)	-
कुल	(352.31)	-

नोट 30: उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
उप अनुबंध और ऑफ लोडेड काम	313.47	-
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	73.62	-
कुल	387.09	-

नोट 31: कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	402.82	66.81
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	12.56	1.84
उपदान	8.06	-
कर्मचारी कल्याण खर्च	28.28	2.95
कुल	451.72	71.60

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 31: कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना - उपदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.20%
मुआवज़े के स्तर में वृद्धि की दर	3.00%
आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	5.00%

निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि इस प्रकार है :-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत :	
चालू सेवा लागत	8.06
पूर्व सेवा लागत	-
निवल ब्याज व्यय	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त निर्धारित लाभ लागत के घटक	8.06
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनर्माप :	
बीमांकिक (लाभ)/योजना दायित्वों पर हानि	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त निर्धारित लाभ लागत के घटक	-

अपनी निर्धारित लाभ योजना के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न होनेवाली तुलन पत्र में शामिल राशि इस प्रकार है :-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	8.06
घटाएं: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताएं/(परिसंपत्तियां)	8.06

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार हैं :-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में निर्धारित लाभ दायित्व	-
वर्तमान सेवा लागत	8.06
वर्तमान ब्याज लागत	-
पूर्व सेवा लागत	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-
भुगतान किया गया लाभ	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	8.06

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 31: कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-
योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-
नियोक्ता से योगदान	-
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-

आगामी वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य-वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	यूसीएसएल
वर्ष 1	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं
अगले 5 साल	लागू नहीं

आगामी वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य-वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	यूसीएसएल
वर्ष 1	-
वर्ष 2	-
वर्ष 3	-
वर्ष 4	1.11
वर्ष 5	6.95
अगले 5 साल	-

ग्रहणशीलता का विश्लेषण

(₹ लाखों में)

विवरण	यूसीएसएल
क. छूट दर + 100 बीपी	7.20%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	7.73
उतार-चढ़ाव	-4.09%
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.20%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	8.40
उतार-चढ़ाव	4.30%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	8.37
उतार-चढ़ाव	3.89%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	7.75
उतार-चढ़ाव	-3.78%
बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है	

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 32: वित्तीय मूल्य

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
ऋण पर ब्याज	27.50	14.69
पट्टा देयता पर ब्याज	6.52	8.44
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर ब्याज	19.43	-
कुल	53.45	23.14

नोट 33: मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	1,315.21	1,280.29
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	4.81	4.17
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	1.29	-
कुल	1,321.31	1,284.46
जोड़ : उपकरणों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0.72	-
कुल	1,322.03	1,284.46

नोट 34: अन्य व्यय

यार्ड रखरखाव और अन्य खर्च	0.22	0.03
पूजों की खपत	0.03	-
दर और कर	9.25	4.73
विजली और ईंधन	63.26	12.11
जल प्रभार	2.74	0.72
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
- संयंत्र और मशीनें	10.99	-
- अन्य	51.50	23.75
रखरखाव ड्रेजिंग	0.20	-
परिवहन और स्टोर हैंडलिंग	-	-
यात्रा तथा सवारी खर्च	8.78	3.55
मुद्रण और लेखन सामग्री	6.68	0.74
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	0.50	0.12
विज्ञापन	0.25	0.02
पट्टे किराया	1.67	2.00
कानूनी और पेशेवर शुल्क	2.06	18.11
भाड़ा व्यय	5.49	-
बीमा	13.80	0.16
सुरक्षा व्यय	38.64	20.72
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	3.00	3.00
अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	2.40	3.15
वैधानिक अनुपालन के लिए शुल्क	1.02	2.72
व्यापार विकास व्यय	4.84	-
बैंक प्रभार	0.84	4.13
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/(हानि)	(0.36)	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 34: अन्य व्यय (जारी..)

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
विविध खर्च	13.97	5.25
कुल	241.77	104.98

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	3.00	3.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	2.40	3.15
कुल	5.40	6.15

नोट 35: प्रत्याशित हानियों और व्यय के लिए प्रावधान

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
निम्न के लिए प्रावधान		
गैर-संचलन/सतत मालसूची सत्यापन	18.89	-
कुल	18.89	-

नोट 36: विशेष मद

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वापस की गई मालसूची और प्राप्य अनुवृत्ति के लिए प्रावधान	-	(188.92)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बट्टे खाते में डालना	454.51	-
वापस ली गई प्राप्य अनुवृत्ति के लिए प्रावधान (प्राप्य अनुवृत्ति के लिए प्रावधान)	(179.36)	(1,074.48)
कुल	275.15	(1,263.40)

नोट 37: प्रति इक्विटी शेयर कमाई

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ	(1,294.13)	(136.04)
इक्विटी शेयरों की संख्या	65000000	65000000
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	(1.99)	(0.21)
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 38: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण “ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व”

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व का प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से प्राप्त राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण :		
मत्स्य ग्रहण जहाज़	67.34	-
(ii) सेवाओं की बिक्री		
इंजीनियरिंग कार्य	574.64	-
कुल	641.98	-

असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 800.37 लाख रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी।

क) राजस्व को मान्यता दी जाती है जब कंपनी पोत निर्माण के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में प्रत्यक्ष निष्पादन के माप के आधार पर आउटपुट पद्धति का उपयोग करके समय की अवधि में ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को अंतरित करके निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है। पोत निर्माण उद्योग में उपयोग किए जानेवाले विभिन्न तकनीकी मानकों का उपयोग करके प्रत्यक्ष निष्पादन की गणना की जाती है।

ख) यदि अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में छूट, रियायत, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसी परिवर्तनीय राशियां शामिल हैं, कंपनी उस प्रतिफल की निवल राशि का अनुमान लगाती है, जिस पर ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में कंपनी हकदार है और उसी के लिए लेखा रखते हैं। भुगतान शर्तें ग्राहकों के साथ संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट विशेष उपलब्धि पर आधारित है। निर्दिष्ट विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं। वारंटी अवधि अनुबंध में सहमत है जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

वर्ष के दौरान अनुबंधित मूल्य का राजस्व के साथ समाधान

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
आदेशों का अनुबंधित मूल्य खोलना	-	-
जोड़ें :		
प्राप्त नए आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	1371.96	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त प्रतिफल के कारण वृद्धि	70.39	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण वृद्धि (निवल)	-	-
घटाएं:		
विविधता, परिवर्तन आदेश आदि सहित अन्य कटौतियां	-	-
वर्ष के दौरान पूरा किए गए आदेश	178.22	-
आदेशों का अनुबंधित मूल्य की समाप्ति	1264.13	-

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 38: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण “ ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व ” (जारी.....)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	641.98	-
घटाएं: वर्ष के दौरान पूरा किए गए आदेशों में से राजस्व	178.22	-
वर्ष के अंत में निष्पादन के तहत आदेशों से राजस्व (I)	463.76	-
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में पूरा होने के लंबित आदेशों से) (II)	-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कमी (निवल) (III)	-	-
शेष राजस्व को भविष्य में मान्यता दी जाएगी अर्थात् आदेश बही (IV)	800.37	-
आदेश की अंतिम अनुबंधित कीमत (I+II+III+IV)	1264.13	-

नोट 39: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - ‘पट्टे’

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों से संबंधित 1.67 लाख रुपए की लागत शामिल है। (प्रति वर्ष : 1.86 लाख रुपए)

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल ₹ 15.16 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 22.37 लाख रुपए) है।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
एक वर्ष से कम	61.02	40.59
एक से दो साल तक	21.98	55.90
कुल	83.00	96.49

40. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

क. आकस्मिक देयता (उस सीमा तक प्रदान न किया गया)

क. गारंटी

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
(₹ लाखों में)			
बैंक गारंटी (बीजी)	56.00	शून्य	बैंक गारंटियां कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों का प्रतिनिधित्व करती है

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

40.1 आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

समाधान योजना अनुमोदन के पश्चात की अवधि हेतु- शून्य।

समाधान योजना अनुमोदन से पूर्व का अवधि हेतु- कंपनी को विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों जैसे आयकर, सीमा शुल्क, कर्नाटक वैट, भविष्य निधि, ईएसआई, आदि से विभिन्न नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के दिनांक 04 मार्च 2020 के आदेश के अनुरूप, ये सभी देनदारियां समाप्त हो गई हैं और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय भी सभी पिछली अवधि की देनदारियों को समाप्त करने का समर्थन करता है। तदनुसार, कंपनी इन सभी नोटिसों का इन तर्ज पर उचित रूप से जवाब देने की प्रक्रिया में है।

41. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति 2021-22	संबंध की प्रकृति 2020-21
श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (अप्रैल 30, 2021 तक)	अप्रैल 30, 2021 तक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे, निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री हरिकुमार ए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शिवु जॉण, मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोचीन)	नियंत्रक कंपनी	नियंत्रक कंपनी
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)	मुख्य संगी सहायक कंपनी	मुख्य संगी सहायक कंपनी

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति।

विवरण	31 मार्च, 2021 तक
अल्पकालीन लाभ	32.56
रोजगार के बाद के लाभ-उपदान	0.58
कुल	33.14

लेनदेन की प्रकृति - ऋण / अग्रिम

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01 अप्रैल 2021, को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31 मार्च, 2022 को शेष	दिनांक 31 मार्च, 2022 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सुरेश बाबु एन वी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिजोय भास्कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोस वी जे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरिकुमार ए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शिवु जॉण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अश्विन शर्मा एम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

41. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31 मार्च, 2021 को शेष	दिनांक 31 मार्च, 2021 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सुरेश बाबु एन वी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बिजोय भास्कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोस वी जे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरिकुमार ए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शिवु जॉण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अश्विन शर्मा एम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	शून्य
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य

लेनदेन की प्रकृति संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड - विशेष रूप से नियुक्त	-	13.05
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जारी किए गए प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र	1,000.00	-
ऋण पर ब्याज	27.50	14.69
एनसीडी पर ब्याज	20.71	-
इंजीनियरिंग कार्यों पर राजस्व	574.64	-
केएमआरएल कार्यादेश के लिए चरण भुगतान के रूप में सीएसएल से एकत्र किया गया अग्रिम	456.16	-
नियंत्रक कंपनी से ऋण	-	500.00

सीएसएल की ओर से टीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेष	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
मधु एस नायर, अध्यक्ष	10	10
सुरेश बाबु एन वी, निदेशक	0	10
बिजोय भास्कर, निदेशक	10	10
जोस वी जे, निदेशक	10	10
हरिकुमार ए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	10	0
शिवु जॉण, मुख्य वित्तीय अधिकारी	10	10
अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव	10	10

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

42. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) नहीं की गई है, जो इस समझ के साथ है, कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष में उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (पार्टियों) (निधिकरण पार्टी) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

43. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं :

स्तर I. इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II. इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III. इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर चालू			
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	97.51	6.52	स्तर II
(ii) रोकड व रोकड समतुल्य	1,580.51	2,526.99	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	100.88	0.81	स्तर II
(iv) ऋण	-	-	स्तर II
(v) अन्य	4.53	0.67	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	1,783.43	2,534.99	
वित्तीय देयताएं			
गैर चालू			
(i) उधार	1,500.00	500.00	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	61.90	75.39	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	437.41	0.83	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	1,464.60	1,440.74	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	3,463.91	2,016.96	

नोट:

1. ऋण, उधार, बाजार दर पर है और अतः वहन मूल्य अंकित मूल्य है।
2. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के वहन राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

43. वित्तीय साधन (जारी..)

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के वहन राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	31 मार्च, 2022 तक			31 मार्च, 2021 तक		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधन लागत
वित्तीय संपत्ति						
व्यापार प्राप्तियां	-	-	97.51	-	-	6.52
नकद और नकद समकक्ष	-	-	1,580.51	-	-	2,526.99
बैंक शेष	-	-	100.88	-	-	0.81
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	4.53	-	-	0.67
कुल वित्तीय संपत्ति	-	-	1,783.43	-	-	2,534.99
वित्तीय देयताएं						
उधार राशियां	-	-	1,500.00	-	-	500.00
व्यापार देय	-	-	437.41	-	-	0.83
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,526.50	-	-	1,516.13
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	3,463.91	-	-	2,016.96

44. सेगमेंट रिपोर्टिंग

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने अधिग्रहण के बाद अभी तक संचलन शुरू नहीं किया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक
खंड संपत्ति	
पोत निर्माण	7,742.24
अन्य	9,382.06
कुल	17,124.30
खंड दायित्व	
पोत निर्माण	741.68
अन्य	4,692.77
कुल	5,434.45
खंड राजस्व	
पोत निर्माण	641.98
अनाबंटित	366.08
कुल	1,008.06
खंड परिणाम	
पोत निर्माण	27.40
अनाबंटित	(1,531.70)
कुल	(1,504.31)

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

45. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंधन कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गिर्यारंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
दीर्घकालीन उधार	1500.00	500.00
निवल ऋण	1500.00	500.00
इक्विटी शेयर पूंजी	6500.00	6500.00
अन्य इक्विटी	5931.53	7153.21
कुल इक्विटी	12431.54	13653.22
गिर्यारंग अनुपात	12.07%	3.66%

46. अनुपात

अनुपात	गणक	भाजक	2021-22	2020-21	% विचरण	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.10	1.06	3%	लागू नहीं
ऋण - इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.12	0.04	229%	कंपनी ने अपनी नियंत्रक कंपनी को 1000 लाख रुपए में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए।
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	आसाधारण मद पूर्व लाभ अ मूल्यहास अ वित्तीय लागत	ऋण सेवा	(2.41)	(4.40)	45%	कंपनी का पीबीटी घाटे में है क्योंकि वर्ष के दौरान प्रचालन पुनः शुरू हो गया है जबकि एनसीडी जारी करने के कारण वित्त लागत दोगुनी हो गई है।
इक्विटी पर आय (आरओई)	कर के बाद निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	(0.10)	(0.02)	-524%	चालू और पिछले वर्ष में आसाधारण मदों के कारण।
मालसूची कारोबार अनुपात	बेचे गए माल या बिक्री की लागत	औसत सूची	1.09	-	लागू नहीं	प्रति वर्ष के लिए कोई तुलनीय आंकड़े नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपना प्रचालन केवल इसी वित्तीय वर्ष में पुनः शुरू किया है।
व्यापार प्राय्य कारोबार अनुपात	निवल जमा धन बिक्री	औसत प्राय्य खाता	-	-	लागू नहीं	वर्ष के दौरान कोई क्रेडिट बिक्री नहीं है
व्यापार देय कारोबार अनुपात	निवल ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	4.65	2.30	102%	कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही अपना प्रचालन पुनः शुरू किया
निवल पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	2.16	-	लागू नहीं	प्रति वर्ष के लिए कोई तुलनीय आंकड़े नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपना प्रचालन केवल इसी वित्तीय वर्ष में पुनः शुरू किया है।
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	कुल बिक्री	(2.02)	-	लागू नहीं	प्रति वर्ष के लिए कोई तुलनीय आंकड़े नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपना प्रचालन केवल इसी वित्तीय वर्ष में पुनः शुरू किया है।

दिनांक मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

46. अनुपात (जारी..)

अनुपात	गणक	भाजक	2021-22	2020-21	% विचरण	भिन्नता का कारण
नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई)	ब्याज और कर पूर्व कमाई	नियोजित पूंजी	(0.10)	(0.10)	-6%	लागू नहीं
निवेश पर प्रतिफल	कर के बाद लाभ	निवेश की गई राशि	(16.18)	(1.94)	-732%	वर्ष के दौरान निवल लाभ में कमी

47. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने दिनांक 25 सितंबर, 2019 के आदेश के द्वारा उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नरे अक्टूबर 2019 में लेनदारों की समिति को यूसीएसएल के अधिग्रहण के लिए समाधान योजना प्रस्तुत की। माननीय एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 04 मार्च 2020 के द्वारा सीएसएल को सफल समाधान आवेदक घोषित किया। सीएसएल द्वारा 65 करोड़ रुपए की बोली राशि का भुगतान किया गया था और समाधान योजना का एक बड़ा हिस्सा लागू किया गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में लेखा बहियों दर्ज किया गया।

समाधान योजना के तहत जिन पोतों को संपत्ति से बाहर रखा गया है, उनकी बिक्री की प्रक्रिया चल रही है। लेनदारों की समिति ने वाई 123 के लिए एक खरीदार की पहचान की है और जहाज़ को दिनांक 20 अप्रैल 2022 को लेनदारों की समिति के निर्देश के तहत यूसीएसएल से हटा दिया गया है।

48. पहली और दूसरी लहर के साथ कोविड-19 महामारी एक वैश्विक महामारी रही है जिसका दुनिया भर में गंभीर सामाजिक व्यवधानों के कारण अर्थव्यवस्था और वाणिज्य की स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है। यह अभी भी सभी व्यापारिक संगठनों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, जो लगातार तीसरी लहर के साथ है। वैक्सीन कार्यक्रमों ने कोविड से जुड़े जोखिमों को काफी हद तक कम कर दिया है लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घोषित प्रारंभिक अवधि के लॉकडाउन ने एक हद तक यार्ड के पुनरुद्धार को प्रभावित किया। कोविड की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने हैंगरकट्टा सुविधा को पुनर्जीवित करने और अगस्त 2021 से इसे चालू करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी माल्पे के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। हालांकि, पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से कोविड के निशान से बाहर नहीं आया है और प्रचालन क्षेत्र में पहले की तुलना में कम हद तक चुनौतियों बनी हुई है।

कंपनी ने इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड-19 से संबंधित महामारी से होनेवाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली भी शामिल है। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर, क्रेडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी और आर्थिक पूर्वानुमान सहित सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि इन परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।

49. पिछले वर्षों के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत और वर्गीकृत किया गया है।

50. कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव स.सं. A41969 कोची. दिनांक मई 03, 2022	शिवु जॉन मुख्य वित्तीय अधिकारी	हरिकुमार ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जोस वी जे निदेशक (वित्त) डीआईएन - 08444440	मधु एस नायर अध्यक्ष डीआईएन - 07376798
--	--	--	---	--

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश.

सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 009033एस)

सीए. गणेश येरमाल

साझेदार
(सदस्यता सं. 207231)
यूडीआईएन: 22207231AISTVR3455
उडुपी, दिनांक मई 03, 2022

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 38 वीं वार्षिक साधारण बैठक सितंबर 19, 2022, सोमवार 11.20 बजे को सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- दिनांक 31 मार्च 2022 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।
- श्री मधु एस नायर (डीआईएन: 07376798) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड**

कोच्ची
सितंबर 06, 2022

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A41969

टिप्पणः

- एक सदस्य जिसे वार्षिक साधारण बैठक (बैठक) में उपस्थिति रहने और मत देने का अधिकार है, उसे अपनी ओर से उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने हेतु हकदार है और परोक्षी कंपनी के एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परोक्षी प्रस्तुत करनेवाले विधिवत् स्टैम्पड, पूरा किए, हस्ताक्षरित दस्तावेज बैठक शुरू होने से कम से कम अडतालीस (48) घंटे के पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए। एक परोक्षी प्रपत्र (एमजीटी-11) इस सूचना के साथ संलग्न किया है।
- पचास (50) सदस्यों से अधिक न हो, सदस्यों की ओर से और मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से न अधिक हो, संभालने वाले एक व्यक्ति परोक्षी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि, सदस्य द्वारा नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा संभालने वाले एक परोक्षी के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।
- सदस्यों, परोक्षियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न विधिवत् भरे उपस्थिति स्लिप लाएं। अधिनियम की धारा 113 के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के लिए इरादा रखनेवाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति या मुख्तारनामा या किसी अन्य दस्तावेज कंपनी को भेज दें।
- बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई पंजियों और नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं।
- बैठक में स्थान की ओर रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।
- यह बैठक पंजीकृत कार्यालय की स्थानीय सीमा के बाहर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, 682015, से लघु सूचना पर प्रस्तावित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार अनुरोध, कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर बैठक का संचालन करने हेतु सहमति के लिए इस सूचना के साथ संलग्न है और बैठक केवल तभी होगी जब बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो।
- निदेशकों के संक्षिप्त विवरण, जो पुनर्नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड**

कोच्ची
सितंबर 06, 2022

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम - 603 116
सीआईएन: U27209TN1984GOI010994
ई-मेल: secretary.tsl@cochinshipyard.in

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A41969

प्रपत्र सं. एमजीटी -11

परोक्षी प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3)के अनुसार]

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015.
दिन, दिनांक और समय : 11.20 बजे सोमवार, सितंबर 19, 2022

सदस्यों का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	

मैं/ हम, शेयर संभालनेवाले उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक सदस्य हूँ, निम्नलिखित
1.

नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर
2.

नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर
3.

नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
हस्ताक्षर	

को दिनांक 19 सितंबर, 2022, सोमवार 11.20 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015 में आयोजित होनेवाले कंपनी के सदस्यों के 38^{वाँ} वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए/ हमारे और से मेरे/ हमारे परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थिति होने और मत देने (पॉल पर) के लिए एतद्वारा नियुक्त करते हैं और ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी भी स्थगन नीचे सूचित किया जाता है:

क्र.सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
सामान्य व्यापार			
1.	दिनांक 31 मार्च 2022 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।		
2.	श्री मधु एस नायर (डीआईएन: 07376798) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।		
3.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		

2022 केदिन.....हस्ताक्षर किया।

रेव्यू स्टैम्प
लगा दें

शेयरधारक का हस्ताक्षर

परोक्षी धारक का हस्ताक्षर

नोट : यह प्रपत्र प्रभावी होने के लिए विधिवत् भरकर, बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटे से पहले कंपनी पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015.
दिन, दिनांक और समय : सोमवार, सितंबर 19, 2022, 11.20 बजे

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थान के प्रवेश पर सौंप दें।


शेयरधारक का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	
संभाले शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के पंजीकृत शेयरधारक/परोक्षी हूँ।

मैं सितंबर 19, 2022, सोमवार 11.20 बजे को सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-682015 में कंपनी की 38 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति एतद्वारा रिकॉर्ड करता/ती हूँ।

शेयरधारक या परोक्षी का हस्ताक्षर

बैठक के स्थान का स्टू मैप



शेयरधारक की सहमति

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अधीन]

सेवा में,
निदेशक मंडल
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम - 603 116

मैं, _____, _____ का पुत्र, _____, _____
_____, _____ का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10 रूपए के _____ इक्विटी शेयर का धारक यहाँ एतद्वारा कंपनी के 38वीं वार्षिक आम
बैठक (वा.आ.बै), सितंबर 19, 2022 को पंजीकृत कार्यालय के स्थानीय सीमा के बाहर सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन
शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में लघु सूचना पर करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार सहमति देते हैं।

स्थान : _____ हस्ताक्षर : _____
दिनांक : _____ नाम : _____

इस बैठक में पुनर्नियुक्ति मांग करनेवाला निदेशक का विवरण

[भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (भा.कं.स.सं) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों का उद्देश्य]

निदेशक का नाम	श्री मधु एस नायर
डीआईएन	07376798
आयु एवं जन्मतिथि	56 व जनवरी 05, 1966
योग्यता	श्री मधु एस नायर ने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
अनुभव	श्री मधु एस नायर, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें पोत निर्माण और पोत मरम्मत में 34 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में अध्यक्ष भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री मधु एस नायर को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री मधु एस नायर निदेशक पद पर तब तक बने रहने के लिए सदस्यों की स्वीकृति मांगी जाती है जब तक कि उनका नामांकन वापस नहीं लिया जाता। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।
पुनर्नियुक्ति और अंतिम आहरण पर भुगतान किए जानेवाले पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2021-22)	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	सितंबर 15, 2020
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	10 (शेयर सीएसएल की ओर से रखे जाते हैं)
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उपस्थित बोर्ड की बैठकों की संख्या	6/6
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकता (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध पोत समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

38 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना का परिशिष्ट

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की सोमवार, 19 सितंबर 2022 को निर्धारित 38वीं वार्षिक आम बैठक हेतु दिनांक 06 सितंबर 2022 को जारी नोटिस का संदर्भ लें।

इस संबंध में, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 19 सितंबर 2022 को 11.20 बजे आयोजित होनेवाली थी, जिसे सोमवार, 19 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे को कर दिया गया है।

आगे, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और सामाजिक दूरी के मानदंडों को देखते हुए, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक मई 05, 2022 के साथ पठित परिपत्र सं 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (सम्मिलित रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विशुअल माध्यम ('ओएवीएम') के जरिए वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति देता है। इन एमसीए परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी वीसी/ ओएवीएम के जरिए 38 वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए उक्त एजीएम में भाग ले सकते हैं:

[उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की 38वीं एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक](#)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

मतदान के मामले में वोट डालने हेतु नामित ईमेल आईडी है secretary.tsl@cochinshipyard.in.

कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

कृते उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोची

सितंबर 17, 2022

अश्विन शर्मा एम

कंपनी सचिव

स.सं. A41969

टिप्पणः



उदुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(पूर्व में टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603 116

सीआईएन : U27209TN1984GOI010994



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
(Formerly Tebma Shipyards Limited)

In the path of **Transformation**



ANNUAL
REPORT
2021-22

CONTENTS

01-08

Corporate Overview

Corporate Information	01
About Us	02
Operational Capability	03
Business Segment	03
Chairman's Address	04
Board of Directors	06
Leadership Team	08

09-27

Statutory Reports

Directors' Report	09
Report on Corporate Governance	20
Management Discussion and Analysis Report	24

28-79

Financial Statements

Independent Auditors' Report	29
Balance Sheet	40
Statement of Profit and Loss	41
Statement of Changes in Equity	42
Statement of Cash Flow	43
Notes to Financial Statements	44

80-86

Notice

CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhu S Nair
Chairman

Shri Bejoy Bhasker
Non – Executive Director

Shri Jose V J
Non – Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan
Non – Executive Director

Shri Neelakandhan A N
Non – Executive Director

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Non – Executive Director

COMPANY SECRETARY

Shri Aswin Sarma M

LEADERSHIP TEAM

Shri Harikumar A
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shibu John
Chief Financial Officer (CFO)

KEY PERSONNEL

Shri Ambalavanan M
DGM (Operations)

Shri Ram Mohan Baliga K V
AGM (Planning, BD and Design)

Shri Billu C Rajan
AGM (U&M and Operations)

Shri Sony Clement T M
AGM (Materials and Contract Cell)

Shri L K Prabhakar
AGM (QC and HSE)

REGISTERED OFFICE

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram, Tamil Nadu – 603 116
CIN: U27209TN1984GOI010994

FACILITIES

Udupi, Karnataka
Chengalpet, Tamil Nadu

STATUTORY AUDITORS

M/s. Shabbir and Ganesh
Chartered Accountants
Balakrishna Towers, 1st Floor
Kunjibettu 2nd Cross
Udupi Manipal Road
Near Mandavi Gokul, Udupi – 576 102

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SEP & Associates
Company Secretaries
Building No. C.C 56/172
K.C. Abraham Master Road
Panampilly Nagar, Kochi – 682 036

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India

Disclaimer

Some information in this report may contain forward-looking statements. We have based these forward-looking statements on our current beliefs, expectations and intentions as to facts, actions and events that will or may occur in the future. Such statements generally are identified by forward-looking words such as "believe", "plan", "anticipate", "continue", "estimate", "expect", "may", "will" or other similar words. A forward-looking statement may include a statement of the assumptions or basis underlying the forward-looking statement. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution you that forward-looking statements and assumed facts or bases almost always vary from actual results, and the differences between the results implied by the forward-looking statements and assumed facts or bases and actual results can be material, depending on the circumstances.

ABOUT US

The Company has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients and has been a known name in the shipbuilding industry for its quality standards and commitment levels.

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited' on July 09, 1984 as a private non-government company. Subsequently, the Company became public and changed the name to 'Tebma Shipyards Limited'. In September 2018, due to Company's inability to meet the financial obligations, the Company was admitted to Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the provisions of the statutory insolvency resolution process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a premier public sector shipyard in India, acquired the Company and took over its management in September 2020, consequent to which the Company became a wholly owned subsidiary of CSL and a Government Company under the provisions of the Companies Act, 2013. Subsequently, on April 22, 2022 the name of the Company was changed from Tebma Shipyards Limited to Udupi Cochin Shipyard Limited.

The Company has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients and has been a known name in the shipbuilding industry for its quality standards and commitment levels. The Company has also been a key player in the offshore industry through the collaboration with Cochin Shipyard Limited (CSL) in 2004, under which the Company constructed 8 nos. of Platform Supply Vessels and 4 nos. of Anchor Handling Tugs at CSL, Kochi. The Company, besides being a leading shipbuilder, has also made significant contributions to the ship repair business in India.

UCSL has two facilities; one in Udupi, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu. The Company's facility at Udupi possesses a high-end infrastructure including an equally modern Steel Fabrication unit which is considered as one of the best in the country amongst medium sized shipyards.

OPERATIONAL CAPABILITY

UCSL possesses a high-end infrastructure including an equally modern Steel Fabrication unit which is considered as one of the best in the country amongst medium sized shipyards.

The Company's facilities are spread across Udupi, Karnataka and Chengalpet, Tamil Nadu, as follows:

Udupi

(a) Malpe Harbour Complex

- 55,000 sqm facility for Hull erection and launching
- Capacity to construct up to 4 midsize vessels simultaneously in covered shed
- 165 m x 46 m covered shed with clear height of 30 m for construction of vessels

- 4,000 sqm of open bay for vessel construction
- Wet basin of 128 m x 35 m for outfit and commissioning
- Humidity Controlled Marine Coating Shop
- Equipped with a transfer bay and Winch assisted cradle system capable of launching the vessels of size 90 m x 20 m up to a launching weight of 3,500 T

(b) Hangarkatta

- 25,000 sqm facility for Steel preparation and block fabrication
- Capacity 1,200 T per month
- Plasma Cutting machines (2 nos.)

- 275 T and 375 T Bending machines
- Template cutting machine
- Covered shops with 13 cranes to handle the blocks up to 50 T

(c) Babuthotta

4,000 sqm covered store and design centre

Chengalpet

Facility for manufacturing structural outfitting items, rudders, hydrophore units etc.

BUSINESS SEGMENT



CHAIRMAN'S ADDRESS



Dear shareholders,

I am very glad to welcome you all to the 38th Annual General Meeting of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL).

The fiscal year 2021-22 witnessed the second wave of COVID Pandemic posing extreme challenges for many people, communities and the businesses. It is pertinent to commend the relentless and selfless efforts of the medical and health care fraternity in tackling the difficulties caused by the Pandemic. The Company also took several pro-active measures to address these adversities.

Despite the Pandemic, the Company continued to work towards operationalising its facilities at Udupi, Karnataka, which was non-operational for several years due to the insolvency process. During the year, the Company commenced its operations at the Hangakatta facility and made operational the warehousing facility at Babuthotta. The process of revamping the Malpe Harbour Complex facility was streamlined. It is also worth mentioning that the Company could successfully onboard new employees with the requisite skillsets in a time bound manner and as on March 31, 2022, the Company has a total of 63 employees consisting of 22 executives, 10 supervisors and 31 workmen. The Company has and continues to receive the expert services of the employees of the holding company as well.

It is very heart-warming to state that the Company could exhibit its capability right from the first order itself and could successfully deliver a specialized vessel entrusted to it by the holding company, CSL. A total of eight Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels

for the Kochi Water Metro Project has been entrusted to the Company by CSL. The Company also garnered orders for building and repairs of vessels and the major one being construction of two Tugs for Ocean Sparkle Limited, a leading port operations and marine services company.

During the year 2021-22, the Company reported a total income of Rs. 1008.06 lakhs and a loss of Rs. 1294.13 lakhs, due to the fact that the Company has just started its business operations.

As the Company has become an integral part of the Cochin Shipyard family, it is only a natural consequence to adopt a new name for the Company and accordingly, the Company was renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited with effect from April 22, 2022. Further, in April 2022, the Company has implemented one of the best available ERP solutions, the SAP S/4HANA, which is expected to improve the efficiency of business transactions considerably.

UCSL is very well focused to be a market leader in the small and medium vessels segment. The Company is also committed to contribute to the nation's larger objectives by taking part in Government of India's initiatives like 'AatmaNirbhar Bharat', Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) etc. The Company foresees a good opportunity in the emerging tugs segment and is looking forward to execute the current tug order. Considering the ever changing business and regulatory environment, the Company is making itself ready to realise the emerging opportunities in the maritime space.

Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the

The Company foresees a good opportunity in the emerging tugs segment and is looking forward to execute the current tug order. Considering the ever changing business and regulatory environment, the Company is making itself ready to realise the emerging opportunities in the maritime space.

Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company, being in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations, had been exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. During July, 2021, the Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in spite of COVID related difficulties and the activities for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex is still progressing. The Company is giving utmost priority for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex and in executing the current

orders in hand, which follows stringent timelines. Nevertheless, the Company is committed to adopt the best Corporate Governance practices wherever possible and is putting in place the necessary systems to comply with the applicable DPE Guidelines on Corporate Governance. Further, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

I would like to place on record my sincere thanks to the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and other officers of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Government of Karnataka, the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited (CSL) and my fellow Board members for their valuable support and guidance. I would also like to express my profound gratitude to the Leadership Team viz., the Chief Executive Officer (CEO) and the Chief Financial Officer (CFO) for steering the Company in the right direction. I would also like to acknowledge the efforts and contributions of the employees and business associates and expect their continued support and confidence for getting the Company to greater heights.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

BOARD OF DIRECTORS



Shri Madhu S Nair
Chairman

Shri Madhu S Nair is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He has more than 34 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Bejoy Bhasker
Non - Executive Director

Shri Bejoy Bhasker is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 34 years of work experience across areas such as Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Jose V J
Non - Executive Director

Shri Jose V J is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August, 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 31 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Sreejith K Narayanan
Non-Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan was inducted to the Board of UCSL with effect from May 03, 2022. He was the Chief General Manager (Ship Repair) of Cochin Shipyard Limited (CSL) and on July 21, 2022 was appointed as the Director (Operations) of CSL. He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He has approximately 34 years of work experience in the area of Ship Building, Ship Design and Ship Repair.



Shri Neelakandhan A N
Non-Executive Director

Shri Neelakandhan A N was inducted to the Board of UCSL with effect from May 03, 2022. He is the Chief General Manager (Planning & Project Management) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building and a Degree of Master in Business Administration, both from Cochin University of Science and Technology (CUSAT). He had completed a training course in Shipbuilding-Outfitting of Ishikawajima Harima Heavy Industries Overseas Vocational Training Association organized by the Japan International Cooperation Agency under International Cooperation Programme of Government of Japan. He has more than 34 years of work experience wherein he was involved in Ship Repair, Shipbuilding, Ship Design, Project Management, Material Procurement, Infrastructure Development, Utilities & Maintenance and Planning.



Shri Rajesh Gopalakrishnan
Non-Executive Director

Shri Rajesh Gopalakrishnan was inducted to the Board of UCSL with effect from May 03, 2022. He is the Chief General Manager (Strategy & New Projects) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a Degree of Bachelor of Technology in Mechanical Engineering and a Degree of Master in Business Administration with specialisation in International Marketing. He has close to three decades of experience in the field of Ship Building, Ship Repairs & Conversion, covering the entire spectrum from Business Strategy, Business Build, Estimation, Contract Management, Procurement, Planning, Project Management, Invoicing, After Sales & Customer Relations. He was also the first CEO of Hooghly Cochin Shipyard Limited, the other wholly owned subsidiary of CSL.

LEADERSHIP TEAM



Shri Harikumar A

Chief Executive Officer (CEO)

Shri Harikumar A took charge as the Chief Executive Officer (CEO) of the Company on January 28, 2021. Shri Harikumar A is a graduate in Production Engineering and has over three decades of experience in Shipbuilding and ship repair operations and project management. He has worked with various leading shipyards, both in public sector as well as private sector and has made significant contributions. He is a fellow of Institution of Engineers (India) and Institute of Marine Engineers (India).



Shri Shibu John

Chief Financial Officer (CFO)

Shri Shibu John was appointed as the Chief Financial Officer (CFO) of the Company on October 21, 2020. He is the General Manager (Finance) of Cochin Shipyard Limited (CSL) and was one of the core team members in the takeover process of the Company through the statutory insolvency resolution process. Shri Shibu John holds a Bachelor's Degree in Commerce and a Master's Degree in Business Administration. He is also a member of the Institute of Cost Accountants of India. He has approximately 28 years of work experience in the field of financial management, taxation, budgetary control, internal control etc. spread across various public as well as private sector companies. He has also been a member of the Commissioner's Regional Advisory Committee in the Central Excise & Service Tax Commissionerate, Ranchi.

Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the Thirty Seventh Annual Report of your Company together with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2022 and the Report of the Statutory Auditors and the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon.

Operations

2. Consequent to the takeover of the Company by Cochin Shipyard Limited (CSL) in September 2020, through the statutory insolvency resolution process, various activities were initiated for revamping the Company's infrastructure facilities for commencing the operations. During the financial year 2021-22, the revamping activities were streamlined despite COVID related difficulties and the Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021. Necessary activities for fully operationalising the facility at Malpe Harbour Complex were also undertaken during the reporting period and is still progressing.

3. During the reporting period, the Company bagged orders from CSL for fabrication, outfitting and machinery installation of eight Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, of which two vessels have already been delivered; one in March 2022 and the other in April 2022. The work on other vessels are progressing at the Hangarkatta facility of the Company. Further, during March 2022, the Company has also signed contracts with Ocean Sparkle Limited (OSL), a leading port operations and marine services company, for building two Tugs and with a beneficiary from the state of Andhra Pradesh for construction of one Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)".

4. During the first quarter of FY 2022-23, the Company also received orders for:

- constructing one training vessel for Directorate of Incubation and Vocational Training in Fisheries, Ramanathapuram, Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University;
- constructing one Purse Seiner Deep Sea Fishing Boat for GKS Marine Exports Private Limited, Trivandrum; and
- Dry-docking and repairs of SBM of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL).

5. The order book position of the Company as on March 31, 2022 is given below:

Order Description / Vessel Type	Nos.
Fabrication, outfitting and machinery installation of Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project	07
Construction and delivery of Tug for Ocean Sparkle Limited	02
Construction and delivery of Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat for the beneficiary from Andhra Pradesh under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)"	01

Financial Performance

6. The Company has reported a loss of Rs. 1294.13 lakhs for the year ended March 31, 2022 as against the loss of Rs. 136.04 lakhs for the previous year. Further, the Company has reported total income of Rs. 1008.06 lakhs for the year ended March 31, 2022 as against Rs. 74.74 lakhs for the previous year.

Financial Highlights

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
(i)	Total Income	1008.06	74.74
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(128.83)	(101.84)
(iii)	Finance cost	53.45	23.14
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	1322.03	1284.46
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(1504.31)	(1409.44)
(vi)	Tax	(485.33)	(10.00)
(vii)	Exceptional Items	275.15	1263.40
(viii)	Net Profit/(Loss)	(1294.13)	(136.04)
(ix)	Net-worth	12431.53	13653.21

Share Capital

7. The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 215,00,00,000 (Rupees Two Hundred and Fifteen Crore Only) divided into 9,00,00,000 (Nine Crore Only) Equity Shares of Rs. 10 each and 12,50,00,000 (Twelve Crore Fifty Lakh Only) Preference shares of Rs. 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is Rs. 65,00,00,000 (Rupees Sixty Five Crore Only) divided into 6,50,00,000 (Six Crore Fifty Lakh Only) Equity Shares of Rs. 10 each.

Debentures

8. The Company has 1,00,000 (One Lakh Only) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (Debentures) of face value of Rs. 1,000 (Rupees One Thousand Only) each outstanding as on March 31, 2022. The Debentures were issued in the month of November 2021 with a tenure of 84 months at a coupon rate of 6.00% per annum to CSL for an amount of Rs. 10,00,00,000 (Rupees Ten Crore Only). The Debentures are due for redemption in November 2028.

Change of Name

9. The name of the Company has been changed from 'Tebma Shipyards Limited' to 'Udupi Cochin Shipyard Limited' with effect from April 22, 2022 for relating the Company more appropriately to the holding company Cochin Shipyard Limited (CSL).

Dividend

10. No dividend is recommended due to the non-availability of divisible profits.

Transfer to Reserves


11. As the Company has incurred a loss during the financial year 2021-22, the Company is unable to transfer any amount to the Reserves.

Contribution to Exchequer

12. The total contribution made during the financial year 2021-22 by way of Goods and Services Tax (GST) and Income Tax (TDS) was approximately Rs. 131 lakhs.

Manpower Status

13. As on March 31, 2022, the Company has 63 employees consisting of 22 executives, 10 supervisors and 31 workmen. Apart from the above, employees of the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis.



Particulars of Employees and Related Disclosures

14. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange earnings and outgo

15. The necessary activities for revamping the shipyard infrastructure facilities of the Company to commence the operations were undertaken, consequent to the takeover of the Company by CSL through the statutory insolvency resolution process in September 2020. The Company had given utmost importance to environment protection and conservation, adopting new technologies and energy efficient measures while considering the proposals for reviving and operationalising the facilities. Further, the Company had commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021 by building the Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat. The Company has bagged orders for fabrication, outfitting and machinery installation of eight such boats from CSL; of which two have already been delivered and the work on other vessels are progressing. With the execution of these orders, the Company has acquired necessary competencies for construction of Aluminium vessels and skills acquired specifically in:

- Development of welding procedures which ensure quality welds with almost nil NDT defects;
- Better hull fabrication and outfitting processes for ensuring fit and finish of the hulls;
- Competency to work with composite materials;
- Development of competent vendors for undertaking various fabrication, erection and outfitting works in Aluminium; and
- Identification of processes and development of vendors for surface preparation and painting of Aluminium hulls.

16. The Company believes in sustainable development and gives priority to environment friendly and energy efficient measures in conducting the business. The Company also strives to adopt latest available technology in its business processes and operations, wherever found feasible.

17. In view of the fact that the Company had been focusing on reviving and operationalising the facilities, the Company has not made any capital investment on energy conservation equipments or incurred any expenditure towards technology import or R&D.

18. During the reporting period, the Company has incurred an amount of Rs. 15.34 lakhs towards expenses in foreign currency. Further, no income in foreign currency have been earned during the reporting period.

Risk Management

19. Post takeover of the Company by Cochin Shipyard Limited (CSL) in September 2020, through the statutory insolvency resolution process, the Company have been channelizing its resources to resume its business operations and in spite of COVID related difficulties, the Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021. Necessary activities for fully operationalising the facility at Malpe Harbour Complex were also undertaken during the reporting period and is still progressing. The Board of Directors closely monitors the Company's operations as well as the progress of the Company's revamping activities and provides guidance as appropriate. The Company follows adequate risk management practices wherever necessary. Further, the Board at its 14th Meeting (Post CIRP) held on July 13, 2022 has adopted a Comprehensive Risk Management Policy for the Company.

Health, Safety & Environment (HSE)

20. The Company gives utmost importance to the Health and Safety of the work force and the Environment in which the work is being done. The Company strives to set and maintain high standards for a positive health and safety culture across the organization. Towards this, the Company provides periodic HSE awareness programs for the work force and appropriate HSE training, wherever necessary. The Company has also appointed a Safety Officer for ensuring the safety of the work force. The HSE performance of the Company have been satisfactory during the reporting period.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

21. As on March 31, 2022, the Company had 3 directors, all of whom Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary, the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director
3.	Shri Jose V J	08444440	Director
4.	Shri Harikumar A	N.A.	Chief Executive Officer
5.	Shri Shibu John	N.A.	Chief Financial Officer
6.	Shri Aswin Sarma M	N.A.	Company Secretary

22. During the financial year 2021-22, Shri Sureshbabu N V (DIN: 07482491) ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.
23. Shri Jose V J (DIN: 08444440), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the 37th Annual General Meeting held on September 15, 2021.
24. There were no other changes in the Directors and Key Managerial Personnel (KMP) during the financial year 2021-22.
25. Further, the following CSL officers were appointed on the Board of the Company as the nominees of CSL on May 03, 2022:
- (a) Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Director (Operations), CSL;
- (b) Shri Neelakandhan A N (DIN: 09578936), Chief General Manager (Planning & Project Management), CSL; and
- (c) Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Chief General Manager (Strategy & New Projects), CSL.

Details of Board Meetings held during 2021-22

26. Six Board Meetings have been held during the financial year 2021-22 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	April 15, 2021	4	4
2.	May 07, 2021	3	3
3.	August 05, 2021	3	3
4.	November 08, 2021	3	3
5.	November 26, 2021	3	3
6.	February 03, 2022	3	3

27. The attendance record of each director in the Board Meetings held during the financial year 2021-22 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings attended
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	6/6
2.	Shri Sureshbabu N V*	07482491	1/1
3.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	6/6
4.	Shri Jose V J	08444440	6/6

* Shri Sureshbabu N V (DIN: 07482491) ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.

Committees of the Board

28. No Committees of the Board have been constituted during the financial year 2021-22.

Evaluation of Board's Performance

29. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited, a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. The Ministry of Corporate Affairs vide notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015 has exempted Government Companies

from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 which inter-alia provides that Section 134(3)(p) regarding statement on formal annual evaluation shall not apply to Government Companies in case the directors are evaluated by the Ministry which is administratively in-charge of the company as per its own evaluation methodology. Further, the said exemption notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

30. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors' Responsibility Statement

31. Your Directors state that:
- (a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2022, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year 2021-22 and of the loss of the Company for that period;
- (c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

32. During the financial year 2021-22, no Related Party Transactions have been entered into by the Company which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 41 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

33. The report on Corporate Governance for the financial year 2021-22, prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

34. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

35. The Company follows robust policies and procedures closely in line with that of the holding company, CSL, to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

36. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

37. M/s. Shabbir and Ganesh (Firm Registration No. 0090335), Chartered Accountants, Udupi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.

Statutory Auditors Report

38. M/s. Shabbir and Ganesh, Statutory Auditors have submitted their Report on the financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2022, on May 03, 2022, which forms part of the Annual Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Supplementary Audit

39. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to the Director General of Commercial Audit, Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034.

Comments of C&AG

40. The Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2022, along with the Management's reply on the said comments is placed at **Annexure I** to this Report.

Secretarial Auditors

41. M/s. SEP & Associates (Firm Registration No. P2019KE075600), Practising Company Secretaries, Kochi were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2021-22.

Secretarial Auditors Report

42. M/s. SEP & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on May 03, 2022, which is placed at **Annexure II** to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditors

43. M/s. AMNS & Associates (Firm Registration No. 018825S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct the Internal Audit for the financial year 2021-22.

Vigilance

44. There were no vigilance cases pending/disposed off during the financial year 2021-22.

Right to Information Act, 2005

45. During the year under review, no requests were received by the Company under the Right to Information (RTI) Act, 2005.

Annual Return

46. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.tebma.co.in.

Maintenance of Cost Records

47. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period.

Corporate Social Responsibility (CSR)

48. The Company had been focusing on reviving and operationalising the facilities and hence did not undertake any CSR activities during the financial year 2021-22. Further, the Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Details of subsidiaries, joint ventures or associate companies

49. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

50. Nil.

Material changes and commitments

51. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

52. During the year under Report, the Company has not

- (a) given any loan to any person or other body corporate;
- (b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- (c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

53. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under review.

Deposits

54. The Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

55. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

56. During the financial year 2021-22, no cases have been filed / disposed off under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.

57. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Acknowledgement

58. The Board places its gratitude and appreciation for the guidance and support extended by the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, Cochin Shipyard Limited (CSL) and all officers of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping) and CSL. The Board also places on record its sincere appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of Karnataka, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers and Sub-contractors. The Board would also like to express its sincere thanks to the Company's employees for their commitment and hard work during these testing times.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 04, 2022

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Annexure I

COMMENTS OF THE C&AG ALONG WITH MANAGEMENT'S REPLY

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF UDIPI COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 03 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comment on Notes to Financial Statements

40.1 – Contingencies and Commitments

The company has not disclosed the existence of statutory liabilities though an amount of Rs. 1,311.55 lakh was disclosed as disputed claims towards different statutory dues, taxes, and duties in the last financial statements for the financial year 2016-17 prepared by erstwhile Tebma Shipyard Limited prior to acquisition by Cochin Shipyard Limited. Further National Company Law Tribunal Resolution Order dated 04.03.2020 also stated that the company had to file necessary applications to necessary forums/authority to claim relief from statutory dues. In view of this the above note to financial statements is inaccurate and inadequate as well.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(DEVIKA NAYAR)

DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT, CHENNAI

Place: Chennai
Date: 15 July 2022

MANAGEMENT'S REPLY

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (formerly Tebma Shipyards Limited) is a Company which was revived by Cochin Shipyard Limited in September 2020 through the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). The amount of Rs. 1,311.55 lakh stated by the C&AG in its report is a liability appearing in the financial statements of the Company for the financial year 2016-17 (the period prior to the CIRP) for which no claims were raised by authorities concerned during the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In terms of Section 31 of the IBC, the approved Resolution Plan (Clause (ee) of Schedule III) and the ratio of Supreme Court Judgments (Ghanashyam Mishra and Sons Pvt. Limited v. Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited (2021 Supreme Court)), all such past claims including the statutory dues which have not been submitted during the CIRP stand extinguished. The directions of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai for filing necessary application before the necessary forum/ authority in order to avail the necessary relief and concessions is only a procedural matter, which would be dealt with separately as and when the claims are raised by the authorities concerned. However, the above direction of the Hon'ble NCLT in no way implies that it would fasten a past liability on the Company.

Hence, the claims/dues of prior periods have not been specifically included in the Financial Statements of the Company.

For and on behalf of the
Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Kochi
August 04, 2022

Annexure II

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village
Pukathurai Post Madurantakam
Taluk Kancheepuram TN 603116

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Udupi Cochin Shipyard Limited (CIN: U27209TN1984GOI010994)** (hereinafter called the "Company"). Secretarial Audit was conducted for the financial year ended on 31st March 2022 in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs due to the spread of the COVID-19 pandemic, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2022, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have conducted online verification and examination of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records facilitated by the Company

The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

- (i) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company:
 - a) The Factories Act, 1948;
 - b) The Environment (Protection) Act, 1986;
 - c) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;
 - d) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;
 - e) Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008;
 - f) The Electricity Act, 2003 and Central Electricity Regulations, 2010;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards 1 and 2 issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that:-

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

There were no dissenting views on any decisions of the Board, as recorded in the Minutes of Board meetings.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the period under review, the Company has issued Non- Convertible Debentures through Private Placement aggregating to an amount of Rs. 10 Crores.

We further report that during the audit period, except as mentioned above, there were no instances of:

- i. Issuance of securities including Public/Right/Preferential issue.

- ii. Redemption/Buy-back of securities.
- iii. Foreign technical collaborations.
- iv. Merger / amalgamation / reconstruction etc.

This report is to be read with Annexure A of even date and the same forms an integral part of this report.

Further we report that Company has changed its Name from Tebma Shipyards Limited to Udupi Cochin Shipyard Limited upon the Approval of the Central Government on 22.04.2022. The name of the Company during the Audit period was Tebma Shipyards Limited. Based on the aforesaid change in records of the Registrar of Companies, Chennai the Audit Report is being issued in the name of Udupi Cochin Shipyard Limited.

For **SEP & Associates**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: P2019KE075600)
UDIN: F003050D000258602

Date : 03.05.2022
Place: Kochi

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
FCS: F3050, COP No. 2210

Annexure A to the Secretarial Audit Report of Even Date

To
The Members
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village
Pukathurai Post Madurantakam
Taluk Kancheepuram TN 603116

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The compliance of the provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Udupi Cochin Shipyard Limited (hereinafter called the "Company") is the responsibility of management of the Company. Our examination was limited to the verification of the records and procedures on test check basis for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
2. Maintenance of the Secretarial and other records of applicable laws is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant record maintained and furnished to us by the Company, along with explanations where so required.
3. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial and other records, legal compliance mechanism and corporate conduct. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our Secretarial Audit Report.
4. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.
5. We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc., wherever required. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2022 but before issue of the Report.
7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal/professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For **SEP & Associates**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code: P2019KE075600)
UDIN: F003050D000258602

Date : 03.05.2022
Place: Kochi

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
FCS: F3050, COP No. 2210

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 04, 2022

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) ("UCSL"/ "Company"), a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), endeavors to integrate the corporate governance value system in all its activities. The management strives to put in place good corporate governance practices and aims to promote transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement while conducting business. This report on Corporate Governance has been prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

Board of Directors

2. As per the approval of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Government of India, the Chairman and Managing Director (CMD) of CSL shall be the Chairman and the other directors on the Board will be nominated by the CMD, CSL from amongst the Whole-time Directors and officers of CSL not below the rank of General Manager, as Part Time Directors on ex-officio basis.

3. As on March 31, 2022, the Board of the Company consists of three non-executive directors. The Company has a non-executive Chairman. The composition of the Board as on March 31, 2022 is as follows:

Sl. No.	Name	DIN	Category of Directorship
1.	Shri Madhu S Nair	07376798	Non-Executive Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
3.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director

4. During the financial year 2021-22, Shri Sureshbabu N V (DIN: 07482491) ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.

5. Shri Jose V J (DIN: 08444440), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the 37th Annual General Meeting held on September 15, 2021.

6. There were no other changes in the Directors during the financial year 2021-22.

7. Further, the following CSL officers were appointed on the Board of the Company as the nominees of CSL on May 03, 2022:

(a) Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Director (Operations), CSL;

(b) Shri Neelakandhan A N (DIN: 09578936), Chief General Manager (Planning & Project Management), CSL; and

(c) Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), Chief General Manager (Strategy & New Projects), CSL.

8. The profile of the Directors who are on the Board of the Company as on the date of this report including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by the Directors as on March 31, 2022, are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.

9. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

10. Six Board Meetings have been held during the financial year 2021-22 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The 37th AGM of the Company was held on September 15, 2021. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting						AGM
	2021					2022	Sep 15, 2021
	Apr 15	May 07	Aug 05	Nov 08	Nov 26	Feb 03	
Shri Madhu S Nair	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Sureshbabu N V*	Yes	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Bejoy Bhasker	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Jose V J	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

*Shri Sureshbabu N V (DIN: 07482491) ceased to be Director with effect from May 01, 2021 consequent to his retirement on superannuation from the post of Director (Operations) in Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company.

Directorships and Committee positions

11. The total number of Directorship(s)/Chairmanship(s) held by Directors and the positions of Membership/Chairmanship on Committees including Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited), as on March 31, 2022, are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu S Nair	3	3	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	3	-	1
Shri Jose V J	-	3	-	1

• The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.

• Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

12. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to constitute Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee pursuant to Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 read with Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.

General Body Meetings

13. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings (AGM) are given below:

Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2018-19*	December 17, 2020 at 10.40 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	No
2019-20*	December 17, 2020 at 10.50 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	No
2020-21	September 15, 2021 at 11.20 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	No

*As no Annual General Meetings (AGM) of the Company for the financial years 2018-19 and 2019-20 were convened by the erstwhile Management/RP, the new Board of Directors convened the AGMs for the said years on December 17, 2020 in order to regularize the pending Companies Act compliances of the Company prior to the takeover by CSL, to the extent possible.

14. Further, the Company has also conducted an Extra Ordinary General Meeting (EGM) during the financial year 2021-22, the details of which are given below:

Date & Time	Venue	Special Resolution passed
September 28, 2021 at 11.00 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	Yes*

*Special Resolutions for amendment of Memorandum of Association and adoption of new set of Articles of Association were passed in the said EGM.

15. The 38th AGM of the Company is scheduled to be held on September 19, 2022 at 11.20 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Code of Conduct

16. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board Members and Senior Management of the Company as required under the DPE Guidelines on Corporate Governance. All Board Members and Senior Management Personnel have confirmed compliance with the Code for the financial year ended March 31, 2022. A declaration signed by the Chief Executive Officer of the Company in this regard is given below:

Pursuant to the Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, it is hereby declared that all the Board Members and Senior Management Personnel of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (formerly known as Tebma Shipyards Limited) have affirmed compliance with the Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management for the financial year ended March 31, 2022.

(Sd/-)

Harikumar A

Chief Executive Officer

Remuneration to Directors

17. The Directors of the Company are the Functional Directors of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, who are appointed as Non-Executive Directors on ex-officio basis. Accordingly, no remuneration including performance linked incentives are payable to the Directors. Further, there have been no pecuniary relationship or transactions between the Directors and the Company during the reporting period.

Other Disclosures

(i) Related Party Transactions

18. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large.

(ii) Non-compliance by the Company

19. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the period since the completion of the insolvency resolution process of the Company.

(iii) Whistle Blower Policy

20. The Company has an effective Whistle Blower Policy which provides the framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy adopted by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, is applicable on the Company and acts as the Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism of Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited). The said Policy has been hosted on the website of CSL and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee of CSL.

(iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

21. Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India on July 08, 2014, the Company, being in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations, had been exempt from the compliance with the Guidelines on

Corporate Governance. During July, 2021, the Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in spite of COVID related difficulties and the activities for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex is still progressing. The Company is giving utmost priority for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex and in executing the current orders in hand, which follows stringent timelines. Parallely, the Company is also putting in place the necessary systems to comply with the DPE Guidelines on Corporate Governance, wherever applicable.

(v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.

22. The Company became a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Government of India in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

(vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.

NIL

(vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.

NIL

(viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2021-22 were 9.62% (7.07% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 2.12% (1.55% PY) of the total expenses in the year 2021-22.

(ix) Means of communication of results

23. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/half yearly/ annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/half yearly/annual) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Annual

Reports and the official news releases of the Company are placed at the Company's website at www.tebma.co.in. Further, the Annual Reports of the Company are also hosted on the website of CSL viz., www.cochinshipyard.in.

(x) Audit Qualifications

24. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. Shabbir and Ganesh, with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2021-22 does not contain any qualifications/adverse remark. The Company strives to adopt best practices to ensure regime of unqualified financial statements. However, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has made a comment under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of the Company for the financial year 2021-22. The C&AG comments along with the Management's reply on the same is placed at Annexure I to the Directors Report, which forms part of the Annual Report.

(xi) Training of Board Members

25. The Directors of the Company are the Functional Directors of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company and also have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL imparts training to the Directors, wherever considered necessary and has also adopted a policy regarding training of Directors.

Address for Correspondence

Udupi Cochin Shipyard Limited
(formerly known as Tebma Shipyards Limited)
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116.
e-mail: secretary.tsl@cochinshipyard.in
Website: www.tebma.co.in

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
August 04, 2022

Madhu S Nair
Chairman
DIN: 07376798

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

- Statements in this Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) ("UCSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
- The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "UCSL", "Group" are with respect to Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) and its holding company.

Global Shipbuilding Industry

- The COVID-19 outbreak has impacted the shipbuilding industry in several countries and has caused delays in shipyard projects such as new construction, maintenance and conversion. The drop in production rates caused by pandemic-induced interruptions has hindered the market

growth and is expected to continue for this year as well. Though the shipbuilding market is facing a tough time, it is expected to grow in the near future due to increasing seaborne trade and economic growth, rising energy consumption, the demand for eco-friendly ships and shipping services, and the advent of robotics in shipbuilding. Further, the rising development of the latest technologies in the shipbuilding sector is likely to result in the growth of the shipbuilding market.

- Marine transport is the backbone of globalized trade and the manufacturing supply chain, as more than four-fifths of the world's merchandise trade by volume is carried out through the marine route. There has been an increase in demand for maritime transport over the years, which has caused a subsequent rise in the number of imports and exports across the world. The demand for the trade lane has been improving steadily since the peak of COVID-19, which is pushing several port operators for expansion. The gradual rise in international seaborne trade or maritime transport is expected to boost demand for tankers, cargo ships and bulk carriers, which further reinforces the shipbuilding industry outlook.
- Due to the sheer increased requirement for import and export commodities, as a result of globalization, shipbuilding has become an essential strategic industry. Although, Europe remains an important market for cruise ship manufacture, the East Asian area dominates shipbuilding, with China, Japan and South Korea being the world's top shipbuilding nations.

Indian Shipbuilding Industry

- India comprises a significant size maritime sector with 12 Major and 200+ Non-Major Ports situated along its 7500 km long coastline and a vast network of navigable waterways. The country's consumption profile for international goods and natural resources combined with the renewed effort to boost exports, provides an ideal platform to develop the shipbuilding industry. Over the last several years, India has been slowly and steadily augmenting its shipbuilding capacity and technical expertise in key areas to be able to expand its footprint in the global as well as domestic shipbuilding industry.

- The global downturn in the shipbuilding industry significantly impacted the Indian shipyards and India's share in the Global markets has declined to less than 1%. One of the primary issues in Indian shipbuilding is high cost disadvantage as compared globally. Future of shipbuilding is expected to be driven by green technology, autonomous vessels and cost-efficient technologies.
- The Government of India has initiated several policy measures for turnaround of the shipbuilding industry such as:
 - Financial Assistance Policy on Shipbuilding (2016);
 - Grant of Infrastructure Status (2016);
 - Atmanirbhar Bharat Policy (Revised in 2020);
 - SOP for chartering/procurement of tugs (2020); and
 - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (2020).
- The vast network of navigable waterways and coastline coupled with pro-active Government schemes is expected to spur demand for Ocean, Coastal and Inland Waterways vessels. This will give a fillip to the domestic shipbuilding industry and will lead to a positive growth trajectory in the coming years.

Operations

- Consequent to the takeover of the Company by Cochin Shipyard Limited (CSL) in September 2020, through the statutory insolvency resolution process, various activities were initiated for revamping the Company's infrastructure facilities for commencing the operations. During the financial year 2021-22, the revamping activities were streamlined

despite COVID related difficulties and the Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021. Necessary activities for fully operationalising the facility at Malpe Harbour Complex were also undertaken during the reporting period and is still progressing.

- During the reporting period, the Company bagged orders from CSL for fabrication, outfitting and machinery installation of eight Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, of which two vessels have already been delivered; one in March 2022 and the other in April 2022. The work on other vessels are progressing at the Hangarkatta facility of the Company. Further, during March 2022, the Company has also signed contracts with Ocean Sparkle Limited (OSL), a leading port operations and marine services company, for building two Tugs and with a beneficiary from the state of Andhra Pradesh for construction of one Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)".
- During the first quarter of FY 2022-23, the Company also received orders for:
 - constructing one training vessel for Directorate of Incubation and Vocational Training in Fisheries, Ramanathapuram, Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalitha Fisheries University;
 - constructing one Purse Seiner Deep Sea Fishing Boat for GKS Marine Exports Private Limited, Trivandrum; and
 - Dry-docking and repairs of SBM of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL).

- The Company has reported a loss of Rs. 1294.13 lakhs for the year ended March 31, 2022 as against the loss of Rs. 136.04 lakhs for the previous year. Further, the Company has reported total income of Rs. 1008.06 lakhs for the year ended March 31, 2022 as against Rs. 74.74 lakhs for the previous year. The financial highlights for the reporting period are given below:

Sl. No.	Particulars	(Rs. in Lakhs)	
		Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
(i)	Total Income	1008.06	74.74
(ii)	Profit/(Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	(128.83)	(101.84)
(iii)	Finance cost	53.45	23.14
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	1322.03	1284.46
(v)	Profit/(Loss) Before Tax	(1504.31)	(1409.44)
(vi)	Tax	(485.33)	(10.00)
(vii)	Exceptional Items	275.15	1263.40
(viii)	Net Profit/(Loss)	(1294.13)	(136.04)
(ix)	Net-worth	12431.53	13653.21

Proposed Dividend

14. No dividend is recommended due to the non-availability of divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

15. During the reporting period the Company had just commenced its shipbuilding operations and hence, shipbuilding is considered as reportable segment for the purpose of segment reporting. The performance of the Company in the shipbuilding segment for the reporting period is given below:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022
Segment Assets	
Shipbuilding	7742.24
Others	9382.06
Total	17124.30
Segment Liabilities	
Shipbuilding	741.68
Others	4692.77
Total	5434.45
Segment Revenue	
Shipbuilding	641.98
Unallocated	366.08
Total	1008.06
Segment Result	
Shipbuilding	27.40
Unallocated	(1531.70)
Total	(1504.30)

Since the Company had no operations during the previous year 2020-21, segment wise/ product wise performance for the said period is not provided.

SWOT

16. The Company has high end infrastructure & facilities that has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients. Further, the highly committed and dedicated work force capable of executing the assigned tasks as planned is one of the major strengths of the Company. UCSL being a wholly owned subsidiary of CSL, one of the premier shipyards in India, the expertise and experience of CSL in building and repairing various kinds of vessels will add on to the capabilities of the Company significantly. The Company considers the stagnant growth of indigenous ancillary industries and consequent non-availability of major equipment/raw materials as a major weakness in achieving the Company's objectives as planned.
17. Government's emphasis on developing shipbuilding industry and the emerging segments viz., technologically advanced fishing vessels, Tugs, Port crafts, small dredgers, cargo vessels, compact specialised crafts etc., is expected to provide abundant opportunity and the Company looks forward to tap such opportunities, wherever found feasible.

18. The major threats foreseen by the Company in achieving its objectives are rapidly changing technology, rising cost of labour, stringent government regulations on procurement, distress pricing policies of competitors etc.

Risks and concerns

19. The Company commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021. Necessary activities for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex is still progressing. The practical difficulties in removing the excluded ship (Tug) and other scrap from the site is the major challenge faced by the Company presently. The Company is taking all possible steps to clear the site and start full-scale operations as soon as possible.
20. The facilities of the Company at Malpe Harbour Complex and Hangarkatta had been set up in the land leased by the Government. The lease agreement for Malpe will expire in 2023, while the lease period for Hangarkatta has already expired in 2019. However, the Company continues to pay the lease rents. Discussions with the Government of Karnataka to renew the lease are in the advanced stages and is expected to fructify soon.

Internal Control

21. The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Human Resource Development and Industrial Relations

22. As on March 31, 2022, the Company has 63 employees consisting of 22 executives, 10 supervisors and 31 workmen. Apart from the above, employees of the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis. The Company is giving utmost priority for fully operationalising the main facility at Malpe Harbour Complex and in executing the current orders in hand, which follows stringent timelines. The Company provides training to its work force in various fields as per the job requirements. During the reporting period the Company maintained cordial industrial relations.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

23. The necessary activities for revamping the shipyard infrastructure facilities of the Company to commence the operations were undertaken, consequent to the takeover of the Company by CSL through the statutory insolvency resolution process in September 2020. The Company had given utmost importance to environment protection and conservation, adopting new technologies and energy efficient measures while considering the proposals for reviving and operationalising the facilities. Further, the Company had commenced its shipbuilding operations at the Hangarkatta facility in July 2021 by building the Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly boat. The Company has bagged orders for fabrication, outfitting and machinery installation of eight such boats from CSL; of which two have already been delivered and the work on other vessels are progressing. With the execution of these orders, the Company has acquired necessary competencies for construction of Aluminium vessels and skills acquired specifically in:

- Development of welding procedures which ensure quality welds with almost nil NDT defects;

- Better hull fabrication and outfitting processes for ensuring fit and finish of the hulls;
 - Competency to work with composite materials;
 - Development of competent vendors for undertaking various fabrication, erection and outfitting works in Aluminium; and
 - Identification of processes and development of vendors for surface preparation and painting of Aluminium hulls.
24. The Company believes in sustainable development and gives priority to environment friendly and energy efficient measures in conducting the business. The Company also strives to adopt latest available technology in its business processes and operations, wherever found feasible.
25. During the reporting period, the Company has incurred an amount of Rs. 15.34 lakhs towards expenses in foreign currency. Further, no income in foreign currency have been earned during the reporting period.

Corporate Social Responsibility

26. The Company had been focusing on reviving and operationalising the facilities and hence did not undertake any CSR activities during the financial year 2021-22. Further, the Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR.

Cautionary statement

27. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair

Chairman

DIN: 07376798

Kochi
August 04, 2022

Independent Auditors' Report

To
The members of **UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED**
(Formerly TEBMA SHIPYARDS LIMITED)

Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

AUDITOR'S OPINION

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited ("the Company"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Ind AS Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "financial statements")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("The Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2022 and its loss (including Other Comprehensive Loss), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the

Key audit matter

As described in Note No. 2.19(a) of the financial statements, the Company recognises revenue from contracts with customers when it satisfies its performance obligations.

There are significant accounting judgements in estimating revenue to be recognised on contracts with customers, including estimation of transaction price allocation to the completed performance obligations and determining the timing of revenue recognition

Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters in the notes to the Ind AS financial statements

1. Note 48 - As regards the management's evaluation of COVID-19 impact on the future performance of the company. Our opinion is not modified in respect of this matter.
2. Note 3 - The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) which has not been recognized in accounts due to pending verification & valuation of the same and Hangarkatta Land lease which has expired in 2019.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

How our audit addressed the key audit matter

Our key audit procedures included:

- Assessing the Company's process to identify the impact of revenue accounting standard.
- Testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows:
 - Evaluating the design of internal controls relating to implementation of the revenue accounting standard.

Financial Statements

Key audit matter	How our audit addressed the key audit matter
<p>The Company recognises revenue based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selecting a sample of continuing contracts, and testing the operating effectiveness of the internal control, relating to identification of the distinct performance obligations and determination of transaction price and carrying out a combination of procedures involving enquiry and observation and inspection of evidence in respect of operation of these controls. Testing the relevant information technology systems' access and change management controls relating to contracts and related information used in recording and disclosing revenue in accordance with the revenue accounting standard. Selecting a sample of continuing and contracts and performing the following procedures: <ul style="list-style-type: none"> Reading, analysing and identifying the distinct performance obligations in these contracts. Comparing these performance obligations with that identified and recorded by the Company. Considering the terms of the contracts to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration.
<p>Refer to the accounting policies in "Note 2.23 to the Financial Statements: Significant Accounting Policies –Income Tax" and "Note 7 to the Financial Statements: Deferred Tax Assets"</p> <p>Significant estimate and judgement involved in the recognition of deferred tax assets require a determination of future taxable income based on the Company's expectations. The assessment of realizability of deferred tax assets is based on a reasonable and supportable evidences and certainty test, depending on the composition of the deferred tax assets.</p> <p>Given the Company's recent financial performance, we identified recognition of deferred tax assets as a key audit matter because of the significant management judgement and assumptions involved in estimating the future taxable income based on the income forecasts approved by the Company's Board of Directors.</p>	<p>Our key audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessing the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal financial controls over the recognition of deferred tax assets. Obtaining details of different components of deferred tax assets and details of estimates of taxable incomes for future periods as approved by the Board of Directors. Obtaining confirmation where the future forecasts were approved in the meetings of the Board of Directors. Evaluating the management assessment relating to the amendment in Income Tax Act and its consequential impact on items that qualify for recognition of deferred tax assets. Evaluating the management assessment for estimating availability of future taxable profits for determination of recognition of deferred tax assets. Assessing the period over which the deferred tax assets would be recovered against future taxable income. Evaluating the Company's actual performance vis-à-vis the budgets for the current and past years and discussed with management their basis and assumptions in respect of evidence to support that there will be sufficient taxable income to absorb the deferred tax asset.

Key audit matter	How our audit addressed the key audit matter
<p>Refer to the accounting policies in "Note 2.27 to the Financial Statements: Significant Accounting Policies –Exceptional Items" and "Note 36 to the Financial Statements: Exceptional Items"</p> <p>The new management has reviewed the recoverability of all assets and accordingly the Company has recorded impairment allowance / write offs in respect of Property, plant and equipments – Rs 454.51 lakhs in the financial statements.</p>	<p>Our key audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessing the valuation methodology applied in determining the value in use. Assessing key assumptions applied to arrive at the value in use by involving internal valuation specialists. Assessing the accounting for impairment made in the financial statements in accordance with Ind-AS.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the Ind AS financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we are not expressing any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors responsible for the matters stated in Section 134(5) the Act with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, profit or loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued there under.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection

and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,

and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Ind AS financial statements of

the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we have given in the **Annexure A**, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. Based on the verification of Records of the Company and based on the information and explanations given to us, we give in **Annexure B** a report on the Directions and Sub-Directives issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Companies Act, 2013.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d. In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act.
 - e. In view of the exemption given vide notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company.
 - f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure C**". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

- g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Company is exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Notes 40.1 to the Financial Statements.
 - ii. The Company has long-term contracts as at March 31, 2022 for which there were no material foreseeable losses. The Company does not have long term derivative contracts as at March 31, 2022.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 42 to the accounts, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"),

with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) of Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- v. The company has not declared any dividend during the year.

For **SHABBIR AND GANESH**,
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 0090335

CA GANESH YERMAL
Partner
Membership No. 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455

Place:- Udupi
Date:-03.05.2022

Annexure A

to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date.

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

- i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:
 - (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and relevant details of right-of-use assets.
 - (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
 - (b) The physical verification of all the Property, Plant and Equipment was conducted by the management during the year, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business and no material discrepancies were noticed on such verification.
 - (c) Based on our examination of the property tax receipts and lease agreement for land on which building is constructed, registered sale deed / transfer deed / conveyance deed provided to us, we report that, the title in respect of self-constructed buildings and title deeds of all other immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee), disclosed in the financial statements included under Property, Plant and Equipment are held in the name of the Company as at the balance sheet date. The Hangarkatta yard lease has expired in 2019.
 - (d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment (including right-of-use assets) and intangible assets during the year.
 - (e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

- ii. (a) The inventory has been physically verified by the management during the year in accordance with the inventory verification procedure adopted by the Management which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business and no discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on such verification.
- (b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of ₹ 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
- iii. The Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, the provisions of clause (iii) (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the Order are not applicable to the Company.
- iv. The Company has not advanced any loan, given any guarantee or provided any security to the parties covered under Section 185. The Company has not given any loan or made any investment covered under Section 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, reporting under clause 3 (iv) of the Order does not arise.
- v. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public in accordance with the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under. Accordingly, the provision of Clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.
- vi. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period. Hence the question of our reporting under this clause does not arise.
- vii. (a) The company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Custom, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) As mentioned in Note 36 to the financial statements, pursuant to the implementation of the Resolution Plan, there are no dues in respect of statutory dues referred to in sub-clause (a) that have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.
- viii. There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- ix. (a) The Company has not defaulted on any loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.
- (b) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
- (c) The Company has not borrowed any term loans during the year and the outstanding term loans at the beginning of the year were applied for the purpose for which the loans were obtained.
- (d) The Company has not raised any funds on short term basis during the year and hence, reporting under clause 3(ix)(d) of the Order is not applicable.
- (e) On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.
- (f) The Company has not raised any loans during the year and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- x. (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

- xi. (a) No fraud by the Company and no fraud on the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) The Company has not adopted any whistle blower policy during the year and no whistle blower complaints have been reported during the year (and upto the date of this report).
- xii. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.
- xiii. In our opinion, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
- xiv. (a) In our opinion the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- xv. In our opinion during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors. and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- xvi. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi) (a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- xvii. The Company has incurred cash losses of Rs 163.39 lakhs during the financial year covered by our audit and Rs. 124.98 lakhs during the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.

xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. Further, the Company does not have any borrowings whose repayment fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the

audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx. The provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period. Hence the question of our reporting under this clause does not arise.

For **SHABBIR AND GANESH.**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No. 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455

Place:- Udupi
Date:-03.05.2022

Annexure B to the Independent Auditors' Report

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our Independent Auditors report of even date on the IND AS financial statements of Udupi Cochin Shipyard Ltd for the year ended 31 March, 2022"

Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2022

We give below our report on the matters referred therein:

A. General Directions

a) **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

In our opinion, the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except inventory management. Based on the information and explanations given to us, and based on procedures performed by us, we are of the opinion that the company has an adequate internal control system to prevent and detect processing of accounting transactions outside the IT system. As per information provided to us, there has been no such instance reported during the year.

b) **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).**

The Company was subject to Corporate Insolvency Resolution Process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Resolution Plan was

approved by NCLT-Division Bench-I, Chennai on March 04, 2020 as per which out of the total admitted debt of the lender banks aggregating to Rs.602.39 Crores, 9.74% pay amounting to Rs.58.65 Crores was approved and paid to lenders during September 2020. The financial effect for write back of liabilities was given in FY 2019-20. As per the Resolution plan the financial creditors are also eligible for the proceeds of Excluded Ships and Excluded Financial Assets. Apart from this, there has not been any restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company during the year.

c) **Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from central/state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

In our opinion, and based on the information and explanations given to us, the funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions.

B. Sub Directions

No Sub Directions were issued for the period under audit.

For **SHABBIR AND GANESH.**

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No. 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455

Place:- Udupi
Date:-03.05.2022

Annexure C

to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of Udupi Cochin Shipyard Limited on the audit of Ind AS financial statements for the year ended 31st March 2022

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Udupi Cochin Shipyard Limited ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (The "Guidance Note"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be

detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to these Ind AS financial statements and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31,

2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For **SHABBIR AND GANESH**,
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 0090335

CA GANESH YERMAL
Partner

Place:- Udupi
Date:-03.05.2022

Membership No. 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455

Balance Sheet

as at March 31, 2022

(Rs in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	3	8,700.50	9,956.20
(b) Capital work-in-progress	4	470.45	103.61
(c) Intangible assets	5	14.35	8.96
(d) Income tax assets (net)	6	30.40	11.95
(e) Deferred tax assets (net)	7	4,474.85	3,989.52
(f) Other non-current assets	8	-	-
Total Non-Current assets		13,690.55	14,070.24
Current assets			
(a) Inventories	9	992.21	188.92
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	10	97.51	6.52
(ii) Cash and cash equivalents	11	1,580.51	2,526.99
(iii) Bank balances other than (ii) above	12	100.88	0.81
(iv) Other Financial assets	13	4.53	0.67
(c) Other current assets	14	644.52	93.94
Total Current assets		3,420.16	2,817.85
Assets held for Sale	15	13.59	-
Total Assets		17,124.30	16,888.09
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share capital	16	6,500.00	6,500.00
(b) Other equity	17	5,931.53	7,153.21
Total Equity		12,431.53	13,653.21
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	18	1,500.00	500.00
(ia) Lease liabilities	19	61.90	75.39
(b) Provisions	20	8.03	-
Total Non-Current Liabilities		1,569.93	575.39
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings			
(ia) Lease liabilities	21	14.96	8.44
(ii) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		373.22	-
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises	22	64.19	0.83
(ii) Other financial liabilities		1,449.64	1,432.30
(b) Other current liabilities	24	209.76	7.14
(c) Provisions	25	1,011.07	1,210.78
Total Current Liabilities		3,122.84	2,659.49
Total Equity and Liabilities		17,124.30	16,888.09

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1 - 2

Notes to the Financial Statements

3 - 50

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary
M. No. A41969
Kochi, dated May 03, 2022

SHIBU JOHN

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director
DIN - 08444444

MADHU S NAIR

Chairman
DIN - 07376798

For M/s Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 0090335

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455
Udupi, Date: May 03, 2022

Statement of Profit and Loss

for the Year ended March 31, 2022

(Rs in Lakhs)

SL. No.	Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Income				
I	Revenue from Operations	26	641.98	-
II	Other Income	27	366.08	74.74
III	Total Income (I+II)		1008.06	74.74
IV Expenses				
	Cost of materials consumed	28	389.73	-
	Changes in Inventories of Work-in-Progress	29	(352.31)	-
	Sub contract and other direct expenses	30	387.09	-
	Employee Benefits Expense	31	451.72	71.60
	Finance costs	32	53.45	23.14
	Depreciation and Amortisation Expense	33	1322.03	1284.46
	Other expenses	34	241.77	104.98
	Provision for anticipated losses and expenditure	35	18.89	-
	Total expenses (IV)		2512.37	1484.18
V	Profit/ (Loss) before exceptional items and tax (III-IV)		(1504.31)	(1409.44)
VI	Exceptional Items	36	275.15	(1263.40)
VII	Profit/ (Loss) before Tax (V-VI)		(1779.46)	(146.04)
VIII Tax expense				
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax	7	(485.33)	(10.00)
IX	Profit/(Loss) for the period/year(VII-VIII)		(1294.13)	(136.04)
X Other comprehensive income				
	A) Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
	B) Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
	Other comprehensive income for the year		-	-
XI	Total Comprehensive Income for the year (IX+X)		(1294.13)	(136.04)
XII	Paid up equity share capital (Face value - Rs 10 each)		6500.00	6500.00
	Earnings per equity share of Rs 10 each	37		
	(1) Basic (Rs)		(1.99)	(0.21)
	(2) Diluted (Rs)		(1.99)	(0.21)
			Annualised	Annualised

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1 - 2

Notes to the Financial Statements

3 - 50

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary
M. No. A41969
Kochi, dated May 03, 2022

SHIBU JOHN

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director
DIN - 08444444

MADHU S NAIR

Chairman
DIN - 07376798

For M/s Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 0090335

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455
Udupi, Date: May 03, 2022

Statement Of Changes In Equity

for the year ended March 31, 2022

A. Share Capital

As at April 01, 2021	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2022
6,500.00	0.00	6,500.00

(Rs in Lakhs)

As at April 01, 2020	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2021
20,236.15	-13,736.15	6,500.00

(Rs in Lakhs)

B. Other Equity

	Reserves and Surplus			Total
	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2021	-	7,289.25	(136.04)	7,153.21
Add : Hangarkatta land accounted at fair value	-	72.45	-	72.45
Profit for the year	-	-	(1,294.13)	(1,294.13)
Other comprehensive income for the year	-	-	-	-
Balance as at March 31, 2022	-	7,361.70	(1,430.17)	5,931.53

(Rs in Lakhs)

	Reserves and Surplus			Total
	Securities Premium Reserve	General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2020	12,194.71	228.33	(29,203.96)	(16,780.92)
Adjustment on account of cancellation of capital	(12,194.71)	12,194.71	-	-
Cancellation of Share capital	-	20,236.15	-	20,236.15
Add :Fair valuation made to Thenkasi land and Vehicles	-	194.83	-	194.83
Add: Opening DTA	-	-	3,979.52	3,979.52
Less : Cancellation of MAT credit and Provision created against TDS receivable	-	-	(340.33)	(340.33)
Transfer from retained earnings to General reserve	-	(25,564.77)	25,564.77	-
Profit for the year	-	-	(136.04)	(136.04)
Balance as at March 31, 2021	-	7,289.25	(136.04)	7,153.21

(Rs in Lakhs)

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1 - 2
Notes to the Financial Statements 3 - 50
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M Company Secretary M. No. A41969 Kochi, dated May 03, 2022	SHIBU JOHN Chief Financial Officer	HARIKUMAR A Chief Executive Officer	JOSE V J Director DIN - 08444440	MADHU S NAIR Chairman DIN - 07376798
---	--	---	---	---

For M/s Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 0090335

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455
Udupi, Date: May 03, 2022

Statement of Cash Flow

for the year ended March 31, 2022

(Rs in Lakhs)

Particulars	For Year Ended March 31, 2022	For Year Ended March 31, 2021
A. Cash flows from operating activities		
Profit before tax	(1,779.46)	(146.04)
Adjustments:		
Depreciation and amortisation	1,322.03	1,284.46
Write off of Assets	454.51	-
Interest expense	46.93	14.69
Interest income	(75.68)	(6.26)
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(0.36)	-
Operating cash flow before working capital changes	(32.03)	1,146.85
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(804.01)	(188.92)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(660.01)	(87.73)
Increase / (decrease) in trade and other payables	450.67	735.66
	(1,045.38)	1,605.85
Income taxes paid (Net of Refunds)	-	-
Net cash flows from operating activities (A)	(1,045.38)	1,605.85
B. Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(466.67)	(68.61)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(365.55)	(103.61)
(Increase) / decrease in Term deposits with maturity above three months	(100.07)	-
Interest received	71.82	6.26
Net cash flows from investing activities (B)	(860.47)	(165.96)
C. Cash flows from financing activities		
Repayment of borrowings	-	(5,965.00)
Net gain /loss on foreign currency transactions	0.36	-
Borrowing of Debt	1,000.00	500.00
Issue of Capital	-	6,500.00
Interest Expense	(27.50)	(14.69)
Repayment of lease liability	(13.49)	(20.51)
Net cash flows from financing activities (C)	959.37	999.80
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(946.48)	2,439.70
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,526.99	87.29
Cash and cash equivalents at the end of the year	1,580.51	2,526.99
Components of cash and cash equivalents (refer note 11)		
Cash on hand	-	-
Balances with banks		
- in current accounts	1,580.51	2,526.99
Total cash and cash equivalents	1,580.51	2,526.99

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1 - 2
Notes to the Financial Statements 3 - 50
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M Company Secretary M. No. A41969 Kochi, dated May 03, 2022	SHIBU JOHN Chief Financial Officer	HARIKUMAR A Chief Executive Officer	JOSE V J Director DIN - 08444440	MADHU S NAIR Chairman DIN - 07376798
---	--	---	---	---

For M/s Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 0090335

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455
Udupi, Date: May 03, 2022

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), a company engaged in manufacturing and repair of commercial ships for domestic and international clients and warships for Indian Navy, was founded on July 09, 1984. UCSL was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited', became public as 'Tebma Engineering Limited' and subsequently the name was changed to 'Tebma Shipyards Limited'. In September 2020, the Company was taken over by Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India, through the statutory insolvency resolution process. Consequently, on April 22, 2022, the name of the Company was changed to 'Udupi Cochin Shipyard Limited'.

The Registered Office of the Company is situated at S.No.377, Pazhamathur Village, Pukathurai Post, Madurantakam Taluk, Kancheepuram – 603 116. UCSL has two yards; One in Malpe – Karnataka and the other one in Chengalpet – Tamil Nadu. It has a major fabrication unit in Hangarkatta (about 20 km from the Malpe yard). The Company has been known for its quality standards and commitment levels in the shipbuilding industry.

The financial statements for the year ended March 31, 2022 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on May 03, 2022.

UCSL experienced financial difficulties due to the cancellation of Orders and in 2010, the Company entered into a Capital Debt Restructuring Agreement with the Consortium of bankers and Master Restructuring Agreement (MRA) was signed in April 2011. Further, consequent to the Company's failure in honouring its financial commitments, one of the operational creditors filed an insolvency petition under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against the Company in 2018. The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai vide its Order dated September 25, 2018 allowed the petition and the Company was placed under the Corporate Insolvency Resolution Process (herein after referred to as "Resolution Process").

During the Resolution Process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of

India, submitted its Resolution Plan for acquiring UCSL and the NCLT, Chennai vide its Order dated March 04, 2020 approved the said Resolution Plan. Consequently, the Resolution Plan implementation process was initiated and a Monitoring Committee consisting of CSL Nominees, the Resolution Professional and the CoC Nominee was constituted for monitoring the implementation of the Resolution Plan and intermittent management of UCSL from the date of NCLT Order till the payment of bid amount. On September 15, 2020, CSL paid the bid amount for takeover of the Company consequent to which the Company became a wholly owned subsidiary of CSL and the new Board of Directors nominated by CSL took charge of the Company. Further, all claims/dues/liabilities of the Company got fully extinguished except to the extent mentioned in the approved Resolution Plan and the NCLT Order. With this the Resolution Process of the Company came to a close.

2. Significant Accounting Policies

2.1 Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Company.

2.2 Statement of Ind AS compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.3 Basis of preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments, PPE and RoU Assets which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

2.4 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Company reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Company are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.6 Property, Plant and Equipment (PPE)

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

The Company had elected to consider the fair value of the assets as on the transition date as the deemed cost of assets at the time of transition.

2.7 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.8 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up-front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.9 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted

As a Lessee:

The Company's leased asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows payable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value. Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various assets class are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Electrical Installation/ Fittings	10 years
Vehicles	8- 10 years
Data Processing Equipments	3-6 years

Leasehold land is amortised over the period of lease. Leasehold improvements including certain buildings, and slipway are depreciated over the lower of remaining estimated useful lives and the lease period. Individual assets costing less than Rs 5,000/- are depreciated at 100% in the year of purchase.

2.11 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Company classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to disposal and presented separately in the financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation. Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss

2.13 Inventories

(a) Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/ supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

- (b) Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.
- (c) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.
- (d) Work In Progress (WIP) other than construction contracts have been valued at lower of cost and net realisable value.
- (e) Finished goods are valued at cost or net realisable value which ever is lower

2.14 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Company makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Company of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable. Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the company even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts. Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

2.15 Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from

the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

2.16 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 115.

2.17 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.18 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

2.19 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer.

In circumstances, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and

revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Other Income

i) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.

ii) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis

iii) Accounting for insurance claims

(a) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(b) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

(iv) Interest Income

In case of fixed deposits, interest is accounted when it accrues to the Company by applying interest rate as applicable to each fixed deposit.

(v) Scrap income with respect to Ship building and Ship Repair are treated as Operating income and other than that is considered as Other income.

(vi) Charter hire charges income is accounted on time period basis

2.20 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Provident fund: Contributions to provident fund (a defined contribution plan) are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the profit and loss account. The Company has no further obligations for future provident fund benefits other than its monthly contributions.

Defined benefit plans

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

2.21 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs

2.22 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.23 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to

items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled. Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

2.24 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.25 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Others.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.26 Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

2.27 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the financial statements and also as per Guidance note on Ind AS III.

2.28 Current versus Non-current classification

The assets and liabilities in the Balance Sheet are based on current/non-current classification.

The classification of assets and liabilities, wherever applicable, are based on normal operating cycles of different business activities of the Company, which are as under:

- (a) In case of Shipbuilding and Ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of expiry of guarantee period.
- (b) In case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

An asset is classified as current when it is:

- i. Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- ii. Held primarily for the purpose of trading,
- iii. Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- iv. Cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non - current.

A liability is classified as current when it is:

- i. Expected to be settled in normal operating cycle,
- ii. Held primarily for the purpose of trading,
- iii. Due to be settled within twelve months after the reporting period, or

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

- iv. There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are treated as non – current liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non -current assets and liabilities.

2.29 Foreign currency transactions

The financial statements are prepared in Indian Rupees being the functional currency.

Transactions denominated in foreign currencies are initially recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the functional currency rates of exchange at the reporting date.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates at the dates of the initial transactions.

Exchange differences arising on settlement or translation of monetary items are recognised in the statement of profit or loss.

2.30 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 23, 2022, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2022, as below.

Ind AS16– Property Plant and equipment - The amendment clarifies that excess of net sale proceeds of items produced over the cost of testing, if any, shall not be recognised in the profit or loss but deducted from the directly attributable costs considered as part of cost of an item of property, plant, and equipment. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2022. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its financial statements.

Ind AS 37– Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets –The amendment specifies that the 'cost of fulfilling' a contract comprises the 'costs that relate directly to the contract'. Costs that relate directly to a contract can either be incremental costs of fulfilling that contract (examples would be direct labour, materials) or an allocation of other costs that relate directly to fulfilling contracts (an example would be the allocation of the depreciation charge for an item of property, plant and equipment used in fulfilling the contract). The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2022, although early adoption is permitted. The Company has evaluated the amendment and the impact is not expected to be material.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount	
	As at April 01, 2021	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2022	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Tangible assets								
Land - freehold	2,607.87	72.45	-	2,680.32	-	-	-	2,607.87
Building	2,062.96	99.13	8.10	2,153.99	190.53	8.01	370.82	1,783.17
Plant and machinery	4,679.23	266.54	770.39	4,175.38	566.45	335.42	1,320.81	2,854.57
Office equipments	40.82	3.01	19.42	24.41	6.85	10.23	4.83	19.58
Furniture and fittings	27.93	-	9.91	18.02	4.98	7.19	8.16	9.86
Computers	18.06	43.57	17.26	44.37	8.09	11.00	7.89	36.48
Electrical Installation	-	27.57	-	27.57	0.15	-	0.15	27.42
Electrical Fittings	14.21	5.37	-	19.58	1.74	-	1.82	17.76
Vehicles	7.33	-	-	7.33	1.39	-	2.08	5.25
Sub Total	9,458.41	517.64	825.08	9,150.97	780.18	371.85	1,716.56	7,434.41
Assets held on Leased Premises								
Building	1,830.40	-	20.76	1,809.64	281.53	5.87	1,024.69	784.95
Slipway	1,108.00	9.99	-	1,117.99	227.65	-	681.05	436.94
Right of Use Assets (IND AS 116)	95.90	-	-	95.90	25.85	-	51.70	44.20
Sub Total	3,034.30	9.99	20.76	3,023.53	535.03	5.87	1,757.44	1,806.02
Total	12,492.71	527.63	845.84	12,174.50	1,315.21	377.72	3,474.00	8,700.50

(Rs in Lakhs)

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount	
	As at April 01, 2020	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Tangible assets								
Land - freehold	2,420.37	187.50	-	2,607.87	-	-	-	2,420.37
Building	2,060.41	2.55	-	2,062.96	94.02	-	188.30	1,874.66
Plant and machinery	4,657.45	21.78	-	4,679.23	544.53	-	1,089.78	3,589.45
Office equipments	19.42	21.40	-	40.82	4.40	-	8.21	32.61
Furniture and fittings	20.06	7.87	-	27.93	5.19	-	10.37	17.56
Computers	17.26	0.80	-	18.06	5.14	-	10.80	7.26
Electrical Fittings	-	14.21	-	14.21	0.08	-	0.08	14.13
Vehicles	-	7.33	-	7.33	0.69	-	0.69	6.64
Sub Total	9,194.97	263.44	-	9,458.41	654.05	-	1,308.23	8,150.18
Assets held on Leased Premises								
Building	1,830.40	-	-	1,830.40	374.00	-	749.03	1,081.37
Slipway	1,108.00	-	-	1,108.00	226.39	-	453.40	654.60
Right of Use Assets (IND AS 116)	-	95.90	-	95.90	25.85	-	25.85	70.05
Sub Total	2,938.40	95.90	-	3,034.30	626.24	-	1,228.28	2,336.36
Total	12,133.37	359.34	-	12,492.71	1,280.29	-	2,536.51	9,956.20

(Rs in Lakhs)

UCSL has entered into agreements with Kundapura Port & Govt of Karnataka for lands taken on lease at Malpe and Hangarkatta. The lease agreement for Malpe will expire in 2023, while the lease period for Hangarkatta land has already expired in 2019. Discussions are currently underway with the Government of Karnataka to renew the lease licenses. Meanwhile Company paid during the year an amount of Rs. 13.49 Lakhs towards Malpe lease rent and Rs 1.67 lakhs towards Hangarkatta Lease rent. Ind AS 116 is applied only for Malpe leasehold land.

78.05 cents of land at Hangarkatta has been valued at Rs 72.45 lakhs and same been recognized in General reserve. The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have not been recognized in accounts due to pending verification & valuation of the same

Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 4 : Capital work-in-progress

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Plant and machinery, Buildings and Civil works	470.45	103.61
Total	470.45	103.61

(Rs in Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	456.32	14.13	-	-	470.45
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

None of the projects under work in progress are overdue in respect of budgeted time and cost and hence overdue CWIP schedule not applicable.

Note 5 : Other Intangible assets

(Rs in Lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at April 01, 2021	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2022	As at April 01, 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2022	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Software	-	11.49	-	11.49	-	1.29	-	1.29	10.20	-
Right to Use - land	16.68	-	-	16.68	7.72	4.81	-	12.53	4.15	8.96
Total	16.68	11.49	-	28.17	7.72	6.10	-	13.82	14.35	8.96

(Rs in Lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at April 01, 2020	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2021	As at April 01, 2020	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2021	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Right to Use - land	16.68	-	-	16.68	3.55	4.17	-	7.72	8.96	13.13
Total	16.68	-	-	16.68	3.55	4.17	-	7.72	8.96	13.13

The Right to use of land shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Port Officer Kundapura towards using Malpe leasehold land, which is amortised over the lease period.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 6 : Income tax assets / liability (net)

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Non current tax assets		
Income Tax Assets	30.40	11.95
Total	30.40	11.95

Note 7 : Deferred tax assets (net)

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Deferred tax liabilities	489.22	817.69
Deferred tax assets	(4,964.07)	(4,807.21)
Total	(4,474.85)	(3,989.52)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2021-22

(Rs in Lakhs)

Particulars	Opening Balance recognised in Retained Earnings	Recognised in Statement of Profit and Loss	Closing Balance
Provisions	(314.80)	49.83	(264.97)
Property, plant and equipment	814.56	(325.34)	489.22
Carry forward losses	(4,492.42)	(198.18)	(4,690.60)
Others	3.15	(11.65)	(8.50)
Total	(3,989.52)	(485.33)	(4,474.85)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2020-21

(Rs in Lakhs)

Particulars	Opening Balance recognised in Retained Earnings	Recognised in Statement of Profit and Loss	Closing Balance
Provisions	(325.00)	10.20	(314.80)
Property, plant and equipment	971.29	(156.73)	814.56
Carry forward losses	(4,625.81)	133.39	(4,492.42)
Others	-	3.15	3.15
Total	(3,979.52)	(10.00)	(3,989.52)

As at March 31, 2022, the company has assessed recognition of deferred tax assets by assessing availability of sufficient future taxable profits, based on financial projections which have been approved by the Management, to absorb the deferred tax asset.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 8 : Other non-current assets

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Unsecured, considered good		
Subsidy Receivable	-	179.36
Less : Provision for Subsidy receivable	-	(179.36)
Total	-	-

Note 9 : Inventories

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Raw Materials	3,286.63	2,816.76
Work in Progress	352.31	-
Less: Provision for inventory	(2,646.73)	(2,627.84)
Total	992.21	188.92

Note 10 : Trade Receivables-Current

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Trade Receivables considered good - Unsecured	97.51	6.52
Total	97.51	6.52

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle. Since the Trade receivables are due for less than one year, no expected credit loss allowance is made under Ind AS 109.

(Rs in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	97.51	-	-	-	-	97.51
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 11 : Cash and Cash equivalents

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Cash on hand	-	-
Balance with Banks		
In current account	96.35	276.65
Fixed deposits		
Term deposits with original maturity of less than three months	1,484.16	2,250.34
Total	1,580.51	2,526.99

Pursuant to resolution plan submitted by the Cochin Shipyard Limited, for Udupi Cochin Shipyard Limited the bid amounts have been paid to the banks under the approved resolution plan and all security charges, encumbrances, created or suffered to exist in relation to credit facilities extended to UCSL, stands released, discharged in terms of the resolution plan. Consequently the Bank guarantees stands discharged and margin money shall be released to Udupi Cochin Shipyard Limited. However, the margin monies (aggregating approx. Rs.351.115 lakhs) have not yet been actually released by the banks to the Company as they hold the same as lien for the Bank Guarantees issued by them earlier which has been disputed by the UCSL. Therefore, on a prudent basis, the company will recognize the Fixed deposits, in the period in which the banks actually release the margin money deposits.

Note 12 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	100.00	-
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	0.88	0.81
Total	100.88	0.81

*Deposits with banks with maturity less than three months represents lien marked deposits in favour of State Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

Note 13 : Other Financial Assets - Current

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Interest accrued on fixed deposits	4.53	0.67
Total	4.53	0.67

Note 14 : Other Current Assets

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Advance paid to suppliers and others	2.08	13.84
Contract Assets	260.85	-
Miscellaneous deposits	8.89	1.42
Prepaid expenditure	3.46	25.39
Other Receivables	54.32	24.17
Input Tax Credit on GST	314.92	29.12
Total	644.52	93.94

Other receivables represents the amount to be recovered from Committee of Creditors (CoC) on account of expenses incurred towards the excluded ships from the CIRP Account operated by Resolution Professional currently.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 15 : Assets held for Sale

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31, 2022	March 31, 2021
Asset held for Sale	13.59	-
Total	13.59	-

On physical verification of the assets of the company undertaken by management during Q4 2021-22, it was found that various assets of the company aggregating to Rs. 468.10 Lakhs were in a dilapidated condition or has become obsolete due to shutdown of the operations of the yard and passage of time. As these assets are beyond economic repairs and occupying considerable space, it was proposed to dispose off these assets at the earliest, which is considered appropriate for optimum utilization of the available Yard space to ensure smooth business operations. These class of assets subject to disposal has been regrouped as Assets held for sale and has been retained in books at its fair value less cost to disposal and the asset shall be disposed off within 12 months. The difference between the WDV and the NRV of the assets has been charged to P&L as exceptional items.

Note 16 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00
Preference shares of ₹ 10/- each	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00
Total	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00

16.1 Reconciliation of number of shares and amounts

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	6,50,00,000	6,500.00	7,73,61,505	7,736.15
Add : shares issued during the year	-	-	6,50,00,000	6,500.00
Less : Shares cancelled during the year	-	-	7,73,61,505	7,736.15
Equity Shares outstanding at the end of the year	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Number	Rs in lakhs	Number	Rs in lakhs
Preference Shares outstanding at the beginning of the year	-	-	12,50,00,000	12,500.00
Add : shares issued during the year	-	-	-	-
Less : Shares cancelled during the year	-	-	12,50,00,000	12,500.00
Preference Shares outstanding at the end of the year	-	-	-	-

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 16 : Equity Share Capital (Contd..)

16.2 Details of shares held by Holding company

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%
Total	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%

16.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2022		As at March 31, 2021	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%

16.4 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of Shares	% of total shares
Cochin Shipyard Limited	6,50,00,000	100.00%

Note 17 : Other Equity

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31, 2022	March 31, 2021
General Reserve	7,361.70	7,289.25
Retained Earnings	(1,430.17)	(136.04)
Total	5,931.53	7,153.21

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory. General reserve is a free reserve available to the Company.

Retained earnings represent the amount of accumulated earnings of the Company

Note 18 : Borrowings - Non Current

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31, 2022	March 31, 2021
Unsecured		
Redeemable Non Convertible debentures issued to Holding company @ 6%	1,000.00	-
Loan from Holding Company @5.5% p.a	500.00	500.00
Total	1,500.00	500.00

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 18 : Borrowings - Non Current (Contd..)

- a) Redeemable Non Convertible debentures issued for Rs 1000 Lakhs :- In order to meet the revival and general corporate requirements of UCSL, 1 Lakh NCDs of face value Rs 1000 each have been issued by UCSL to CSL, through private placement. The coupon rate is 6% and the interest needs to be paid on yearly basis. NCDs are redeemable at par at the end of 84 months i.e; on 26th November 2028.
- b) Loan of Rs 500 Lakhs :- In order to meet the expenses arising during operational phase of UCSL, Holding company Cochin Shipyard Limited infused Rs 500 lakhs as unsecured loan carrying an interest rate of 5.5% p.a on 18.09.2020. The principal amount to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2025. Interest repayments to be made on yearly basis from the date of disbursement.

Note 19 : Lease liabilities

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Lease Liabilities under Ind AS 116	61.90	75.39
Total	61.90	75.39

Note 20 : Provisions - Non Current

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Provision for employee benefits - Gratuity	8.03	-
Total	8.03	-

Note 21 : Lease liabilities

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Lease Liabilities under Ind AS 116	14.96	8.44
Total	14.96	8.44

Note 22 : Trade Payables

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Trade payables (Unsecured)		
Total outstanding dues of Micro enterprises and Small Enterprises	373.22	-
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	64.19	0.83
Total	437.41	0.83

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 22 : Trade Payables (Contd..)

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	373.22	Nil
Interest on above Principal	Nil	Nil
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;	-	-
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	Nil	Nil
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil

Trade Payables ageing schedule

(Rs in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	373.22	-	-	-	373.22
(ii) Others	64.19	-	-	-	64.19
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

Note 23 : Other Financial Liabilities - Current

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Interest accrued but not due on borrowings	31.86	13.59
Security and other deposits	74.04	-
Others Payables	1,343.74	1,418.71
Total	1,449.64	1,432.30

Other payables includes Rs 1253.84 lakhs payable to CoC i.e; 50% of the Subsidy received during the year from Ministry under Ship Building Subsidy Scheme.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 24 : Other Current Liabilities

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Advance received from customers	58.55	-
Statutory dues	68.45	7.14
Contract Liability for Engineering works	82.76	-
Total	209.76	7.14

Note 25 : Provisions - Current

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Provision for Employee benefits		
Gratuity	0.03	-
	0.03	-
Other Provisions		
Expenditure/ Contingencies	1,011.04	1,210.78
Total	1,011.07	1,210.78

In order to meet the contingent expenditure to operationalise the facility as per the resolution plan, a provision for contingency of Rs 1250 lakhs has been provided in books as on 31/3/2020. During the year, we have adjusted an amount of Rs. 201.54 lakhs and the balance has been reviewed and retained.

Note 26 : Revenue from operations

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Sale of products		
Ship building:		
Vessels	67.34	-
Engineering works	574.64	-
Total	641.98	-

Note 27 : Other Income

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Income from sale of scrap and stores	161.34	-
Interest Income from Bank Deposits	75.68	6.26
Miscellaneous Income	1.76	-
Provision no longer required / Liabilities written back	51.40	-
Income from Charter Hire	75.90	68.48
Total	366.08	74.74

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 28 : Cost of materials consumed

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Raw Materials		
Steel	294.33	-
Pipe	0.14	-
Paint	3.90	-
Bought out components	91.37	-
Total	389.73	-

Note 29 : Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	-	-
Less: at the end of the year	(352.31)	-
Total	(352.31)	-

Note 30 : Sub Contract and Other Direct Expenses

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Sub contract and off loaded jobs	313.47	-
Other direct expenses	73.62	-
Total	387.09	-

Note 31 : Employee Benefits Expense

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	402.82	66.81
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	12.56	1.84
Gratuity	8.06	-
Staff welfare expenses	28.28	2.95
Total	451.72	71.60

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 31 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the Year ended March 31, 2022
Discount Rate (p.a)	6.20%
Rate of increase in compensation levels	3.00%
Expected Rate of Return on Asset	5.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2022
(Rs in Lakhs)	
Service Cost:	
Current Service Cost	8.06
Past Service Cost	-
Net Interest expense	-
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	8.06
Remeasurement of the net defined benefit liability:	
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	-
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	-

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2022
(Rs in Lakhs)	
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	8.06
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-
Net Liabilities/(Assets) recognized in the Balance Sheet	8.06

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2022
(Rs in Lakhs)	
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	-
Current Service Cost	8.06
Current Interest Cost	-
Past Service Cost	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-
Benefits paid	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	8.06

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 31 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	For the Year ended March 31, 2022
(Rs in Lakhs)	
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-
Expected Return on Plan Assets	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-
Contributions from the employer	-
Benefits paid	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	UCSL
(Rs in Lakhs)	
Year 1	NA
Year 2	NA
Year 3	NA
Year 4	NA
Year 5	NA
Next 5 Years	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	UCSL
(Rs in Lakhs)	
Year 1	-
Year 2	-
Year 3	-
Year 4	1.11
Year 5	6.95
Next 5 Years	-

Sensitivity Analysis

Particulars	UCSL
(Rs in Lakhs)	
A. Discount Rate + 100 BP	7.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	7.73
Variation	-4.09%
B. Discount Rate - 100 BP	5.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	8.40
Variation	4.30%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	8.37
Variation	3.89%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	7.75
Variation	-3.78%
BP denotes "Basis Points"	

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 32 : Finance Costs

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Interest on Loan	27.50	14.69
Interest on Lease liability	6.52	8.44
Interest on Non convertible debentures	19.43	-
Total	53.45	23.14

Note 33 : Depreciation and Amortisation Expense

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Depreciation on property, plant and equipments	1,315.21	1,280.29
Depreciation on Right of use asset	4.81	4.17
Amortisation of other intangible asset	1.29	-
Total	1,321.31	1,284.46
Add : Loss on revaluation of tools	0.72	-
Total	1,322.03	1,284.46

Note 34 : Other Expenses

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Yard Maintenance and other expenses	0.22	0.03
Consumption of spares	0.03	-
Rates and taxes	9.25	4.73
Power and fuel	63.26	12.11
Water Charges	2.74	0.72
Repairs and maintenance:		
- Plant and machinery	10.99	-
- Others	51.50	23.75
Maintenance dredging	0.20	-
Transport and stores handling	-	-
Travelling and conveyance expenses	8.78	3.55
Printing and stationery	6.68	0.74
Postage, telephone and telex	0.50	0.12
Advertisement	0.25	0.02
Lease rent	1.67	2.00
Legal and professional charges	2.06	18.11
Hire charges	5.49	-
Insurance	13.80	0.16
Security expenses	38.64	20.72
Auditors remuneration	3.00	3.00
Auditors remuneration for other services	2.40	3.15

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 34 : Other Expenses (Contd..)

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Fee for statutory compliances	1.02	2.72
Business Development expenses	4.84	-
Bank charges	0.84	4.13
Net gain/(loss) on foreign currency transactions	(0.36)	-
Miscellaneous Expenses	13.97	5.25
Total	241.77	104.98

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and include:

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
For Audit Fees	3.00	3.00
For Limited Review/other services	2.40	3.15
Total	5.40	6.15

Note 35 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Provision for:		
Non moving / perpetual inventory verification	18.89	-
Total	18.89	-

Note 36 : Exceptional Items

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Provision for Inventory and Subsidy receivable written back	-	(188.92)
Write off of property, plant and equipments	454.51	-
Provision for Subsidy Receivable written back / (Provision for subsidy receivable)	(179.36)	(1,074.48)
Total	275.15	(1,263.40)

Note 37 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Net Profit after tax (Rs in lakhs)	(1,294.13)	(136.04)
Number of Equity Shares	65000000	65000000
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in Rs)	(1.99)	(0.21)
Face value per equity (in Rs)	10.00	10.00

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 38 : Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per IND AS 115

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products		
Ship building:		
Fishing vessels	67.34	-
(ii) Sale of services		
Engineering works	574.64	-
Total	641.98	-

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to Rs 800.37 lakhs and will be recognised as revenue during FY 2022-23.

- Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building. Physical performance is calculated using various technical parameters used in ship building industry.
- If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released. Warranty period is agreed in the contract for which necessary provision has been made.

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Opening contracted price of orders	-	-
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	1371.96	-
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	70.39	-
Increase due to exchange rate movements (net)	-	-
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	-	-
Orders completed during the year	178.22	-
Closing contracted price of orders	1264.13	-

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

Note 38 : Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers" (Contd..)

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Total Revenue recognised during the year:	641.98	-
Less: Revenue out of orders completed during the year	178.22	-
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	463.76	-
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	-	-
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	-	-
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	800.37	-
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	1264.13	-

Note 39 : Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2022 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to Rs.1.67 lakhs (PY :-Rs.1.86 lakhs)

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2022 including outflow for short term and low value leases is Rs 15.16 lakhs (PY:- Rs 22.37 lakhs)

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2022 on an undiscounted basis are as follows

(Rs in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Less than one year	61.02	40.59
One to two years	21.98	55.90
Total	83.00	96.49

40. Contingent Liabilities and Commitments

A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)

a. Guarantee

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	Brief description of the nature and obligation
Bank Guarantee (BG)	56.00	Nil	Bank Guarantees represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

40.1 Contingencies and Commitments

For the period after Resolution Plan Approval - Nil

For the period prior to the Resolution Plan Approval – The Company has been receiving various notices from various statutory authorities such as Income tax, Customs, Karnataka VAT, Provident Fund, ESI etc. In line with the NCLT order dated March 04, 2020 approving the resolution plan, all these liabilities stand extinguished and the recent decision of the Supreme Court in other matters also upholds such extinguishment of all past period liabilities. Accordingly, the company is in the process of responding to all these notices appropriately on these lines.

41. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship 2021-22	Nature of Relationship 2020-21
Shri Madhu S Nair, Chairman	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V, Director (Upto April 30, 2021)	Till April 30, 2021	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker, Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J, Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Harikumar A, Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John, Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M, Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Cochin)	Holding Company	Holding Company
Hoogly Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Kolkata)	Fellow Subsidiary Company	Fellow Subsidiary Company

Nature of transaction - Remuneration to Key Managerial Person*

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022
Short term benefit	32.56
Post employment Benefit - Gratuity	0.58
Total	33.14

Nature of transaction - Loans/advances

(Rs in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on April 01, 2021	Loans advances Taken during 2021-22	Repayment	Balance as on March 31, 2022	Interest accrued as on March 31, 2022
MADHU S NAIR	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
SURESH BABU N V	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
BEJOY BHASKER	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
JOSE V J	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
HARIKUMAR A	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
SHIBU JOHN	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ASWIN SARMA M	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

41. Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

(Rs in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on April 01, 2020	Loans/ advances Taken during 2020-21	Repayment	Balance as on March 31, 2021	Interest accrued as on March 31, 2021
MADHU S NAIR	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
SURESH BABU N V	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
BEJOY BHASKER	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
JOSE V J	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
HARIKUMAR A	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
SHIBU JOHN	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ASWIN SARMA M	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters	Nil	Nil
Directors	Nil	Nil
KMPs	Nil	Nil

Nature of transaction - Transaction with Related parties

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Secondment to subsidiary - Cochin Shipyard Ltd.	-	13.05
Redeemable non convertible debentures issued to Cochin Shipyard Ltd	1,000.00	-
Interest on Loan	27.50	14.69
Interest on NCD	20.71	-
Revenue on Engineering works	574.64	-
Advance collected from CSL as stage payments for KMRL work order	456.16	-
Loan from Holding company	-	500.00

Shares held by Nominees in TSL on behalf of CSL	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
MADHU S NAIR, Chairman	10	10
SURESH BABU N V, Director	0	10
BEJOY BHASKER, Director	10	10
JOSE V J, Director	10	10
HARIKUMAR A, CEO	10	0
SHIBU JOHN, CFO	10	10
ASWIN SARMA M, Company Secretary	10	10

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

42. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries). The Company has not received any fund from any party(s) (Funding Party) with the understanding that the Company shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

43. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

(Rs in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	
Financial Assets			
Non Current			
Current			
(i) Trade Receivables	97.51	6.52	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	1,580.51	2,526.99	Level II
(iii) Bank Balances other than (ii)	100.88	0.81	Level II
(iv) Loans	-	-	Level II
(v) Others	4.53	0.67	Level II
Total Financial Assets	1,783.43	2,534.99	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	1,500.00	500.00	Level II
(ii) Other financial liabilities	61.90	75.39	Level II
Current			
(i) Trade Payables	437.41	0.83	Level II
(ii) Other financial liabilities	1,464.60	1,440.74	Level II
Total Financial Liabilities	3,463.91	2,016.96	

Note:

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

43. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(Rs in Lakhs)

	March 31, 2022			March 31, 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Trade receivables	-	-	97.51	-	-	6.52
Cash & Cash equivalents	-	-	1,580.51	-	-	2,526.99
Bank Balances	-	-	100.88	-	-	0.81
Other Financial Assets	-	-	4.53	-	-	0.67
Total Financial Assets	-	-	1,783.43	-	-	2,534.99
Financial liabilities						
Borrowings	-	-	1,500.00	-	-	500.00
Trade payables	-	-	437.41	-	-	0.83
Other financial liabilities	-	-	1,526.50	-	-	1,516.13
Total Financial Liabilities	-	-	3,463.91	-	-	2,016.96

44. Segment Reporting

Segment reporting is not applicable for the previous year 2020-21, since the company had not commenced operation.

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022
Segment Assets	
Ship building	7,742.24
Others	9,382.06
Total	17,124.30
Segment Liability	
Ship building	741.68
Others	4,692.77
Total	5,434.45
Segment Revenue	
Ship building	641.98
Unallocated	366.08
Total	1,008.06
Segment Result	
Ship building	27.40
Unallocated	(1,531.70)
Total	(1,504.31)

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

45. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(Rs in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Long term borrowings	1500.00	500.00
Net Debt	1500.00	500.00
Equity Share Capital	6500.00	6500.00
Other equity	5931.53	7153.21
Total Equity	12431.54	13653.22
Gearing Ratio	12.07%	3.66%

46. Ratios

Ratio	Numerator	Denominator	2021- 22	2020- 21	% Variance	Reason for variance
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	1.10	1.06	3%	NA
Debt – Equity Ratio	Total Debt	Shareholder's Equity	0.12	0.04	229%	Company issued Non convertible debentures to its holding company for Rs 1000 lakhs
Debt Service Coverage Ratio	Profit before exceptional items+ Depreciation+ Finance cost	Debt Service	(2.41)	(4.40)	45%	Company's PBT is at loss as operations has resumed during the year whereas finance cost has doubled due to issue of NCDs
Return on Equity (ROE)	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	(0.10)	(0.02)	-524%	Due to Exceptional items in current & previous year
Inventory Turnover Ratio	Cost of goods sold OR sales	Average Inventory	1.09	-	NA	No comparable figures for PY as company has resumed its operations in this FY only
Trade receivables turnover ratio	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	-	-	NA	No credit sales during the year
Trade payables turnover ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	4.65	2.30	102%	Company resumed its operations during the current financial year only
Net capital turnover ratio	Net Sales	Working Capital	2.16	-	NA	No comparable figures for PY as company has resumed its operations in this FY only
Net profit ratio	Net Profit	Net Sales	(2.02)	-	NA	No comparable figures for PY as company has resumed its operations in this FY only

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2022

46. Ratios (Contd..)

Ratio	Numerator	Denominator	2021- 22	2020- 21	% Variance	Reason for variance
Return on capital employed (ROCE)	Earning before interest and taxes	Capital Employed	(0.10)	(0.10)	-6%	NA
Return on investment	PAT	Sum invested	(16.18)	(1.94)	-732%	Decrease in Net profit during the year

47. The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) formerly Tebma Shipyards Limited (TSL) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Cochin Shipyard Limited (CSL) submitted the Resolution Plan for acquisition of UCSL to the Committee of Creditors (CoC) in October 2019. The Hon'ble NCLT declared CSL as the Successful Resolution Applicant vide its order dated March 04, 2020. The bid amount of Rs. 65 crs was paid by CSL and a major part of the resolution plan was implemented and accounted for the in the books of Account in FY 2019-20 & 2020-21.

The Ships which are excluded assets under the resolution plan is under process for sale. The Committee of Creditors have identified a buyer for the Y 123 and the vessel has been towed out of UCSL under the direction of the Committee of Creditors on April 20, 2022.

48. The COVID-19 pandemic with the first and the second wave has been a global pandemic with considerable impact worldwide on the state of economy and commerce due to the severe social disruptions. It still continues to be a matter of major concern for all the business organizations with the ever looming third wave. The vaccine programs have substantially reduced the risks associated with the covid but the concerns still persist. The initial period lockdowns announced by the Central and State Governments to contain the spread of Covid- 19 did affect the revival of the yard to an extent. In spite of challenges of covid, the Company managed to revive the Hangarkatta facility and make it operational from August 2021. But still, the revival of Malpe is underway. However, the ecosystem has not completely come out of the scars of covid and the challenges continue to persist although to lesser extent than before on operation front.

The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 in the preparation of these standalone financial statements including the recoverability of carrying amounts of financial and non financial assets. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company has, at the date of approval of these financial statements, used internal and external sources of information including credit reports and related information and economic forecasts and expects that the carrying amount of these assets will be recovered.

49. Previous years figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

50. Figures in brackets denote negative figures.

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M
Company Secretary
M. No. A41969
Kochi, dated May 03, 2022

SHIBU JOHN
Chief Financial Officer

HARIKUMAR A
Chief Executive Officer

JOSE V J
Director
DIN - 08444440

MADHU S NAIR
Chairman
DIN - 07376798

For M/s Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 0090335

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 22207231AISTVR3455
Udupi, Date: May 03, 2022

NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of Udupi Cochin Shipyard Limited will be held at 11.20 hrs. on Monday, September 19, 2022 at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2022, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Madhu S Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2022-23.

By the Order of the Board of Directors
For **Udupi Cochin Shipyard Limited**

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Kochi
September 06, 2022

Notes:

1. A member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A Proxy Form (MGT-11) is annexed to this Notice.
2. A person can act as a proxy on behalf of the members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.
3. Members, Proxies and Authorized Representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
4. The registers maintained under the Companies Act, 2013 and all documents referred to in the Notice are available for inspection by members at the Meeting.
5. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this Notice.
6. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the Meeting outside the local limits of the Registered Office at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
7. The brief details of the Director, who is seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

By the Order of the Board of Directors
For **Udupi Cochin Shipyard Limited**

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Kochi
September 06, 2022

Registered Office

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116
CIN: U27209TN1984GOI010994
e-mail: secretary.tsl@cochinshipyard.in

FORM NO. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Day, Date and Time : Monday, September 19, 2022 at 11.20 hrs.

Name of Member(s) _____
 Registered Address _____
 E-mail Id _____
 Ledger Folio No. _____

I/We, being the member(s) of Udupi Cochin Shipyard Limited holding _____ shares, hereby appoint:

1. _____
 Name _____
 Address _____
 E-mail Id _____
 Signature _____

or failing him/her

2. _____
 Name _____
 Address _____
 E-mail Id _____
 Signature _____


or failing him/her

3. _____
 Name _____
 Address _____
 E-mail Id _____
 Signature _____

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 38TH ANNUAL GENERAL MEETING of members of the Company, to be held on Monday the 19th day of September, 2022 at 11.20 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on 31st March 2022, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Madhu S Nair (DIN: 07376798), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&A) for the financial year 2022-23.		

Signed this day of..... 2022



Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Day, Date and Time : Monday, September 19, 2022 at 11.20 hrs.

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE


Name of the Shareholder(s) _____
 Registered Address _____
 E-mail Id _____
 Ledger Folio No. _____
 No. of shares held _____

I certify that I am the registered shareholder(s)/proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the 38TH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company on Monday the 19th day of September, 2022 at 11.20 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the shareholder or proxy

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING



CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116

I, _____, son of _____, resident of _____, holding _____ equity shares of Rs. 10 each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 19, 2022 outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015 at a shorter notice.

Place:
Date:

Signature:
Name:

DETAILS OF DIRECTOR SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Madhu S Nair
DIN	07376798
Age & Date of Birth	56 & January 05, 1966
Qualifications	Shri Madhu S Nair holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan.
Experience	Shri Madhu S Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has more than 34 years of work experience across the Ship Building and Ship Repair industry. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Madhu S Nair was appointed as one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Madhu S Nair till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2021-22)	Nil
Date of first appointment on the Board	September 15, 2020
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2021-22	6/6
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Hooghly Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

ADDENDUM TO THE NOTICE FOR 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

Reference is invited to the Notice issued on September 06, 2022, for the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Udupi Cochin Shipyard Limited scheduled on Monday, September 19, 2022.

In this regard, Notice is hereby given that the 38th AGM of the Members of Udupi Cochin Shipyard Limited scheduled to be held at 11.20 hrs. on Monday, September 19, 2022 has been postponed to 10.30 hrs. on Monday, September 19, 2022.

Further, in view of the continuing COVID-19 Pandemic and the social distancing norms, the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) vide its Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as “MCA Circulars”), permitted the holding of the Annual General Meeting (“AGM”) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”), without the physical presence of the Members at a common venue. In view of these MCA Circulars, the Company is providing the facility of attending the 38th AGM through VC/OAVM. Members and other invitees may attend the said AGM through electronic mode by clicking the link given below:

[Link for attending the 38th AGM of Udupi Cochin Shipyard Limited](#)

The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The designated e-mail id for casting the votes in case of a poll is secretary.tsl@cochinshipyard.in.

Kindly make it convenient to attend the Meeting.

For **Udupi Cochin Shipyard Limited**

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Kochi
September 17, 2022

Notes



UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
(Formerly Tebma Shipyards Limited)

Registered Office

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram, Tamil Nadu – 603 116

CIN: U27209TN1984GOI010994

